SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश शासन

2026 का प्रतिवेदन संख्या 4

(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश शासन

2026 का प्रतिवेदन संख्या 4

विषयवस्तु

विषय-सूची			पृष्ठ
	प्राक्कथन		v
	कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय I	**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – विहंगावलोकन**		1-7
	1.1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	1
	1.2	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लक्ष्य	1
	1.3	मनरेगा प्रक्रिया का विहंगावलोकन	2
	1.4	संगठनात्मक ढाँचा	3
	1.5	सभी स्तरों पर भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व तथा क्रियान्वयन के लिए नामित अधिकारी	4
	1.6	वित्तपोषण पैटर्न	5
	1.7	मनरेगा के अंतर्गत कार्य	5
	1.8	जियोमनरेगा - मनरेगा के अंतर्गत भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) का क्रियान्वयन	6
	1.9	मनरेगा की सामाजिक लेखापरीक्षा	7
अध्याय II	**लेखापरीक्षा दृष्टिकोण**		9-12
	2.1	लेखापरीक्षा दृष्टिकोण	9
	2.2	कार्यक्षेत्र सीमा	11
	2.3	अभिस्वीकृति	12
अध्याय III	**नियोजन प्रक्रिया**		13-26
	3.1	योजना एवं नियमों का नियमन	13
	3.2	सर्वेक्षणों का आयोजन	14
	3.3	राज्य विशिष्ट सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) योजना तैयार न करना	15
	3.4	जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं	16
	3.5	ब्लॉक संसाधन केंद्र की स्थापना	17
	3.6	विकास योजना एवं परियोजनाओं की सूची (शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट) तैयार करना	18
	3.7	रोजगार दिवस का आयोजन	21
	3.8	मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए संरचनात्मक तंत्र एवं मानव संसाधन	22
	3.9	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	24
	3.10	निष्कर्ष	25
	3.11	अनुशंसाएं	26

विषय-सूची			पृष्ठ
अध्याय IV	**वित्तीय प्रबंधन**		27-35
	4.1	मनरेगा का वित्तपोषण	27
	4.2	मनरेगा के लिए निधि जारी करना	28
	4.3	प्रशासनिक व्यय	31
	4.4	₹1217.05 करोड़ की मजदूरी एवं सामग्री की लंबित देनदारियां	32
	4.5	श्रमिकों को विलंब से भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति	33
	4.6	निष्कर्ष	34
	4.7	अनुशंसाएं	35
अध्याय V	**पंजीकरण एवं रोजगार सृजन**		37-49
	5.1	परिवारों का पंजीकरण	37
	5.2	अनिवार्य अभिलेखों के अभाव में रोजगार की मांग एवं आपूर्ति तथा बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्रता की गणना न होना	40
	5.3	100 दिवसों के रोजगार की गारंटी	41
	5.4	सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व	43
	5.5	निष्कर्ष	49
	5.6	अनुशंसाएं	49
अध्याय VI	**कार्य एवं उनका निष्पादन**		51-76
	6.1	मनरेगा के अंतर्गत कार्यों की श्रेणी	51
	6.2	स्वीकृत कार्यों का निष्पादन	52
	6.3	अस्वीकार्य एवं अपूर्ण कार्य	67
	6.4	अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण	69
	6.5	कार्यस्थल सुविधाओं का प्रावधान	71
	6.6	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से संबंधित कार्यों को मानदंडों के अनुसार न लिया जाना	72
	6.7	मजदूरी एवं सामग्री अनुपात का पालन न करना	72
	6.8	ग्रामीण संपर्क कार्यों का अनुमत सीमा से अधिक निष्पादन	73
	6.9	मनरेगा परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग	74
	6.10	निष्कर्ष	75
	6.11	अनुशंसाएं	76

विषय-सूची			पृष्ठ
अध्याय VII	निगरानी, शिकायत निवारण एवं पारदर्शिता		77-84
	7.1	राज्य स्तर पर मनरेगा कार्यों के लिए निगरानी रूपरेखा	77
	7.2	मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा निगरानी	77
	7.3	राज्य/जिला सतर्कता प्रकोष्ठों एवं स्थानीय सतर्कता निगरानी समिति द्वारा निगरानी	78
	7.4	गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठों द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण	79
	7.5	पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा टिप्पणियों एवं अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई	79
	7.6	शिकायत निवारण तंत्र का अस्तित्व एवं कार्य संचालन	81
	7.7	पारदर्शिता एवं स्वप्रेरित प्रकटीकरण	83
	7.8	निष्कर्ष	83
	7.9	अनुशंसाएं	84
अध्याय VIII	सामाजिक लेखापरीक्षा		85-93
	8.1	मनरेगा की सामाजिक लेखापरीक्षा	85
	8.2	राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा की स्थापना	85
	8.3	सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों की वित्तीय स्थिति	87
	8.4	एस.ए.यू. में जनशक्ति की कमी	88
	8.5	एस.ए.यू. में गुणवत्ता मॉनीटर्स की नियुक्ति न होना	89
	8.6	सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा मनरेगा की सामाजिक लेखापरीक्षा	89
	8.7	सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई	91
	8.8	निष्कर्ष	92
	8.9	अनुशंसाएं	93

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट सं.	विवरण	पेज
परिशिष्ट 1.1	मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण पहलू	95
परिशिष्ट 2.1	नमूना इकाइयों का विवरण	97
परिशिष्ट 3.1	राज्य में मनरेगा हेतु मानव संसाधन की स्थिति 31.03.2024 तक	100
परिशिष्ट 3.2	चयनित जनपद पंचायतों में मानव संसाधन की स्थिति 31.03.2024 तक	101
परिशिष्ट 4.1	दंडात्मक ब्याज की देनदारी	102
परिशिष्ट 4.2	राज्य में अस्वीकृत तथा पुनः उत्पन्न संव्यवहारों की स्थिति	104
परिशिष्ट 5.1	नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में वर्ष 2019-24 के दौरान प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध परिवारों को जारी नहीं किए गए जॉब कार्डों का विवरण	105
परिशिष्ट 5.2	वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य में योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले परिवारों का विवरण	107
परिशिष्ट 5.3	वर्ष 2019-24 के दौरान महिलाओं को प्रदान किए गए रोजगार के व्यक्ति-दिवस	109
परिशिष्ट 5.4	नमूना-जांच किये गए आठ जिलों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) का प्रतिनिधित्व	110
परिशिष्ट 6.1	वर्ष 2019-24 के दौरान नमूना जांच किए गए जिलों में किए गए कार्यों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	111
परिशिष्ट 6.2	अर्ध-संवेदनशील एवं अति-दोहित क्षेत्रों में किए गए अस्वीकार्य कार्यों का विवरण	113
परिशिष्ट 6.3	31 मार्च 2024 तक अपूर्ण सामुदायिक कार्यों का विवरण	117
परिशिष्ट 6.4	उन ग्राम पंचायतों का विवरण जहां पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र तथा खेल के मैदान जैसी सामुदायिक ग्रामीण अवसंरचना अन्य योजनाओं के अभिसरण के साथ निर्मित नहीं की गई	118
परिशिष्ट 7.1	वर्ष 2019-24 की अवधि में प्राप्त एवं निराकृत गई शिकायतों का विवरण	119
परिशिष्ट 8.1	एस.ए.यू., मध्य प्रदेश में स्वीकृत तथा कार्यरत पदों की स्थिति	120
परिशिष्ट 8.2	वर्ष 2019-2024 के दौरान नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में वार्षिक सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन का विवरण	121
संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली		123

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल को राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सौपने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, परिचालन दिशानिर्देश, 2013 एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक मास्टर परिपत्रों पर आधारित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में राज्य के प्रदर्शन के संदर्भ में ***"मध्य प्रदेश राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन"*** पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो अप्रैल 2019 से मार्च 2024 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए थे एवं साथ ही वे भी हैं जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आए थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित उदाहरण यथास्थान जहाँ आवश्यक हो सम्मिलित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

यह अनुवादित संस्करण है। इस अनुवादित संस्करण में अंग्रेजी संस्करण से कोई भिन्नता पाए जाने पर अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत तथ्य मान्य होंगे।

कार्यकारी सारांश

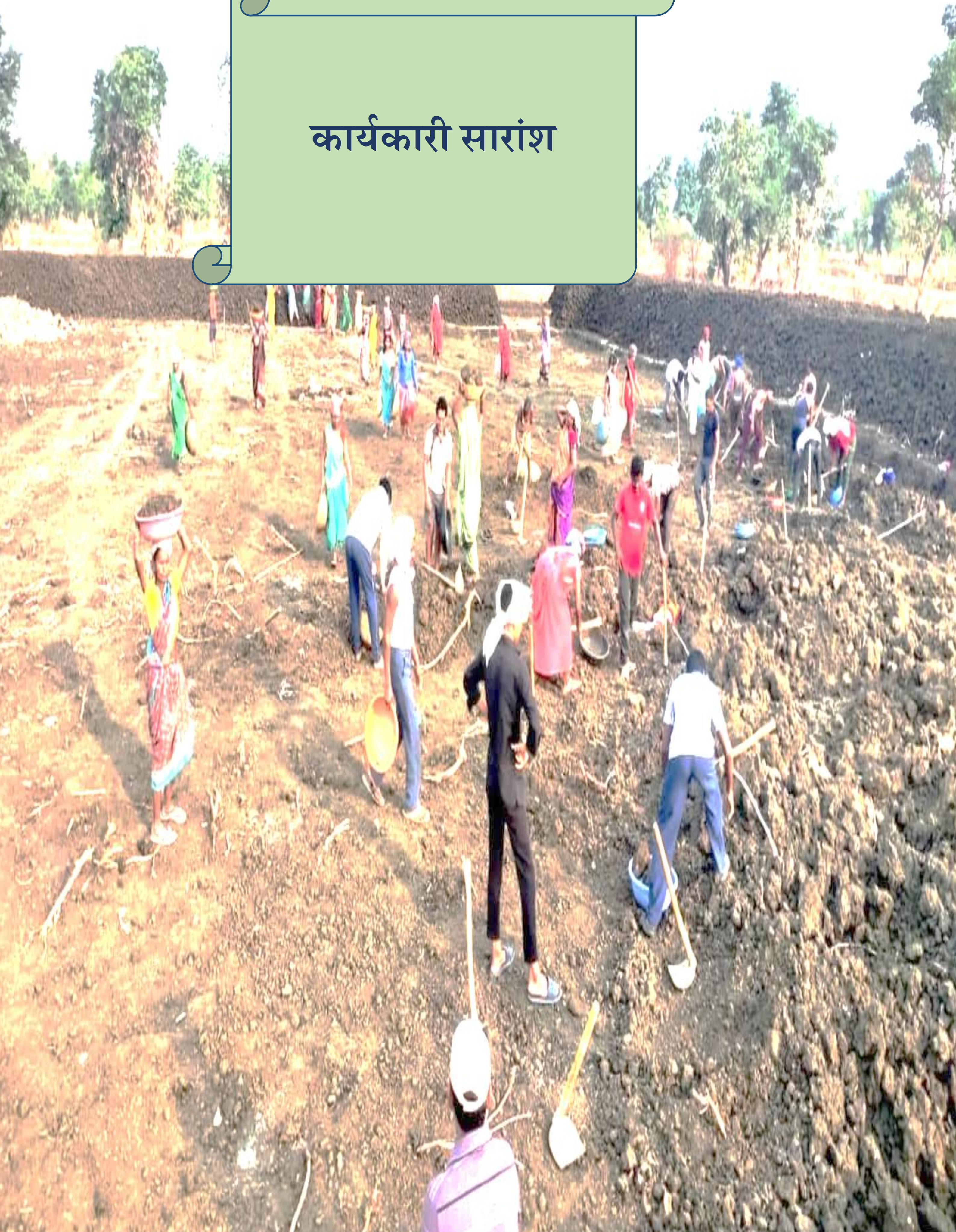

कार्यकारी सारांश

मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

हमने यह लेखापरीक्षा क्यों की ?

भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी एवं गरीबी की समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एन.आर.ई.जी.ए.) अधिनियमित किया है। यह अधिनियम प्रत्येक ऐसे परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए तैयार हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवसों की मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी प्रदान करता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित गुणवत्ता एवं स्थायित्व की उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण हो सके।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के रूप में पुनर्नामित (अक्टूबर 2009) नरेगा एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसे भारत सरकार एवं राज्य शासन के बीच लागत साझेदारी के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। मध्य प्रदेश शासन ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनवरी, 2006 में मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.पी.आर.ई.जी.एस.) नामक योजना अधिसूचित की थी।

योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि को शामिल करते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए.) आयोजित की गई थी जिसका उद्देश्य योजना के क्रियान्वयन हेतु नियोजन प्रक्रिया, योजना हेतु निर्धारित निधि का आवंटन, जारी एवं उपयोग; योजना का क्रियान्वयन एवं निर्धारित अनुसार पर्याप्त रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति; अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही प्राप्त करने के लिए निगरानी, आंतरिक नियंत्रण एवं शिकायत निवारण तंत्र की जांच करना था।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में, 52 जिलों में से आठ, 16 जनपद पंचायतें (जे.पी.) (प्रत्येक चयनित जिले से दो जे.पी.), एवं 64 ग्राम पंचायतों (जी.पी.) (प्रत्येक चयनित जे.पी. से चार जी.पी.) को लेखापरीक्षा में नमूना जांच हेतु चुना गया था। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत में छ: कार्यों की जांच भी लेखापरीक्षा द्वारा की गई।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

हमने पाया कि रोजगार की मांग की वास्तविक मात्रा एवं समय का आकलन करने के लिए ग्राम पंचायतों (जी.पी.) द्वारा आधारभूत सर्वेक्षण एवं घर-घर सर्वेक्षण नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप दिव्यांग व्यक्तियों एवं विधवा, परित्यक्त अथवा निराश्रित महिलाओं की पर्याप्त पहचान नहीं की गई थी। राज्य विशिष्ट सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) योजना भी तैयार नहीं की गई थी। किसी भी चयनित जे.पी. में ब्लॉक स्तर पर ज्ञान इनपुट, क्षमता निर्माण एवं अभिसरण के लिए संसाधन एवं सुविधा केन्द्र के रूप में ब्लॉक संसाधन केन्द्र (बी.आर.सी.) की स्थापना नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ब्लॉक स्तर पर पर्याप्त क्षमता निर्माण नहीं हुआ एवं मनरेगा योजना एवं अभिसरण गतिविधियों हेतु अपेक्षित इनपुट का अभाव रहा।

चयनित ग्राम पंचायतों ने न तो विकास योजनाएं तैयार की एवं न ही रोजगार दिवस आयोजित किए। इसी प्रकार, बहुवर्षीय जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी। जिला पंचायत स्तर पर श्रम बजट (एल.बी.) ग्राम पंचायतों द्वारा अनुमानित मांग पर विचार किए बिना तैयार किए गए थे। सभी चार स्तरों - राज्य, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत पर कर्मचारियों एवं महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की कमी थी एवं अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक (ए.डी.पी.सी.) एवं समर्पित कार्यक्रम अधिकारियों को विशेष रूप से मनरेगा के लिए नियुक्त नहीं किया गया था। दिशा-निर्देशों में परिभाषित पाठ्यक्रमों को विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया गया था एवं जिला स्तर पर मनरेगा मानव संसाधन विकास एवं क्षमता निर्माण प्रभागों की स्थापना नहीं की गई थी।

महत्वपूर्ण तथ्य

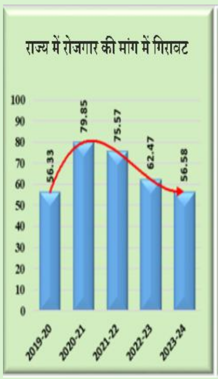

हम क्या अनुशंसा करते है?

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए

- *वास्तविक एवं जरूरतमंद लाभार्थियों की पहचान करने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा आधारभूत आँकड़ों एवं घर-घर सर्वेक्षण को अपनाना।*
- *आवश्यकताओ एवं संसाधनों की पहचान करते हुए नीचे से ऊपर दृष्टिकोण अपनाना, ग्राम पंचायत स्तर पर आई.ई.सी., एस.ओ.पी., श्रम बजट एवं विकास योजना तैयार करना एवं ग्राम सभा में इसका अनुमोदन।*
- *सभी रिक्त पदों को समय पर भरना एवं योजना के सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष रूप से मनरेगा पर केंद्रित विशेष प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना।*

वर्ष 2019-24 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद को प्राप्त निधि में निरंतर अल्प-उपयोग देखा गया, जो वर्ष 2021-22 में ₹1703.80 करोड़ के उच्चतम स्तर पर था। विभागीय आंकड़ों एवं नरेगासॉफ्ट के आंकड़ों के बीच निधि एवं व्यय से संबंधित आंकड़ों में लगातार विसंगतियाँ भी पाई गईं। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2024 तक मध्य प्रदेश शासन पर बकाया मजदूरी एवं सामग्री लागत के रूप में ₹1217.05 करोड़ की देयता थी। इस राशि में ₹54.79 करोड़ (4.7 लाख संव्यवहार) की मजदूरी देयता भी शामिल थी, जो लाभार्थियों के खातों के आधार से मैप न होने के कारण उत्पन्न हुई थी। यह भी देखा गया कि वर्ष 2019-24 की अवधि में मजदूरी भुगतान में विलंब के लिए देय ₹35.13 लाख क्षतिपूर्ति के विरुद्ध ₹9.07 लाख का भुगतान लंबित रहा।

महत्वपूर्ण तथ्य

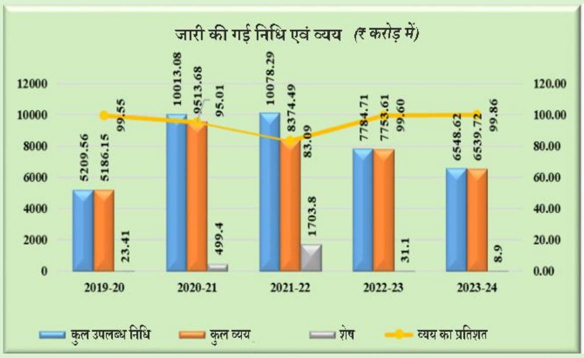

हम क्या अनुशंसा करते है?

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए

- *विभिन्न डेटाबेस में दर्ज किए गए व्यय के संदर्भ में आंकड़ों की सटीकता एवं एकरूपता।*
- *लेनदेन की अस्वीकृति से बचने के लिए आधार आधारित भुगतान के लिए डेटाबेस का शुद्धीकरण।*
- *सभी लंबित क्षतिपूर्ति का समय पर निराकरण।*

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित ग्राम पंचायतों ने मांग सृजन से लेकर कार्य निष्पादन तक की पूरी प्रक्रिया से संबंधित अनिवार्य पंजियों तथा व्यवस्थित/आवधिक अभिलेखों का न तो रखरखाव किया एवं न ही उनको अद्यतन किया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019–24 के दौरान 2,426 डुप्लिकेट, फर्जी/त्रुटिपूर्ण जॉब कार्डों के विरुद्ध ₹1.46 करोड़ की मजदूरी का अनियमित भुगतान किया गया। यह भी देखा गया कि केवल लगभग दो प्रतिशत परिवारों को ही 100 दिवसों का पूर्ण रोजगार प्रदाय किया गया, जबकि 31.21 प्रतिशत से 46.60 प्रतिशत परिवारों को वर्ष 2019-24 के दौरान 40 दिवसों से कम रोजगार प्रदाय किया गया, जो योजना के गारंटीकृत रोजगार सुनिश्चित करने के मूल उद्देश्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है। वर्ष 2019-24 के दौरान मनरेगा की मजदूरी दरें, प्रचलित मजदूरी दरों से लगातार कम रहीं, जिसे रोजगार में कमी का एक कारण माना गया है। महिलाओं की अनिवार्य 33 प्रतिशत भागीदारी भी तीन जिलों, सात जनपद पंचायतों एवं 16 ग्राम पंचायतों में प्राप्त नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त, पंजीकृत दिव्यांग व्यक्तियों की कुल संख्या में 2022–23 एवं 2023–24 के दौरान पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य

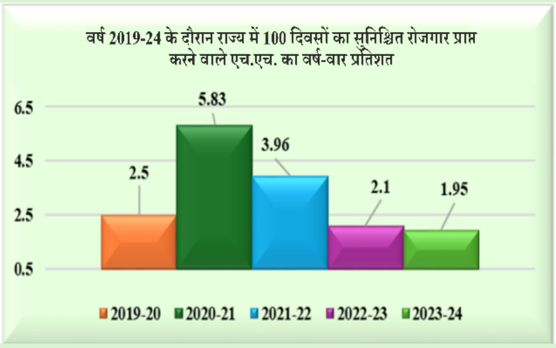

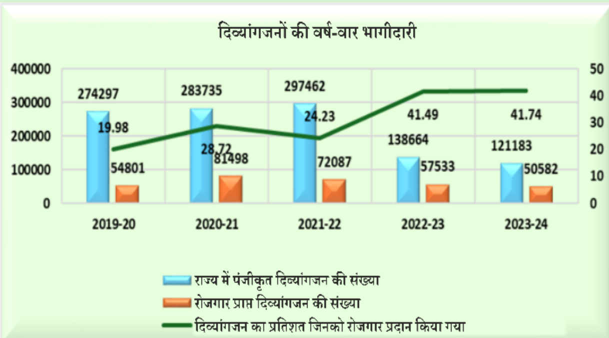

हम क्या अनुशंसा करते है?

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए

- *ग्राम पंचायत स्तर पर अनिवार्य पंजियों का संधारण।*
- *मनरेगा के तहत मजदूरी दरों की समीक्षा करना एवं प्रचलित बाजार मजदूरी से तुलना करते हुए, किसी भी अंतर को दूर करने के लिए भारत सरकार के साथ ऐसे मामले उठाना, जो श्रमिकों की भागीदारी को हतोत्साहित कर सकते है।*
- *योजना में महिलाओं एवं दिव्यांगजनों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उन कार्यों के प्रकारों की पहचान करना एवं प्राथमिकता देना जो उनके कौशल तथा क्षमताओं के लिए सबसे उपयुक्त हैं।*

यह देखा गया कि श्रेणी बी के कार्यों को सर्वाधिक पूर्णता दर के साथ सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, जबकि अन्य श्रेणी के कार्यों को कम पूर्णता दर के साथ निष्पादित किया गया था। श्रेणी ए तथा डी के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जेपीवी) के दौरान अनुमोदित तकनीकी स्वीकृति (टी.एस.) के अंतर्गत अनिवार्य कई आईटम्स स्थल पर अनुपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त, जो परिसंपत्तियां बनाई गई थीं, वे या तो अकार्यात्मक थीं या अपने इच्छित उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही थीं। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि अर्ध-संवेदनशील या अतिदोहन के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में व्यक्तिगत निजी कुँओं को खोदा गया था तथा प्रस्तावित वर्ष के पश्चात एक वित्तीय वर्ष से अधिक अवधि तक कार्य अपूर्ण रहने के बावजूद नए सामुदायिक कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य

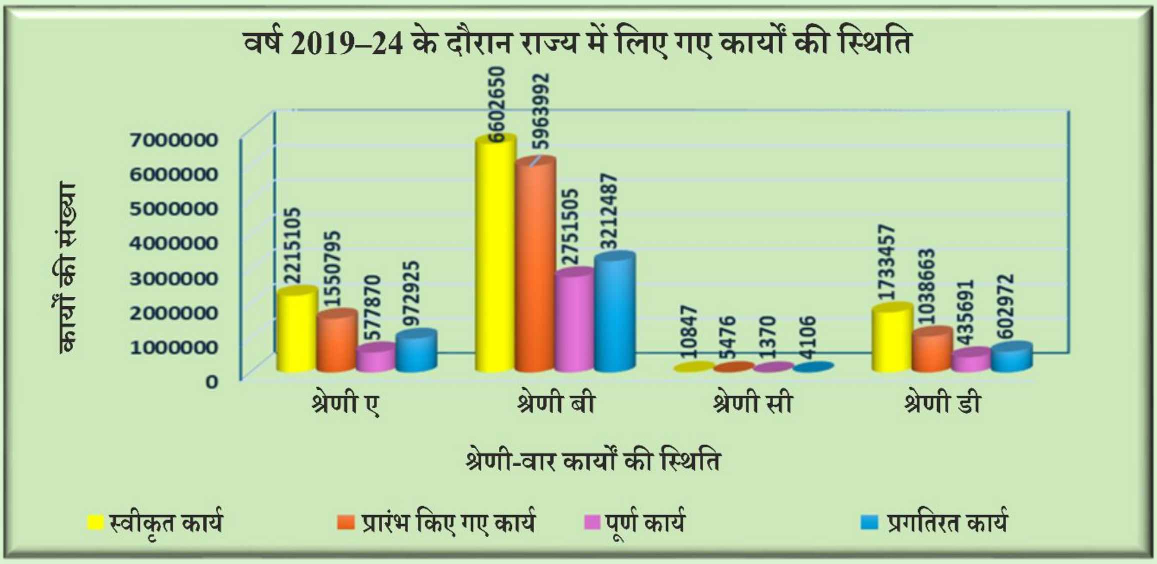

हम क्या अनुशंसा करते है?

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि

- *मनरेगा के अंतर्गत अनुमत गतिविधियों का संतुलित एवं आवश्यकता-आधारित चयन, बजाय केवल किसी एक श्रेणी के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए सुनिश्चित किया जाए, ताकि रोजगार सृजन तथा परिसंपत्ति निर्माण अधिकतम किया जा सके।*

- *अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार परिसंपत्तियों का निर्माण, उनका निर्धारित उद्देश्य के लिए प्रभावी उपयोग तथा कार्यस्थल सुविधाओं का प्रावधान ताकि महिला श्रमिकों की भागीदारी को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा सके।*
- *अर्ध-संवेदनशील या अति-दोहन क्षेत्रों में व्यक्तिगत निजी कुँओं को स्वीकृत करने से बचना, तथा ऐसी ग्राम पंचायतों में नए कार्यों को स्वीकृति देने से बचना जहाँ पूर्व के कार्य एक वित्तीय वर्ष से अधिक समय तक अपूर्ण हैं।*

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि आवश्यक 10 साधारण सभा की बैठकों के विरुद्ध केवल एक ही बैठक आयोजित की गई, वह भी गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन के बिना। राज्य में आवश्यक सतर्कता तंत्र विकसित नहीं किया गया। इसी प्रकार, राज्य गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ तथा जिला गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ का गठन भी नहीं किया गया। परिषद तथा विभाग ने पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की टिप्पणियों का समाधान करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। प्रत्येक जिले में लोकपाल की नियुक्ति न होने के कारण विभाग में प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र का अभाव रहा।

महत्वपूर्ण तथ्य

✓ ***पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 16 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जो वर्तमान लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के समान थे, में से सात में विभाग/परिषद द्वारा सुधार या आंशिक सुधार किया गया है।***

हम क्या अनुशंसा करते है?

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए एम.पी.एस.ई.जी.सी. द्वारा साधारण सभा बैठकों का नियमित आयोजन किया जाए, सतर्कता निगरानी प्रकोष्ठ/समितियों का गठन किया जाए, प्रत्येक जिले में लोकपाल की नियुक्ति की जाए, शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ किया जाए तथा पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की टिप्पणियों पर सुधारात्मक कार्रवाई का पालन किया जाए।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा निधियाँ संचालित बैंक खातों से बाहर रखी गई थीं एवं निधि पर प्राप्त ब्याज पूरी तरह से भारत सरकार को जमा नहीं किया गया। सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई में जनशक्ति की कमी थी एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्ष में दो बार आवश्यक सामाजिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, एस.ए.यू. द्वारा समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा के निर्देश जारी किए जाने के बावजूद जिला पंचायतों ने समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की।

महत्वपूर्ण तथ्य

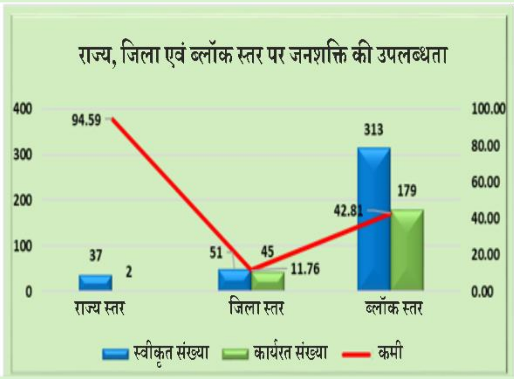

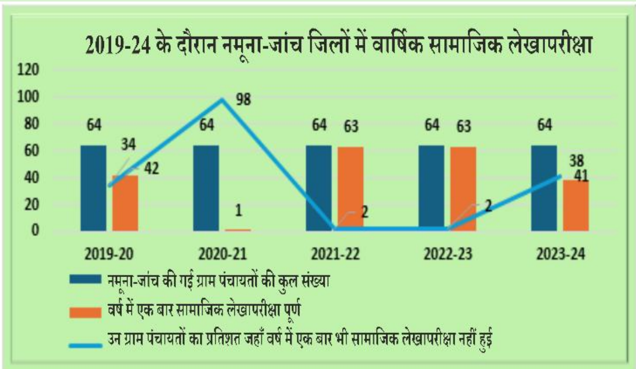

हम क्या अनुशंसा करते है?

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए

- *भारत सरकार को अप्रयुक्त सामाजिक लेखापरीक्षा निधि का प्रेषण,*
- *योजना के अंतर्गत अनिवार्य लेखापरीक्षा संपादित करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध कराकर सामाजिक लेखापरीक्षा का सुदृढ़ीकरण, एवं*
- *क्रियान्वयन में बेहतर सार्वजनिक जवाबदेही के लिए समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन।*

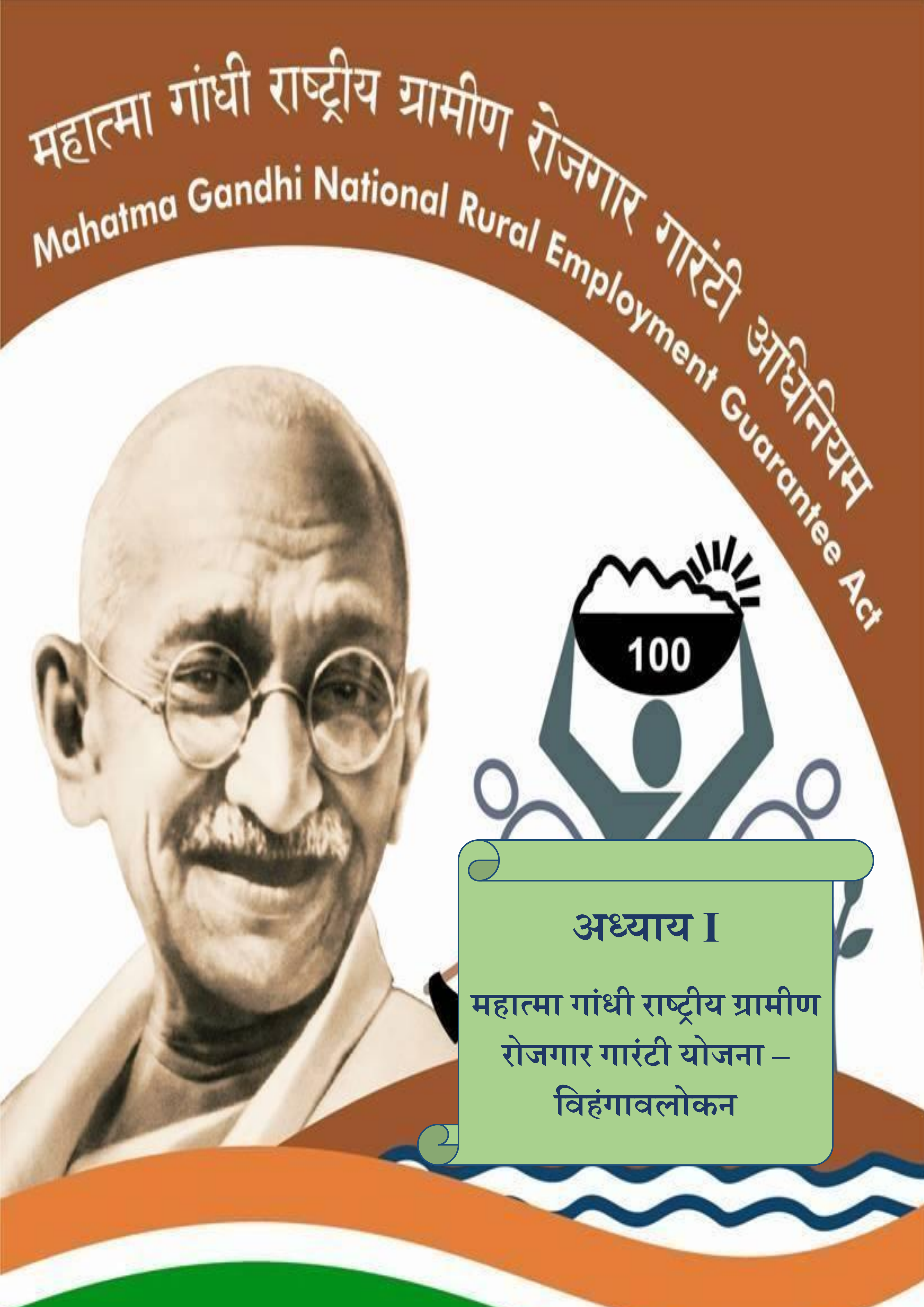

अध्याय I

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – विहंगावलोकन

अध्याय I महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – विहंगावलोकन

1.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (नरेगा) को अधिनियमित किया, तत्पश्चात अक्टूबर 2009 में जिसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) किया गया। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में मांग के आधार पर कम से कम 100 दिवसों का अकुशल श्रमिक कार्य प्रदान करना है जिससे निर्धारित गुणवत्ता एवं स्थायित्व की उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन हो सके तथा साथ ही गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ किया जा सके।

1.1.1 राज्य द्वारा रोजगार गारंटी योजना का नियमन

मनरेगा, 2005 की धारा 4(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार के पास इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) होगी। यह योजना अधिनियम की अनुसूची-I[1] में निर्दिष्ट न्यूनतम विशेषताओं का प्रावधान करेगी। तदनुसार, मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) ने जनवरी, 2006 में मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिसूचित की।

1.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लक्ष्य

मनरेगा के लक्ष्यों का सार नीचे ***चार्ट 1.1*** में दिया गया है:

चार्ट 1.1 | **मनरेगा के लक्ष्य**

[1] महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-I में उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन, गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करने, परिवारों के सामाजिक समावेशन को सक्रिय रूप से सुनिश्चित करने एवं पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कार्यों की रूपरेखा दी गई है।

1.3 मनरेगा प्रक्रिया का विहंगावलोकन

मनरेगा प्रक्रिया का विवरण नीचे दिए गए ***चार्ट 1.2*** में दिया गया है:

चार्ट 1.2	मनरेगा की प्रक्रिया
पंजीकरण	• जॉबकार्ड के लिए आवेदन • जॉबकार्ड जारी करना
निर्माण कार्य के लिए योजना	• निर्माण कार्य चिन्हित करना • श्रम बजट की तैयारी • ग्राम सभा का अनुमोदन • जिला योजना समिति (डी.पी.सी.) द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन • कार्य-मांग पंजीकरण हेतु आवेदन • कार्य का आवंटन
कार्यों का निष्पादन	• मस्टर प्रबंधन • कार्यस्थल सुविधाएँ • माप तथा मापों की जाँच • संपत्तियों की जियो-टैगिंग
मजदूरी का भुगतान	• भुगतान तैयार करना एवं अनुमोदन • डाक विभाग/बैंकों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान • आधार आधारित भुगतान • अस्वीकृत भुगतानों को पुनः तैयार करना
पारदर्शिता एवं जवाबदेही	•सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) तथा मोबाइल प्रौद्योगिकी (एरिया ऑफिसर्स एप/नरेगा मोबाइल निगरानी प्रणाली (एन.एम.एम.एस.) का व्यापक उपयोग • सामाजिक लेखापरीक्षा • सतर्कता विंग • लोकपाल • गुणवत्ता नियंत्रण विंग • राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एस.ई.जी.सी.) • शिकायत निवारण

इन प्रक्रियाओं का विवरण ***परिशिष्ट 1.1*** में दिया गया है। 2019-24 के दौरान मनरेगा के क्रियान्वयन में राज्य द्वारा उपरोक्त पहलुओं से संबंधित उपलब्धियाँ नीचे **चार्ट *1.3*** में संक्षेप में दर्शायी गई है:

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

1.4 संगठनात्मक ढाँचा

राज्य, जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर संगठनात्मक ढाँचा **चार्ट *1.4*** में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.4	मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए संगठनात्मक ढांचा

अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पी.आर.डी.डी.)

आयुक्त, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एम.पी.एस.ई.जी.सी.) (राज्य स्तर)

ज़िला कार्यक्रम समन्वयक (डी.पी.सी./कलेक्टर) (ज़िला स्तर)

अपर ज़िला कार्यक्रम समन्वयक (ए.डी.पी.सी.) / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज़िला पंचायत (जेड.पी.)

कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (जे.पी.)

अपर कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत

ग्राम रोजगार सहायक (जी.आर.एस.), ग्राम पंचायत (जी.पी.)

1.5 सभी स्तरों पर भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व तथा क्रियान्वयन के लिए नामित अधिकारी

संबंधित भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों के साथ विभिन्न स्तरों पर मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित संस्थागत तंत्र नीचे ***तालिका 1.1*** में दिया गया है:

तालिका 1.1	मनरेगा के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत तंत्र	
स्तर	**नामित अधिकारी**	**भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व**
राज्य स्तर	अपर मुख्य सचिव, पी.आर.डी.डी.	• अधिकार प्राप्त समिति तथा साधारण सभा के सदस्य सचिव • साधारण सभा एवं अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को अभिलेखित एवं संधारित करने तथा उनके कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी
	आयुक्त, एम.पी.एस.ई.जी.सी.	• परिषद के प्रबंधन एवं वित्तीय मामलों का प्रशासन • अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है • परिषद के कर्मचारियों के कर्तव्यों/जिम्मेदारियों, पर्यवेक्षण एवं अनुशासनात्मक नियंत्रण, परिषद और क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय आदि को परिभाषित करता है।
	संयुक्त आयुक्त, एम.पी.एस.ई.जी.सी.	• भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार योजना के निष्पादन के लिए उत्तरदायी • संबंधित विभागों के बीच समन्वय करना, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजना
	संयुक्त आयुक्त, वित्त एवं लेखा, एम.पी.एस.ई.जी.सी.	• योजना में आवंटन एवं व्यय पर नियंत्रण • बजट के रूप में राज्य अंश एवं स्थापना अनुदान प्राप्त करना • वित्त एवं लेखा पर जिलों का मार्गदर्शन एवं नियंत्रण

स्तर	नामित अधिकारी	भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व
जिला स्तर	जिला कलेक्टर, जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में नामित	• जिले में योजना का समग्र समन्वय एवं क्रियान्वयन
	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में नामित	• योजना से संबंधित दायित्वों का निर्वहन • जनपद पंचायतों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना को समेकित करना • जिला वार्षिक कार्य योजना, श्रम बजट आदि तैयार करना।
	परियोजना अधिकारी (पी.ओ.)	• जनपद पंचायतों से मासिक प्रतिवेदन प्राप्त करना। • योजना से संबंधित दायित्वों को पूरा करना, वार्षिक श्रम बजट का अनुमोदन आदि।
जनपद स्तर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.), कार्यक्रम अधिकारी के रूप में नामित	• जिला कार्यक्रम समन्वयक (कलेक्टर) एवं अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक (सी.ई.ओ.-जिला पंचायत) के निर्देश, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करना • जनपद के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों से कार्यक्रम प्रस्ताव प्राप्त कर उनका समेकन तथा परियोजना की समेकित सूची का अनुमोदन आदि करना।
	अपर कार्यक्रम अधिकारी (ए.पी.ओ.)	• जनपद पंचायत के सी.ई.ओ. के निर्देशन में कार्य • योजना से संबंधित दायित्वों आदि का निर्वहन करना।
	सहायक अभियंता	• निर्माण विभाग (डब्ल्यू.डी.) नियमावली के अनुसार उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना, कार्यों का पर्यवेक्षण, मस्टर रोल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृतियां जारी करना, कार्यों का उचित मूल्यांकन, मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना आदि।
	उप अभियंता	• डब्ल्यू.डी. नियमावली के अनुसार जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, प्राक्कलन एवं ड्रॉइंग तैयार करना, सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त करना, माप पुस्तिका में प्रविष्टि करना आदि।
ग्राम पंचायत स्तर	ग्राम रोजगार सहायक	• रोजगार की मांग के लिए अनुमान तैयार करना, योजना का विज्ञापन, श्रमिकों का पंजीकरण और अभिलेख संधारण करना, जॉब कार्ड जारी करना

1.6 वित्तपोषण पैटर्न

मनरेगा एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे भारत सरकार एवं राज्य शासन के बीच लागत साझा करने के आधार पर लागू किया गया है। भारत सरकार कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी सहित सामग्री की लागत के 75 प्रतिशत तक के साथ-साथ अकुशल शारीरिक श्रमिकों के लिए मजदूरी की पूरी लागत वहन करती है।

1.7 मनरेगा के अंतर्गत कार्य

मनरेगा की धारा 4(3), अनुसूची-1 में मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसा कि दिए गए ***चार्ट 1.5*** में दर्शायी गया है:

चार्ट 1.5	मनरेगा के अंतर्गत कार्यों की श्रेणियां

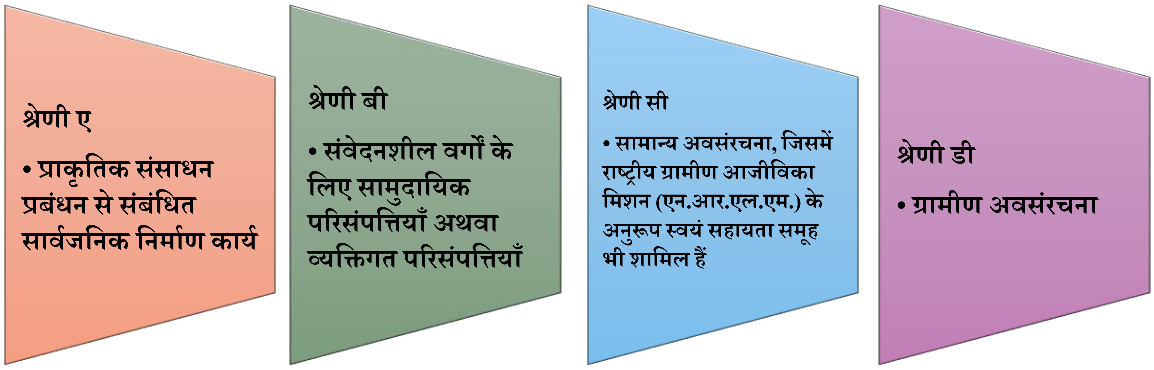

स्रोत मनरेगा, 2005 की अनुसूची-I के अंतर्गत धारा 4

1.8 जियोमनरेगा- मनरेगा के अंतर्गत भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) का क्रियान्वयन

मास्टर परिपत्र के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.) द्वारा जारी कार्यक्रम क्रियान्वयन मार्गदर्शिका 2018-19 के अनुसार, भारत सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों की मोबाइल-आधारित जियोटैगिंग का उपयोग करके जी.आई.एस. डेटाबेस बनाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एन.आर.एस.सी.) के साथ साझेदारी में जियोमनरेगा सॉफ्टवेयर लागू किया है। जी.आई.एस. डेटाबेस तथा मानचित्रों का उपयोग मनरेगा के अंतर्गत कार्यों के विश्लेषण एवं योजना तैयार करने हेतु किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए एन.आर.एस.सी. के भुवन जियो पोर्टल को अनुकूलित किया गया है।

आगे, परिचालन दिशा-निर्देशों (जिसे आगे दिशा-निर्देश कहा गया है) की कंडिका 7.16.2 के अनुसार, जिओमनरेगा को दो चरणों में लागू किया गया है, जहां चरण I में 01 नवम्बर 2017 से पूर्व निर्मित पूर्ण परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग शामिल है, एवं चरण II में 01 नवम्बर 2017 को या उसके बाद शुरू किए गए सभी कार्यों के लिए त्रि-स्तरीय जियोटैगिंग को अनिवार्य किया गया है। कार्य शुरू होने से पहले (स्तर 1), कार्य के मध्यवर्ती स्तर (स्तर 2) तथा इसके पूरा होने के बाद (स्तर 3) स्थल की जियोटैग की गई समय चिन्हित तस्वीरों को कार्य के अभिलेख के रूप में रखा जाना चाहिए एवं परियोजना पूर्णता प्रतिवेदन (पी.सी.आर.) के साथ संलग्न किया जाना चाहिए तथा नरेगासॉफ्ट पर अपलोड किया जाना चाहिए। राज्य में जियोटैगिंग की स्थिति नीचे दी गई ***तालिका 1.2*** में दर्शायी गई है:

तालिका 1.2	राज्य में जियोटैगिंग की स्थिति					
क्र.सं.	चरण	स्तर	कुल कार्य पूर्ण	कुल जियोटैग की गई परिसंपत्तियां	जियोटैग हेतु लंबित	जियोटैग की गई परिसंपत्तियों का प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 (4-5)**	**7 (5/4x100)**
1	I	-	2795325*	2706271	89054	96.81
2	II	1	2715799**	2393681	322118	88.14
3	II	2	2239813**	1873998	365815	83.67
4	II	3	1651706**	1428624	223082	86.49

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े
**वित्तीय वर्ष 2023-24 तक*
***प्रतिवेदन तैयार होने की तिथि तक (30 जुलाई 2025)*

परिसंपत्ति निर्माण में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत जियोटैगिंग महत्वपूर्ण है। कार्यों के निष्पादन और जियोटैगिंग की स्थिति पर लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का विवरण ***अध्याय-VI*** में दिया गया है।

1.9 मनरेगा की सामाजिक लेखापरीक्षा

मनरेगा की एक अभिनव विशेषता यह है कि इसने सतत जन सतर्कता के साधन के रूप में 'सामाजिक लेखापरीक्षा' को संस्थागत रूप दिया है। सामाजिक लेखापरीक्षा का मूल उद्देश्य परियोजनाओं, कानूनों एवं नीतियों के क्रियान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यह व्यक्तियों द्वारा आयोजित की जाती है, विशेष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जो सरकार द्वारा लेखापरीक्षा एवं सुविधा प्रदान की जा रही योजना से प्रभावित हैं, या इसके इच्छित लाभार्थी हैं। सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया में मुख्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ समुदाय द्वारा किसी कार्यक्रम/योजना के क्रियान्वयन एवं उसके परिणामों का सत्यापन शामिल है, जो यह भी जांच करता है कि क्या धन उचित रूप से खर्च किया गया था तथा इससे लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन आया है।

मनरेगा की धारा 17 में कहा गया है कि ग्राम सभा कार्यों के निष्पादन की निगरानी करेगी एवं ग्राम पंचायत के भीतर शुरू की गई योजना के अंतर्गत सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक लेखापरीक्षा करेगी। ग्राम पंचायत सामाजिक लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य हेतु ग्राम सभा को सभी प्रासंगिक अभिलेख उपलब्ध कराएगी। सामाजिक लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का विवरण ***अध्याय-VIII*** में दिया गया है।

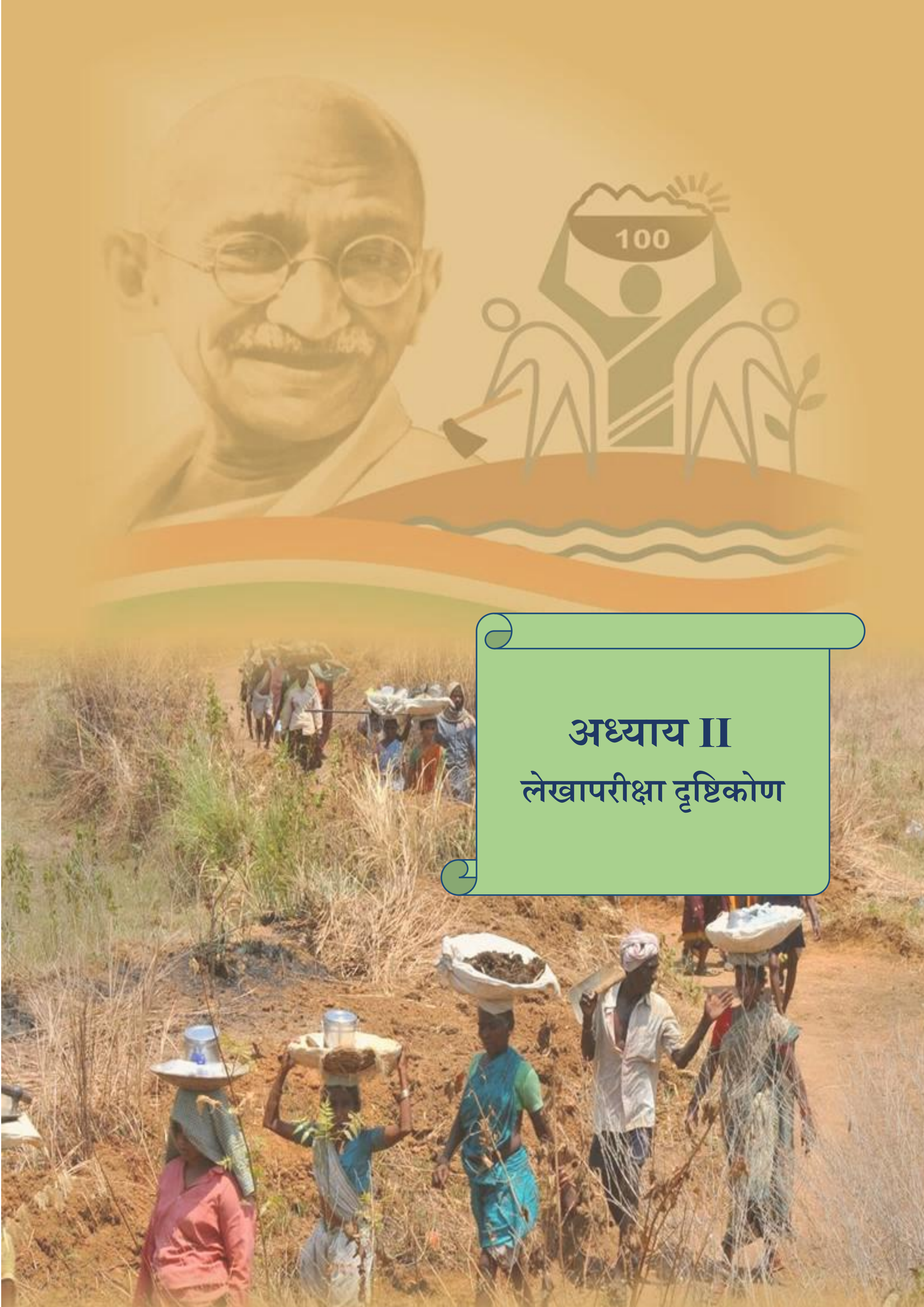

अध्याय II

लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

अध्याय II लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

2.1 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

2.1.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

मध्य प्रदेश राज्य में मनरेगा अधिनियम के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना है कि क्या :

- अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, संबंधित नियमों एवं विनियमों का पालन करते हुए नियोजन प्रक्रिया एवं वित्तीय प्रबंधन प्रथाएँ पर्याप्त रूप से सक्षम थीं?
- रोजगार के अवसरों तक उचित पहुंच सुनिश्चित की गई, साथ ही सामाजिक सुरक्षा एवं आजीविका सुरक्षा के अनुरूप पर्याप्त रोजगार सृजित किए गए?
- नियमों एवं विनियमों के अनुपालन में स्थायी एवं उपयोगी परिसंपत्तियाँ सृजित एवं संधारित की गईं, साथ ही अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित किया गया?
- अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त एवं पर्याप्त निगरानी, सामाजिक लेखापरीक्षा तथा शिकायत निवारण तंत्र स्थापित थे एवं परिकल्पना के अनुरूप कार्य कर रहे थे?

2.1.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं क्रियाविधि

2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए राज्य, जिला, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर जून से अक्टूबर 2024 के बीच स्थानीय लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन (जे.पी.वी.) तथा निरीक्षण किए गए स्थलों की जियोटैगिंग भी की गई थी।

राज्य में योजना क्रियान्वयन पर पूर्व में दो लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी तथा 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए सामान्य एवं सामाजिक (गैर-पी.एस.यू.) क्षेत्रों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2013 का प्रतिवेदन संख्या 4), एवं 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्रों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2017 का प्रतिवेदन संख्या 3) में शामिल की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में यह भी आकलन किया गया है कि क्या शासन ने पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाए गए लेखापरीक्षा अभियुक्तियों के उत्तर में सुधारात्मक कार्रवाई की थी। आगे, इस लेखापरीक्षा के दौरान चिन्हित की गई समान प्रकृति की टिप्पणियों को ***अध्याय - VII*** में ***कंडिका*** *7.5* के अंतर्गत एक सारणीबद्ध प्रारूप में संक्षेपित किया गया है तथा प्रतिवेदन की संबंधित कंडिकाओं के अंतर्गत भी संदर्भित किया गया है।

अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पी. एवं आर.डी.), मध्य प्रदेश शासन के साथ एक प्रवेश सम्मेलन 13 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, क्षेत्र, क्रियाविधि एवं लेखापरीक्षा मानदंडों पर चर्चा की गई थी। प्रारूप प्रतिवेदन 24 जून 2025 को शासन को भेजा गया था। 04 अगस्त 2025 को प्रमुख सचिव (पी.एस.), पंचायत एवं ग्रामीण विकास (पी एवं आर.डी.) विभाग, मध्य प्रदेश शासन के साथ एक निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। निर्गम सम्मेलन में शासन की प्रतिक्रियाओं एवं सितंबर 2025 में प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

2.1.3 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे:

i. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश, 2013, उनमें संशोधन तथा अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए नियम;

ii. ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.), भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र;

iii. मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005;

iv. मनरेगा योजना नियमों की लेखापरीक्षा, 2011

v. मध्य प्रदेश सामाजिक लेखापरीक्षा नियम, 2013

vi. मनरेगा (लोकपाल की नियुक्ति, शक्तियां तथा कर्तव्य) मध्य प्रदेश नियम 2021;

vii. भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) द्वारा जारी सामान्य आदेश, परिपत्र एवं निर्देश, दिशा-निर्देश आदि;

viii. मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एम.पी.एस.ई.जी.सी.) नियम 2006;

2.1.4 लेखापरीक्षा नमूनाकरण

2.1.4.1 नमूना चयन पद्धति तथा नमूना इकाइयाँ

52 जिलों में से, आठ जिले (15 प्रतिशत), जैसा कि नीचे दिए गए ***चार्ट 2.1*** में दिखाया गया है, तथा प्रत्येक चयनित जिले से दो जनपद पंचायतों (जे.पी.) अर्थात कुल 16 जे.पी. को लेखापरीक्षा के लिए स्तरीकृत नमूना पद्धति (स्ट्रैटीफाईड सैंपलिंग मैथड) का उपयोग करके चुना गया था। प्रत्येक नमूना वाले जे.पी. से चार ग्राम पंचायतों (जी.पी.), अर्थात 64 ग्राम पंचायतों का बिना प्रतिस्थापन के आकार के अनुपात में प्रायिकता पद्धति (पी.पी.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) के माध्यम से किया गया था। मध्य प्रदेश में नमूना इकाइयों का प्रतिनिधित्व ***चार्ट 2.1*** में नीचे दिया गया है:

चार्ट 2.1	मध्य प्रदेश राज्य मानचित्र में नमूना इकाइयों का प्रतिनिधित्व

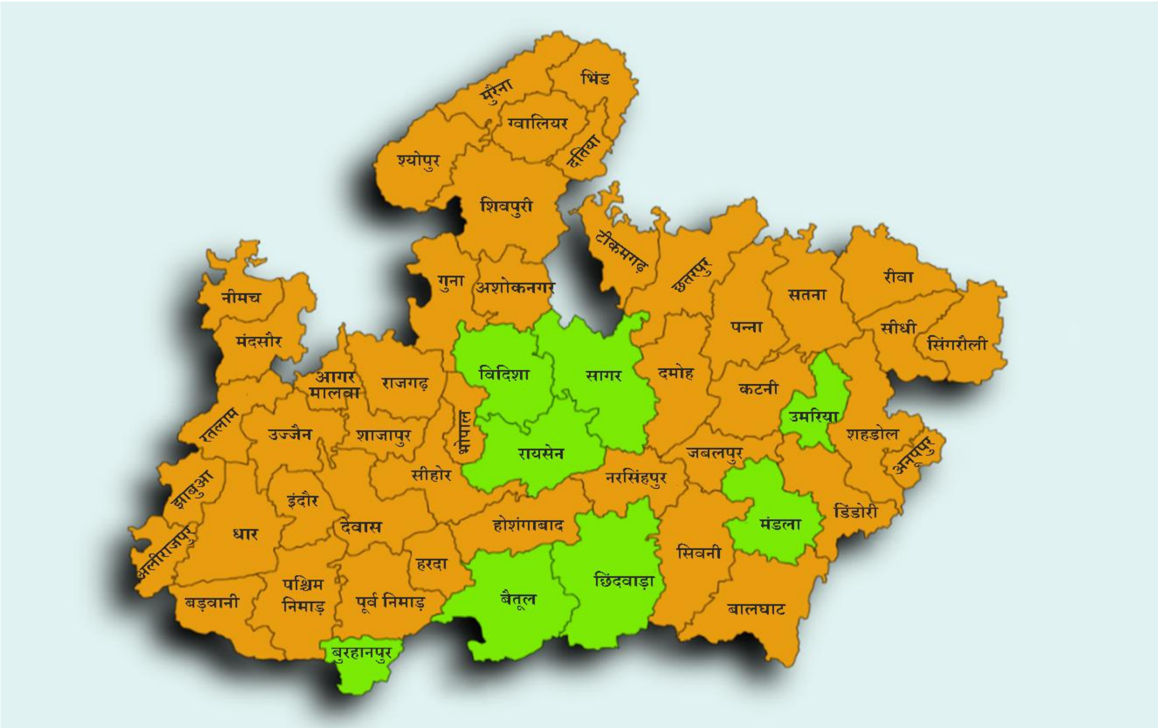

नमूना लिए गए ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक से छः कार्यों, अर्थात 384 कार्यों को बिना प्रतिस्थापन के सरल यादृच्छिक नमूना पद्धति (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) के माध्यम से विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए इस प्रकार चुना गया ताकि जिला स्तर पर महत्वपूर्ण/अभिसरण कार्यों को शामिल किया जा सके। आगे, लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरीक्षण किए गए स्थलों की जियो टैगिंग भी की गई थी।

नमूना लेखापरीक्षा इकाइयों तथा निष्पादित कार्यों की संख्या का सारांश नीचे ***चार्ट 2.2*** में दिया गया है तथा ***परिशिष्ट 2.1*** में विस्तार से बताया गया है।

चार्ट 2.2 **लेखापरीक्षा नमूना चयन का सारांश**

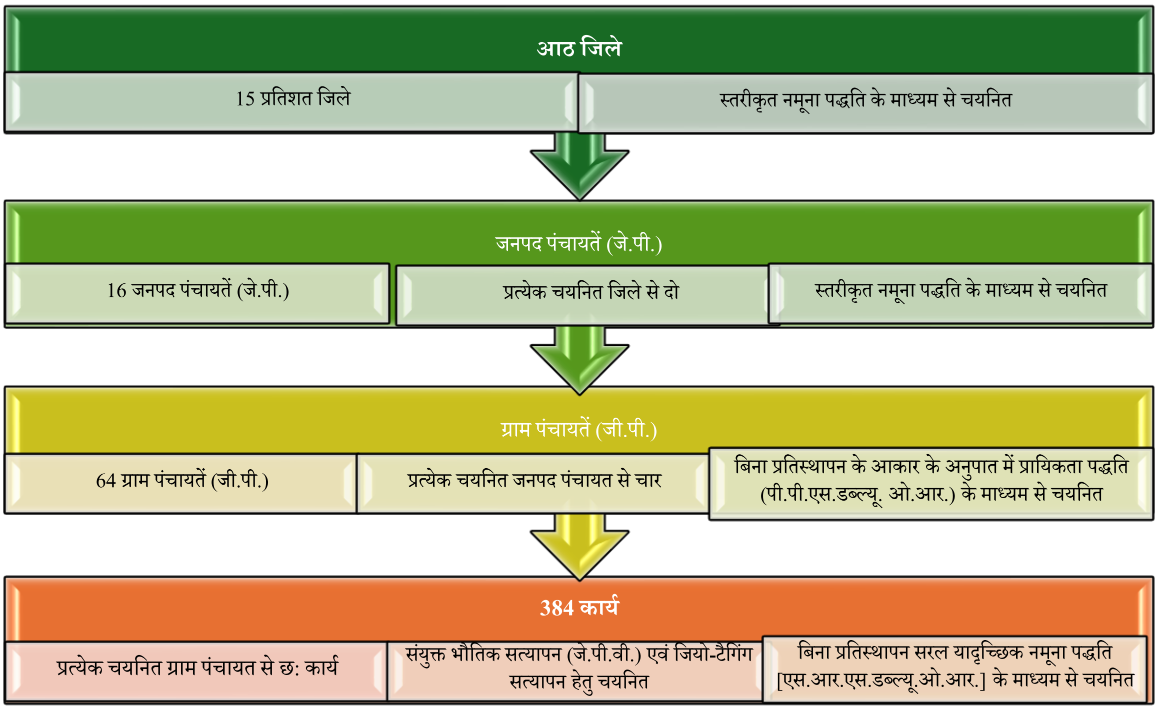

2.2 कार्यक्षेत्र सीमा

चयनित जिलों द्वारा सूचना के कमजोर प्रवाह तथा अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण लेखापरीक्षा प्रक्रिया बाधित हुई क्योंकि लगभग 46 प्रतिशत कार्य संबंधी अभिलेख/दस्तावेज जैसे (i) माप पुस्तिकाएं, (ii) कार्य का प्राकलन, (iii) गुणवत्ता नियंत्रण प्रतिवेदन, (iv) कार्यों के परियोजना पूर्णता प्रतिवेदन, (v) कार्य निरीक्षण प्रतिवेदन एवं (vi) नमूना चयनित कार्यों आदि से संबंधित मस्टर रोल लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे। आगे, 33 प्रतिशत अभिलेख आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए तथा 21 प्रतिशत अभिलेख पूर्ण रूप से प्रस्तुत किए गए थे।

चयनित इकाइयों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण उत्पन्न दायरे की सीमा से लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा लेखापरीक्षा परिणाम प्रभावित हुए।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2025) में, शासन ने इन अभिलेखों को प्रदान करने का आश्वासन दिया। हालाँकि, सितमबर 2025 में प्राप्त उत्तरों के साथ केवल कार्य संबंधित कुछ ही अभिलेख उपलब्ध कराए गए, जिन्हे संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष तैयार करते समय ध्यान में रखा गया।

2.3 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान पी एवं आर.डी. विभाग, एम.पी.एस.ई.जी.सी., जिला पंचायत अधिकारियों, जनपद पंचायत अधिकारियों तथा चयनित लेखापरीक्षित इकाइयों के पंचायत सचिवों एवं उनके कर्मचारियों द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत की गई जानकारी/अभिलेखों के लिए दिए गए सहयोग एवं सहायता के लिए लेखापरीक्षा, आभार व्यक्त करता है।

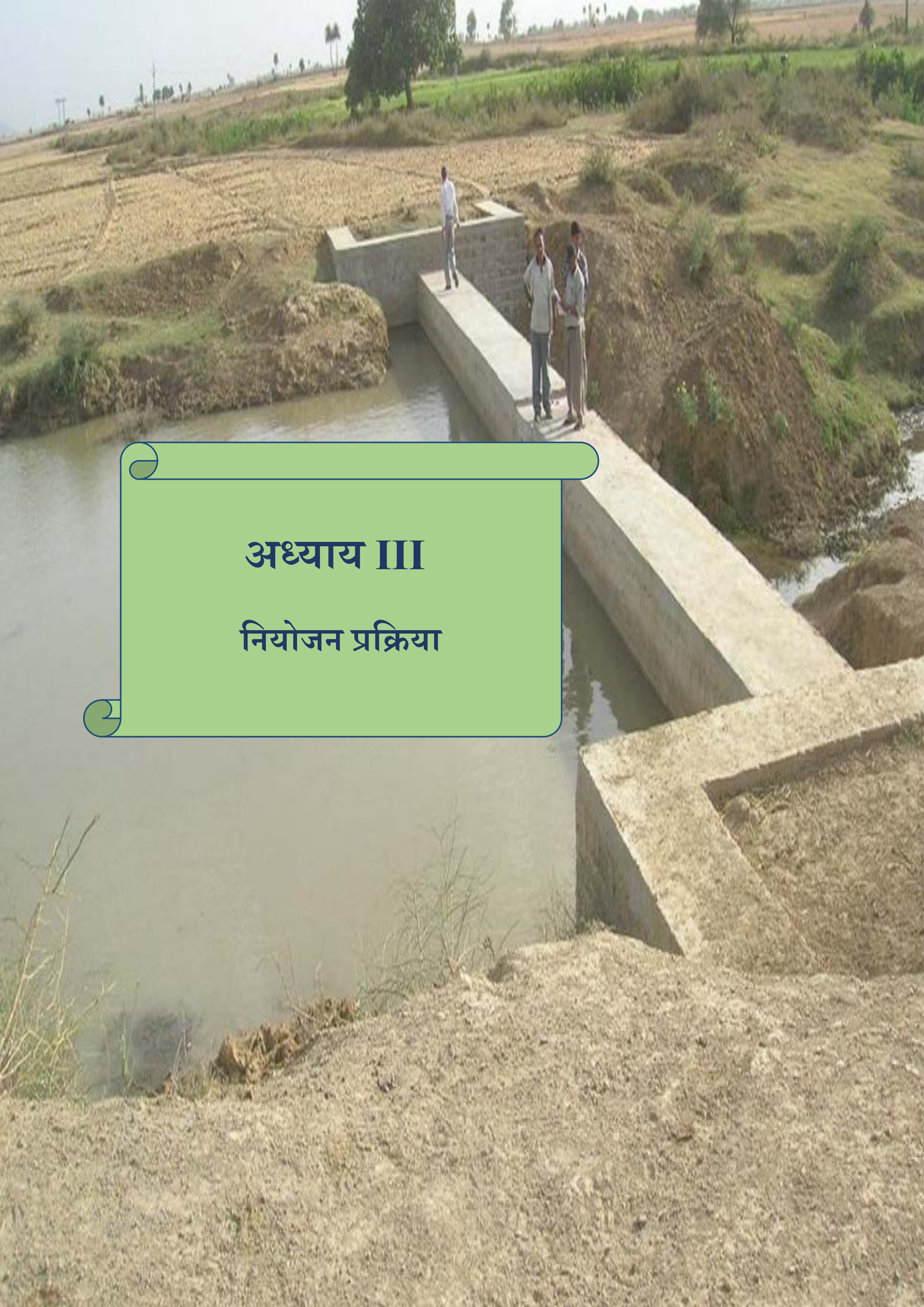

अध्याय III

नियोजन प्रक्रिया

अध्याय III

नियोजन प्रक्रिया

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

- रोजगार की मांग की वास्तविक मात्रा एवं समय का आकलन करने के लिए ग्राम पंचायतों (जी.पी.) द्वारा आधारभूत सर्वेक्षण एवं घर-घर सर्वेक्षण नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप निशक्त व्यक्तियों, विधवा/परित्यक्त/निराश्रित महिलाओं की पर्याप्त पहचान नहीं हो पाई।
- राज्य-विशिष्ट सूचना, शिक्षा एवं संचार योजना तैयार नहीं की गई थी, जो श्रमिकों द्वारा रोजगार की मांग में लगातार गिरावट के कारणों में से एक है। परिणामस्वरूप, हितधारकों के बीच योजना के बारे में जागरूकता की कमी के कारण मनरेगा की योजना एवं क्रियान्वयन अप्रभावी रहा ।
- जिला स्तर पर बहुवर्षीय जिला परिप्रेक्ष्य योजना तथा ग्राम पंचायत स्तर पर विकास योजनाएं तैयार नहीं की गई थीं।
- ग्राम पंचायतों द्वारा अनुमानित मांग पर विचार किए बिना श्रम बजट (एल.बी.) तैयार करना।
- चयनित ग्राम पंचायतों द्वारा रोजगार दिवस का आयोजन न करना।
- राज्य, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत सभी चारों स्तरों पर कर्मचारियों एवं महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की कमी थी। अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक (ए.डी.पी.सी.) तथा समर्पित कार्यक्रम अधिकारियों को विशेष रूप से मनरेगा के लिए नियुक्त नहीं किया गया था।
- दिशा-निर्देशों में परिभाषित पाठ्यक्रमों को विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया गया था एवं जिला स्तर पर मनरेगा मानव संसाधन विकास एवं क्षमता निर्माण प्रभागों की स्थापना नहीं की गई थी।

3.1 योजना एवं नियमों का नियमन

मनरेगा, 2005 की धारा 4(1), अध्याय-III में यह निर्धारित है कि प्रत्येक राज्य शासन, अधिनियम के लागू होने की तिथि से छ: माह के भीतर राज्य में मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए एक योजना बनाएगा। मनरेगा, 2005 की धारा 17 में ग्राम सभा द्वारा कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा के प्रावधान किए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 2005 (एम.पी.आर.ई.जी.एस.) एवं सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए मध्य प्रदेश सामाजिक लेखापरीक्षा नियम, 2013 को अधिसूचित (जनवरी 2006 तथा अगस्त 2013) किया।

3.2 सर्वेक्षणों का आयोजन

3.2.1 ग्राम पंचायतों में आधारभूत सर्वेक्षण नहीं किया गया

दिशा-निर्देशों की कंडिका 6.2 (i) में निर्धारित है कि ग्राम पंचायत में रोजगार की मांग की मात्रा एवं समय का आकलन करने हेतु आधार तैयार करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत (जी.पी.) में जॉब कार्ड धारकों का सर्वेक्षण अनिवार्य रूप से किया जाना है। सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत में प्रत्येक जॉब कार्ड धारक से वर्ष के विभिन्न समयों में रोजगार की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। आधारभूत सर्वेक्षण के लिए प्रयोग हेतु रूपरेखा एवं कार्यप्रणाली को अंतिम रूप देने के लिए प्रत्येक राज्य में विशेषज्ञ संस्थानों को अलग से सूचीबद्ध किया जाए। आजीविका के स्थानीय पैटर्न में परिवर्तन एवं उत्पादन गतिविधियों में कार्य के अवसरों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार घरेलू सर्वेक्षण के आधार पर आधार वर्ष के श्रम बजट/कार्य की मांग का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, कंडिका 6.2 (ii) में आजीविका के स्थानीय पैटर्न में परिवर्तन एवं उत्पादन गतिविधियों में कार्य के अवसरों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार किए गए घरेलू सर्वेक्षण के आधार पर श्रम बजट/कार्य की मांग के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान है।

परिषद द्वारा विशेषज्ञ संस्थाओं को सूचीबद्ध करने, प्रायोगिक अध्ययन एवं आधारभूत सर्वेक्षण करने एवं प्रत्येक पांच वर्षों में श्रम बजट/कार्य की मांग का पुनर्मूल्यांकन करने के संबंध में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए, जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान किसी भी आधारभूत सर्वेक्षण का आयोजन न होने का संकेत देता है।

सभी पात्र परिवारों की पहचान करने एवं योजना के अंतर्गत उनका समावेश सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण करना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के सर्वेक्षणों का अभाव समान लाभार्थी आच्छादन एवं योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य को कमजोर करता है।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने इस तथ्य को स्वीकार किया (अगस्त 2025) एवं कहा कि योजना के प्रारंभ में एक आधारभूत सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन उसके बाद कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

3.2.2 घर-घर सर्वेक्षण नहीं किया गया

दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 3.1.1 (ii) में निर्धारित है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष उस समय घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, जब लोग रोजगार की तलाश में या अन्य कारणों से अन्य क्षेत्रों में प्रवास ना कर गए हों, ताकि ऐसे पात्र परिवारों की पहचान की जा सके जो पंजीकृत होने से चूक गए हैं एवं अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहते हैं। पंजीकरण के लिए निराश्रितों/विधवाओं, दिव्यांग, आदिम जनजातीय समूह, घुमंतू जनजातीय समूह, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित समूहों तक पहुंचने के लिए विशेष प्रयास किए जाने थे।

एम.पी.एस.ई.जी.सी. ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि घरेलू रोजगार की स्थिति का आकलन करने के लिए सभी ग्राम पंचायतों द्वारा घर-घर सर्वेक्षण किया गया था। हालांकि, फील्ड सत्यापन के दौरान, चयनित ग्राम पंचायतों ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि उनके अधिकार-क्षेत्र के क्षेत्रों में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

यह विसंगति, रिपोर्ट किए गए लाभार्थी आंकड़ों की सटीकता पर संदेह पैदा करती है। यह कार्यक्रम के निगरानी ढांचे की विश्वसनीयता को कमजोर करता है एवं इसके परिणामस्वरूप लक्षित समूहों के पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण न होने की संभावना रहती है, जैसा कि इस प्रतिवेदन की ***कंडिका 5.2*** एवं ***5.4*** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, यह मुद्दा पिछली लेखापरीक्षा

अनुशंसाओं के अनुपालन में कमी को इंगित करता है, जिसमें लाभार्थियों की सटीक पहचान हेतु घर-घर सर्वेक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किया गया श्रम बजट स्थानीय स्तर पर किए गए घर-घर सर्वेक्षण पर आधारित है। आगे, इसमें कहा गया कि ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत कार्य योजना तैयार करने में घर-घर सर्वेक्षण कराने का प्रावधान भी शामिल है, जिसके कारण मनरेगा के अंतर्गत पृथक सर्वेक्षण आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि चयनित ग्राम पंचायतों में से किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की कि घर-घर सर्वेक्षण किया गया था, तथा न ही ऐसे सर्वेक्षणों का कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया था।

3.3 राज्य-विशिष्ट सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) योजना तैयार न करना

दिशा-निर्देशों के पैरा 5.4.2 में प्रावधान है कि सभी राज्यों को योजना की एक आई.ई.सी. योजना विकसित करनी चाहिए, जिसमें पंजीकृत श्रमिकों के साथ-साथ अन्य समूहों, जो योजना से लाभान्वित हो सकते हैं, तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। आई.ई.सी. योजना में राज्य, जिला, ब्लॉक एवं स्थानीय स्तर की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। आगे, वार्षिक मास्टर परिपत्र (ए.एम.सी.) 2018-19 के पैरा 11.4 के अनुसार, राज्यों को प्रतिवर्ष अपनी आई.ई.सी. योजनाएं तैयार करनी होंगी एवं नियमित अंतराल पर मंत्रालय को प्रतिवेदन भेजना होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-24 के दौरान एम.पी.एस.ई.जी.सी. द्वारा राज्य स्तर पर आई.ई.सी. योजना तैयार नहीं की गई थी।

एम.पी.एस.ई.जी.सी. ने स्वीकार किया (अगस्त 2024) कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों के कारण आई.ई.सी. योजना तैयार नहीं की गई थी। महामारी से पूर्व, दीवार पेंटिंग, सार्वजनिक सूचना पट्टों पर प्रदर्शन एवं समाचार पत्रों में विज्ञापन जैसी आई.ई.सी. गतिविधियां आयोजित की जाती थीं। आगे, शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार आई.ई.सी. गतिविधियों को आगामी वर्षों 2023-24 से 2025-26 के दौरान लागू किया गया था।

तथ्य यह है कि राज्य-विशिष्ट आई.ई.सी. योजना तैयार नहीं की गई थी। यद्यपि कोविड-19 ने व्यवधान पैदा किया, औपचारिक आई.ई.सी. योजना का अभाव रणनीतिक तैयारी एवं तत्परता में एक महत्वपूर्ण कमी को इंगित करता है। आगे, राज्य-विशिष्ट योजना के बिना, पूरी तरह से भारत सरकार के निर्देशों पर निर्भर रहने से, विशेष रूप से स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने एवं लगातार सार्वजनिक जुड़ाव बनाए रखने में आई.ई.सी. गतिविधियों की प्रभावशीलता एवं पहुंच को सीमित करता है। इसके अतिरिक्त, राज्य में योजना के क्रियान्वयन होने के 20 वर्षों के बावजूद, औपचारिक आई.ई.सी. योजना का निरंतर अभाव, ग्रामीण श्रमिकों के बीच कम जागरुकता और भागीदारी का कारण बनता है, जिससे राज्य में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार की मांग में गिरावट आती है।

यह संभावित रूप से रोजगार की मांग में गिरावट का कारण है, जिसमें कोविड अवधि (2020-22) को छोड़कर 2019-24 के दौरान निरंतर गिरावट देखी गई, जैसा कि ***चार्ट 3.1*** में दर्शाया गया है:

(लाख में)

चार्ट 3.1 **राज्य में रोजगार की मांग में गिरावट**

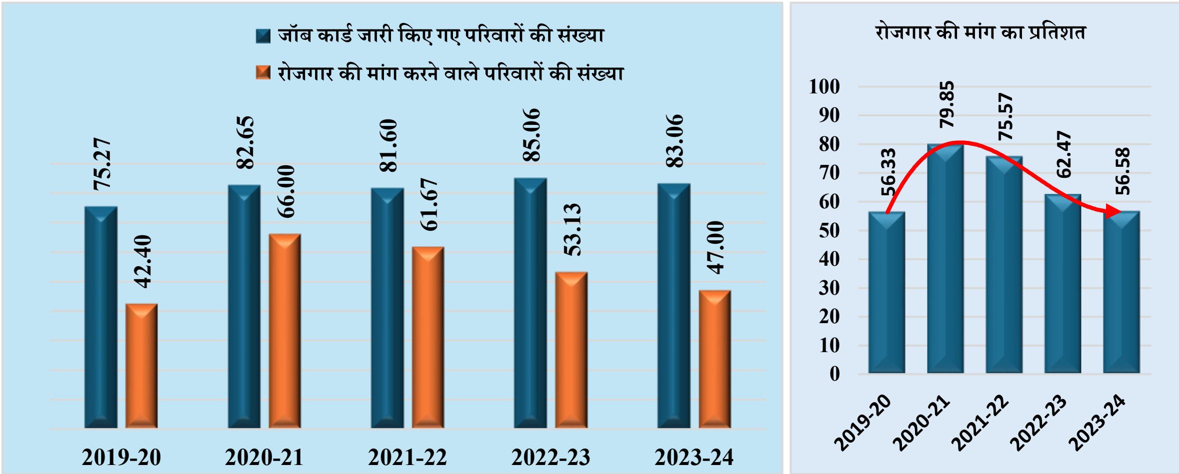

स्रोत: एम.आई.एस. आंकड़े

इसके अतिरिक्त, कोविड अवधि (2020-22) को छोड़कर 2019-24 के दौरान आठ नमूना-जांच किए गए जिलों में रोजगार की मांग 70.32 से घटकर 64.72 प्रतिशत हो गई, जैसा कि नीचे ***चार्ट 3.2*** से देखा जा सकता है:

(लाख में)

चार्ट 3.2 **नमूना-जांच किए गए जिलों में रोजगार की मांग में गिरावट**

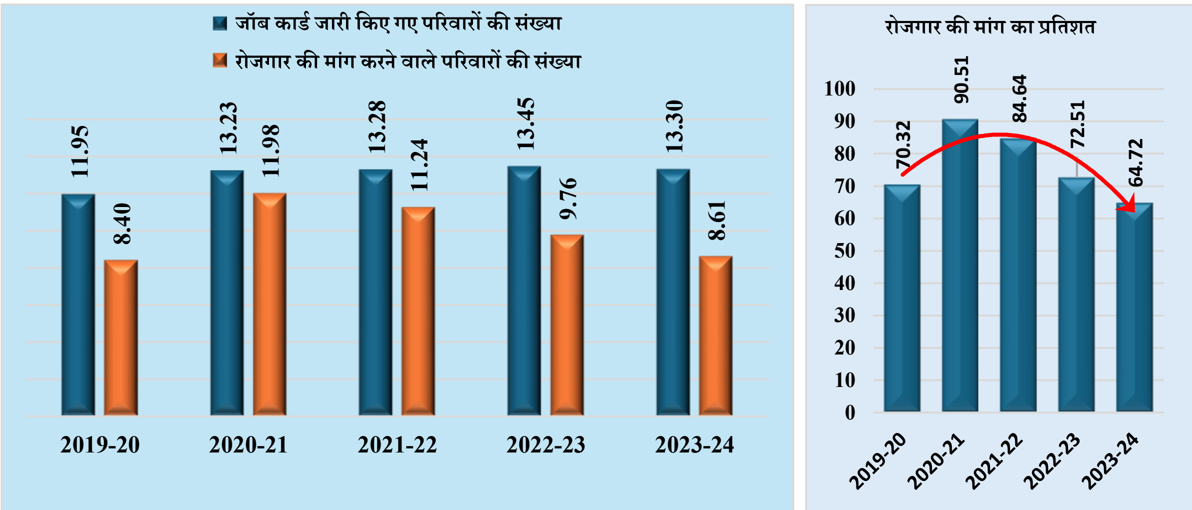

स्रोत: चयनित जिला पंचायतों द्वारा प्रदान की गई जानकारी

राज्य एवं जिले दोनों में रोजगार की मांग में आई गिरावट, जिसका कारण राज्य-विशिष्ट आई.ई.सी. योजना का अभाव है, को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में नकारा नहीं जा सकता है।

3.4 जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं

दिशा-निर्देशों की कण्डिका 15.3.1 एवं 15.3.1.1 में यह निर्धारित है कि अभिसरण के क्रियान्वयन के लिए, जिला कार्यक्रम समन्वयक (डी.पी.सी.) द्वारा एक जिला परिप्रेक्ष्य योजना (डी.पी.पी.) तैयार की जानी चाहिए जो जिलों के सभी क्षेत्रों में आवश्यकताओं एवं कमियों की पहचान करती है। यह योजना, विभिन्न विभागीय परियोजनाओं के लिए एक बहु-वर्षीय योजना है

एवं इसे ग्राम पंचायत की विकास योजना में शामिल करना आवश्यक है। साथ ही, इसमें अपेक्षित है कि जब कभी भी कार्यों की मांग उत्पन्न होती है, तो योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले संभावित कार्यों की एक शेल्फ (सूची) का रखरखाव किया जाना चाहिए।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि चयनित जिलों में से किसी ने भी लेखापरीक्षा अवधि 2019-24 के दौरान अपने स्तर पर डी.पी.पी. तैयार नहीं की थी। परिणामस्वरूप, सभी क्षेत्रों में आवश्यकताओं एवं कमियों, विशेष रूप से अभिसरण के संदर्भ में, की पहचान नहीं की जा सकी। इस तथ्य को संबंधित जिला पंचायतों द्वारा भी स्वीकार किया गया था।

आगे, यह मुद्दा पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का पालन न करने को इंगित करता है, जिसमें जिला पंचायतों द्वारा डी.पी.पी. तैयार करने तथा उसके लिए अनुमोदन प्राप्त करने में अनियमितताओं को रेखांकित किया गया था। डी.पी.पी. के अभाव के कारण क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं कमियों की पहचान नहीं हो सकी तथा इससे अभिसरण योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जैसा कि ***कंडिका 6.4*** में दर्शाया गया है।

अपने उत्तर (सितंबर 2025) में यह कहा गया कि परिषद ने एक 'प्लानर' सॉफ्टवेयर (2024-25 में) विकसित किया है जो श्रम बजट तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यक अनुमानित व्यक्ति-दिवसों के आधार पर कार्य योजना बनाने में सहायता प्राप्त होती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, यद्यपि उल्लिखित सॉफ्टवेयर, परिचालन कार्य योजना की सुविधा प्रदान करता है, फिर भी जिला परिप्रेक्ष्य योजना (डी.पी.पी.) की तरह रणनीतिक, दीर्घकालिक योजना एवं प्राथमिकता निर्धारण की आवश्यकता बनी हुई है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा अवधि (2019-24) के दौरान डी.पी.पी. तैयार न करने के संबंध में उत्तर मौन है।

3.5 ब्लॉक संसाधन केंद्र की स्थापना

दिशा-निर्देशों की कंडिका 4.3.2 में यह निर्धारित है कि एक ब्लॉक संसाधन केंद्र (बी.आर.सी.) को ज्ञान इनपुट, क्षमता निर्माण एवं अभिसरण के लिए संसाधन एवं सुविधा केंद्र के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। बी.आर.सी., योजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, योजना के लिए आवश्यक स्थानीय प्राकृतिक संसाधन बंदोबस्ती[2] पर डेटाबेस संधारण करने तथा क्लस्टर सुविधा दल (सी.एफ.टी.) को प्रत्येक बस्ती के मानचित्र/टोपो-शीट की आपूर्ति करने के साथ ही साथ कमियों को भरने एवं मूल्यवर्धन के लिए मनरेगा एवं शासन की अन्य उत्पादन-उन्मुख योजनाओं के बीच अभिसरण सुनिश्चित करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बी.आर.सी. को किसी भी चयनित जे.पी. में ज्ञान इनपुट, क्षमता निर्माण एवं अभिसरण के लिए संसाधन एवं सुविधा केंद्र के रूप में स्थापित नहीं किया गया था।

संसाधन एवं सुविधा केंद्र के रूप में बी.आर.सी. के अभाव के परिणामस्वरूप क्षमता निर्माण अपर्याप्त रही एवं ब्लॉक स्तर पर मनरेगा योजना एवं अभिसरण गतिविधियों के लिए आवश्यक इनपुट की कमी रही।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि वार्षिक मास्टर परिपत्र 2024-25, ब्लॉक संसाधन केंद्रों की स्थापना के संबंध में कोई निर्देश नहीं देता है, न ही भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए योजना के अंतर्गत कोई बजटीय प्रावधान उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में, सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अंतर्गत कार्यकलापों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिचालन दिशा-निर्देश 2013 में ब्लॉक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का उल्लेख किया गया है, जो किसी भी जनपद पंचायत में स्थापित नहीं किए गए थे। आगे, यद्यपि वार्षिक मास्टर परिपत्रों में स्पष्ट रूप से ब्लॉक संसाधन केन्द्रों

[2] भूजल, वर्षा, मृदा आदि

की स्थापना का प्रावधान नहीं दिया गया है, फिर भी मनरेगा के अंतर्गत तकनीकी सहायता, योजना, अभिसरण एवं क्षमता निर्माण प्रदान करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहती है।

3.6 विकास योजना एवं परियोजनाओं की सूची (शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट) तैयार करना

दिशा-निर्देशों की कंडिका 6.3 के अनुसार, ग्राम पंचायतों को नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण अपनाते हुए विकास योजना तैयार करनी चाहिए, जिसकी शुरुआत हितधारकों[3] से परामर्श के माध्यम से आवश्यकताओं की पहचान, संसाधनों का आकलन, तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप योजना का प्रारूप तैयार करने से होगी। विकास योजना के उन घटकों को जिन्हें मनरेगा के अंतर्गत प्रारंभ किया जा सकता है, उन्हें श्रम बजट में शामिल की जाने वाली परियोजनाओं के शेल्फ के रूप में पृथक रूप से चिन्हित किया जाएगा। प्रारूप योजना को ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा तथा ग्राम सभा के सुझावों को सम्मिलित करते हुए अनुमोदित कराया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा निर्धारित कार्यों की प्राथमिकता को प्रभावित किए बिना ग्राम पंचायत की विशेष बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित मनरेगा घटक सहित योजना पर चर्चा की जाएगी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि नमूना-जांच की गई ग्राम पंचायतों द्वारा विकास योजनायें तैयार नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि 64 नमूना-जांच की गई ग्राम पंचायतों में से केवल 16 ग्राम पंचायतों ने एस.ओ.पी. की पहचान की एवं आठ ग्राम पंचायतों को ग्राम सभाओं से अनुमोदन प्राप्त था।

परिणामस्वरूप, ग्राम पंचायते विकास कार्यों की वास्तविक आवश्यकता एवं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का आकलन नहीं कर सकी। इसके अलावा यह मुद्दा पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उल्लंघन को इंगित करता है, जिसमें ग्राम पंचायतों द्वारा विकास योजनाएं तैयार करने के दौरान निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन में अनियमितताओं को रेखांकित किया गया था। श्रम बजट (एल.बी.) की अवास्तविक तैयारी डी.पी.पी. तैयार करने में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि आगामी कंडिकाओं में वर्णित है।

अपने उत्तर (सितंबर 2025) में यह कहा गया कि परिषद ने एक 'प्लानर' सॉफ्टवेयर (2024-25 में) विकसित किया है जो श्रम बजट तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यक अनुमानित व्यक्ति-दिवसों के आधार पर कार्य योजना बनाने में सहायता प्राप्त होती है। निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2025) के दौरान, शासन ने आश्वासन दिया कि परियोजनाओं की एक सूची (शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट) की पहचान सुनिश्चित करने एवं ग्राम सभाओं से उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, यद्यपि उल्लिखित सॉफ्टवेयर परिचालन कार्य योजना को सुगम बनाता है, फिर भी ग्राम पंचायत स्तरों पर कार्यों की रणनीतिक प्राथमिकता निर्धारण की आवश्यकता, जैसा कि एक उचित रूप से तैयार विकास योजना (डी.पी.) में अपेक्षित है, बनी रहती है। आगे, लेखापरीक्षा अवधि (2019-24) के दौरान डी.पी. तैयार न करने के संबंध में उत्तर मौन है।

3.6.1 ग्राम पंचायतों द्वारा अनुमानित मांग पर विचार किए बिना श्रम बजट (एल.बी.) तैयार करना

दिशा-निर्देशों की कंडिका 6 में मजदूरी चाहने वाले व्यक्तियों द्वारा कार्य की मांग को सटीक रूप से दर्ज करने के लिए आवश्यक चरण निर्धारित किए गए हैं। मांग दर्ज करने से पूर्व, संभावित कार्य की मात्रा एवं समय का आकलन किया जाना चाहिए। साथ ही, इस मांग को पूरा करने के लिए परियोजना की सूची (एस.ओ.पी.) तैयार की जानी चाहिए एवं उनकी प्राथमिकता निर्धारित की जानी है। कार्य की मांग एवं आपूर्ति का यह समन्वय योजना की प्रक्रिया है जिसे श्रम बजट (एल.बी.) की तैयारी के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। श्रम बजट तैयार करने की प्रक्रिया को ***चार्ट 3.3*** में दर्शाया गया है:

[3] मनरेगा श्रमिक, एस.एच.जी., लघु एवं सीमांत किसान, जलग्रहण समितियाँ तथा कृषि श्रमिक

चार्ट 3.3	श्रम बजट तैयार करने की प्रक्रिया एवं समय-सीमा

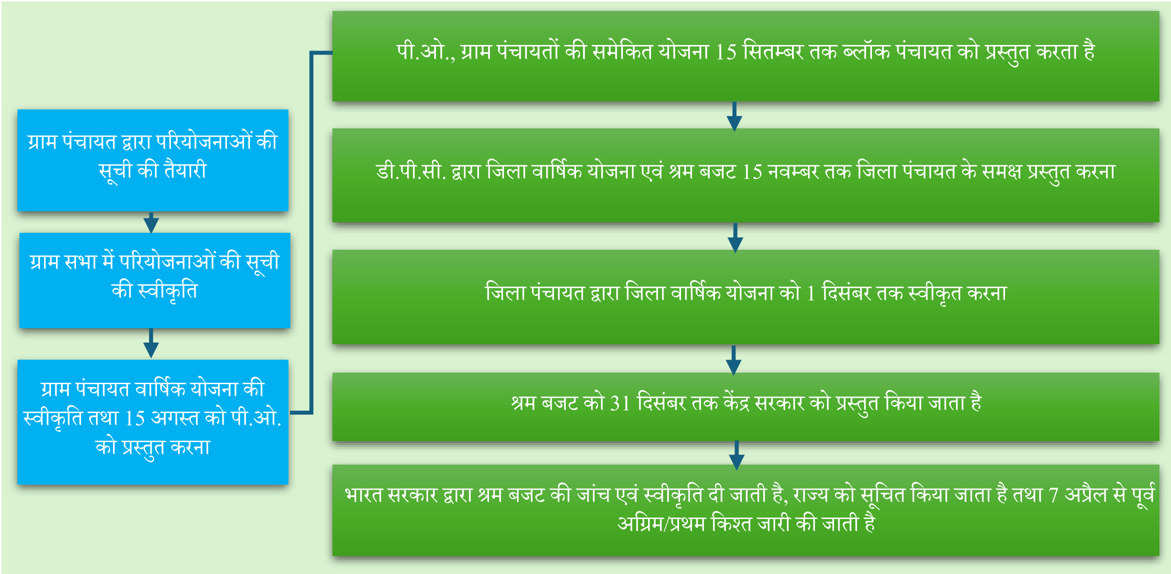

स्रोत: मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 की कंडिका 6.10

लेखापरीक्षा में देखा गया कि एल.बी. को नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण से तैयार नहीं किया गया था। एल.बी. तैयार करने एवं ग्राम सभा द्वारा इसके अनुमोदन के संबंध में लेखापरीक्षा को कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे। ग्राम पंचायतों के एल.बी. को जे.पी. द्वारा तैयार एवं अपलोड किया जाना पाया गया तथा तत्पश्चात संबंधित जिला पंचायतों को भेजा गया था एवं जिला पंचायतों ने नरेगासॉफ्ट पोर्टल के माध्यम से एम.पी.एस.ई.जी.सी. को समेकित एल.बी. प्रस्तुत किया था। इसके अलावा, चयनित जे.पी. द्वारा तैयार किए गए एवं संबंधित जिला पंचायतों द्वारा समेकित व्यक्ति-दिवसों (पी.डी.) के बीच अत्यधिक भिन्नता थी। उपरोक्त के कारण एल.बी. की तैयारी में ग्राम पंचायतों की भागीदारी नहीं रही। नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण में एल.बी. तैयार नहीं करने का प्रभाव यह रहा कि अनुमानित एवं वास्तविक रूप से सृजित पी.डी. के बीच भारी भिन्नता देखी गई, जैसा कि नीचे ***चार्ट 3.4*** एवं ***3.5*** में दर्शाया गया है:

चार्ट 3.4	चयनित जे.पी. द्वारा प्रस्तावित तथा संबंधित जिला पंचायतों द्वारा समेकित पी.डी.

(लाख में)

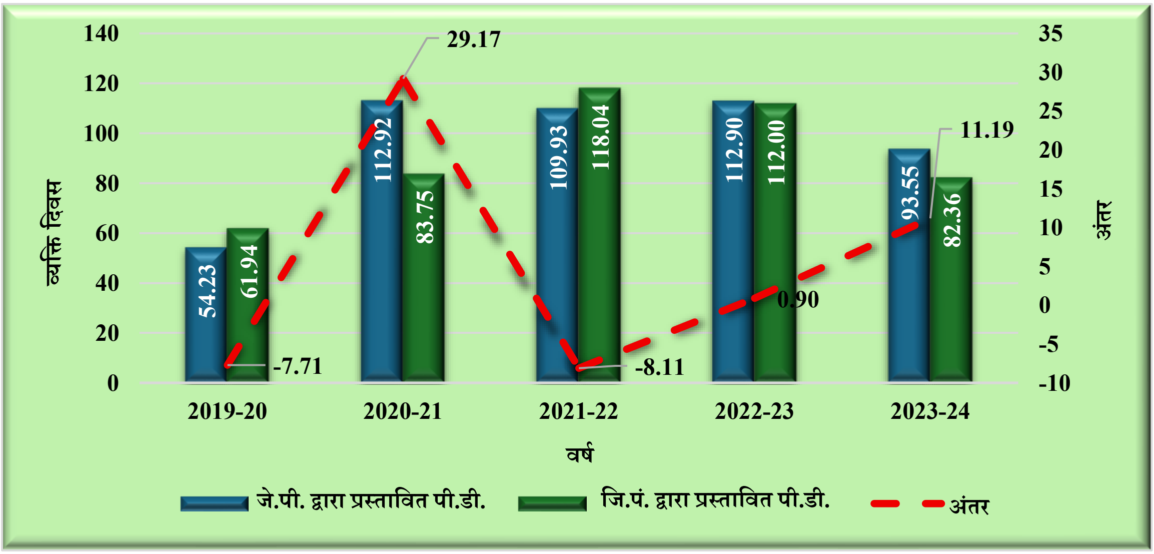

स्रोत: संबंधित जि.पं. एवं जे.पी. के अभिलेख

उपरोक्त चार्ट जिला पंचायतों द्वारा मांगे गए पी.डी. एवं जे.पी. द्वारा प्रस्तावित पी.डी. के बीच सहसंबंध के अभाव को दर्शाता है एवं उनके समन्वय में एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है। ये भिन्नताएं दर्शाती हैं कि जिला पंचायतों ने जनपद अथवा ग्राम पंचायतों द्वारा अनुमानित वास्तविक मांग पर विचार किए बिना ही एल.बी. तैयार कर लिए है।

चार्ट 3.5	राज्य में अनुमानित एवं वास्तविक रूप से सृजित पी.डी.

(करोड़ में)

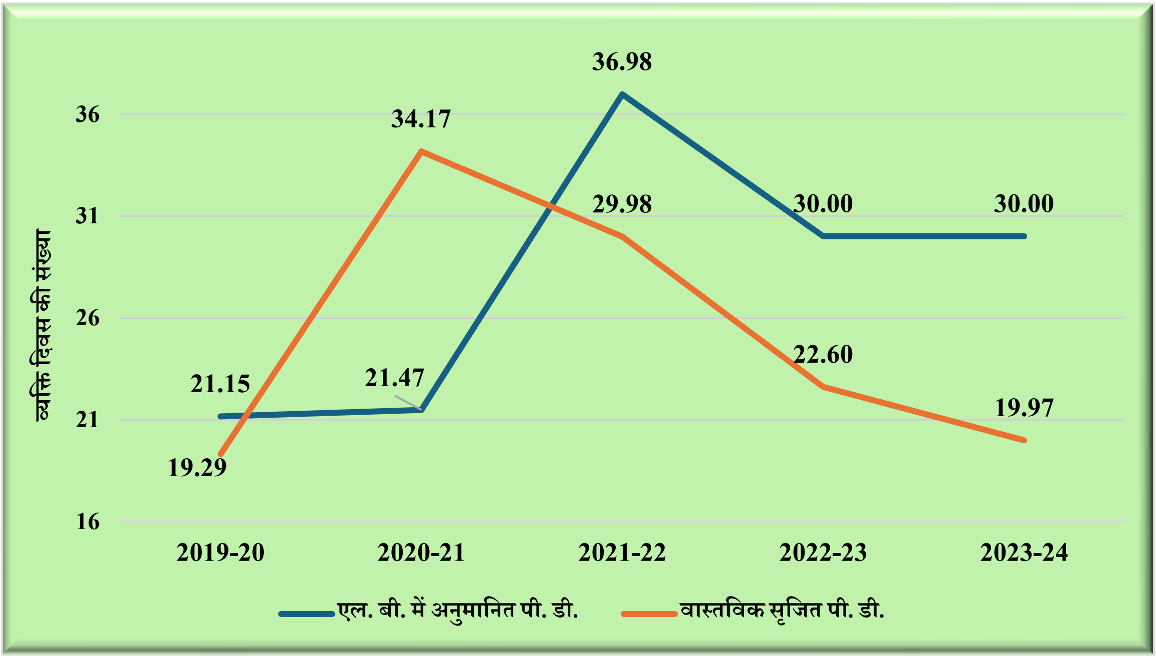

अनुमानित बनाम सृजित के बीच सहसंबंध- 0.052

स्रोत: एम.पी.एस.ई.जी.सी. की नस्तियां एवं अधिकार प्राप्त समिति का कार्यवृत्त

अनुमानित एवं वास्तविक रूप से सृजित पी.डी. के बीच सह संबंध 0.052 पाया गया, जो दोनों के बीच एक नगण्य संबंध को दर्शाता है, जिससे मांग सृजन को दर्ज करने की प्रक्रिया की सटीकता एवं प्रभावशीलता के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं। मांग सृजन को दर्ज करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का अभाव प्रतिवेदन की ***कंडिका 5.2*** में परिलक्षित होता है।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त चार्ट यह दर्शाता है कि कोविड अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत रोजगार की मांग एवं सृजन असाधारण रूप से अधिक था क्योंकि ग्रामीण श्रमिक एवं दिहाड़ी मजदूर महामारी के व्यवधानों के बीच आजीविका के लिए योजना पर निर्भर हो गए। शेष वर्षों में यह प्रवृत्ति रोजगार सृजन के लिए मनरेगा पर घटती निर्भरता को दर्शाती है, जिसके अंतर्निहित कारणों पर इस प्रतिवेदन की ***कंडिका 5.3*** में चर्चा की गई है।

यह भी देखा गया कि यद्यपि दिशा-निर्देशों की कंडिका 12.2 में एल.बी. के संशोधन का प्रावधान है, लेकिन वास्तविक रूप से सृजित की गई पी.डी. के संबंध में संशोधित एल.बी. को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई थी एवं 2020-23 के दौरान भारत सरकार के अनुमोदन से अधिक ₹295.59 करोड़ का भुगतान किया गया था, जैसा कि ***तालिका 3.1*** में दिखाया गया है:

तालिका 3.1	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक मजदूरी का भुगतान		
वर्ष	स्वीकृत एवं वास्तविक रूप से सृजित पी.डी. के बीच का अंतर (करोड़)	मजदूरी की दर (₹)	भारत सरकार की स्वीकृति से परे भुगतान की गई कुल मजदूरी (करोड़ ₹)
2020-21	0.17	190	32.3
2021-22	0.73	193	140.89
2022-23	0.60	204	122.4
कुल	**--**	**--**	**295.59**

स्रोत: एम.आई.एस. आंकड़े

इसके अतिरिक्त, यह मुद्दा पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का पालन न करने को दर्शाता है, जिसमें जिला पंचायतों द्वारा अवास्तविक श्रम बजट तैयार करने में अनियमितताओं को भी उजागर किया गया था।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि वार्षिक मास्टर परिपत्र 2024-25 के प्रावधानों के अनुसार, श्रम बजट ग्राम सभा के माध्यम से नीचे से ऊपर तक के दृष्टिकोण का उपयोग करके तैयार किया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 में, परिषद मुख्यालय ने ग्राम पंचायत प्रविष्टियों की सुविधा के लिए 'प्लानर' सॉफ्टवेयर विकसित किया, जिससे एक समेकित राज्य-स्तरीय श्रम बजट तैयार करने में सहायता प्राप्त हुई।

हालांकि 'प्लानर' सॉफ्टवेयर के माध्यम से श्रम बजट तैयार करना भविष्य की कार्रवाई से संबंधित है, उत्तर में जिला पंचायतों द्वारा मांगे गए पी.डी. एवं जे.पी. द्वारा प्रस्तावित पी.डी. के बीच सहसंबंध की कमी को संबोधित नहीं किया गया है, जो उनके समन्वय में एक महत्वपूर्ण कमी को उजागर करता है।

3.7 रोजगार दिवस का आयोजन

दिशा-निर्देशों की कंडिका 3.3 (i) में निर्धारित है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रत्येक माह में कम से कम एक बार रोजगार दिवस का आयोजन करना चाहिए। वार्षिक मास्टर परिपत्र (ए.एम.सी.) 2019-20 की कंडिका 4.5.1 (ए) के अनुसार, डी.पी.सी. या राज्य शासन द्वारा तैयार किए गए मासिक कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ साझा किया जाना चाहिए।

इस आयोजन में, जी.पी. को वर्तमान के साथ-साथ आगे की तिमाहियों के लिए संभावित श्रमिकों से कार्य के लिए सक्रिय रूप से आवेदन आमंत्रित करना चाहिए। कार्य आवेदनों पर कार्रवाई की जाएगी एवं सूचना का प्रकटीकरण, कार्य का आवंटन, मजदूरी का भुगतान एवं बेरोजगारी भत्ते का भुगतान जैसी संबंधित गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित ग्राम पंचायतों में से किसी ने भी रोजगार दिवस का आयोजन नहीं किया था। ग्राम पंचायत स्तर, जिला स्तर या राज्य स्तर पर आयोजित रोजगार दिवस के संबंध में कोई प्रतिवेदन नहीं पाया गया था तथा साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ कोई मासिक कार्यक्रम साझा नहीं किया गया था।

मासिक रोजगार दिवस का आयोजन न होने से संभावित मजदूरों से जानकारी/आवेदन प्राप्त करने तथा उन्हे कार्य हेतु आवेदन करने के उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता से वंचित कर दिया गया। ***कंडिका 3.6.1*** में रेखांकित अनुमानित से कम रोजगार सृजन का कारण ग्राम पंचायतों द्वारा रोजगार दिवस का आयोजन न किया जाना रहा।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा जारी निर्देशों (अप्रैल 2010) के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा प्रत्येक माह एक निश्चित तिथि पर ग्राम रोजगार दिवस का आयोजन किया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर, जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर रोजगार दिवस के आयोजन के संबंध में कोई प्रतिवेदन नहीं पाया गया।

3.8 मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए संरचनात्मक तंत्र एवं मानव संसाधन

3.8.1 राज्य में जनशक्ति की स्थिति

मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एम.पी.एस.ई.जी.सी.) का गठन (जनवरी, 2006) किया। एम.पी.एस.ई.जी.सी. राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

मनरेगा की धारा 18 में यह प्रावधान है कि राज्य शासन, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डी.पी.सी. एवं पी.ओ. को आवश्यक कर्मचारी एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी।

इसके अलावा, दिशा-निर्देशों की कंडिका 4.1 में यह निर्धारित है कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक (जी.आर.एस.) एवं मेट्स या कार्य स्थल पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

एम.पी.एस.ई.जी.सी., भोपाल द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, मनरेगा के अंतर्गत राज्य[4] में कुल 28,555 पद स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से मार्च 2024 तक 23,514 कर्मचारी पदस्थ किए गए थे। लेखापरीक्षा में जनशक्ति में निम्नानुसार कमी पाई गई;

- एम.पी.एस.ई.जी.सी., भोपाल में 64 प्रतिशत की कमी।
- संभाग स्तर पर 57 प्रतिशत की कमी।
- जिला स्तर पर 63 प्रतिशत की कमी।
- जनपद पंचायत स्तर पर 44 प्रतिशत की कमी।
- ग्राम पंचायत स्तर पर 11 प्रतिशत की कमी।

विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है। 2019-24 के दौरान कमी की समग्र प्रवृत्ति को नीचे ***चार्ट 3.6*** में दर्शाया गया है:

चार्ट 3.6 | **वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य में जनशक्ति की कमी का प्रतिशत**

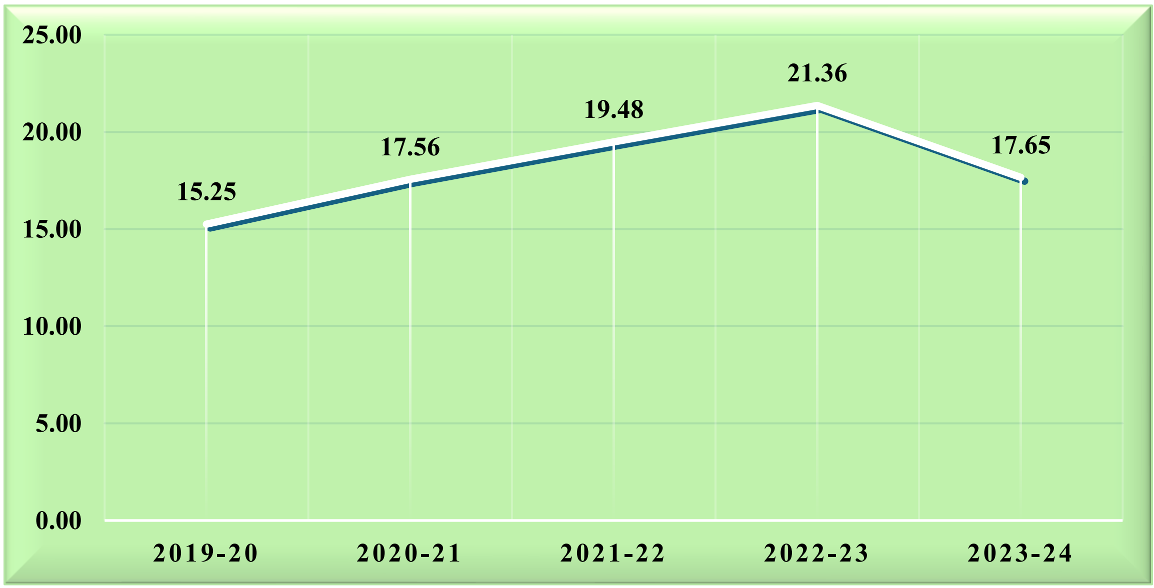

स्रोत: एम.पी.एस.ई.जी.सी. द्वारा प्रदान की गई जानकारी

---

4 सभी स्तरों (राज्य, संभाग, जिला, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं प्रशिक्षण केंद्र) को सम्मिलित करते हुए

उपरोक्त चार्ट 2019-20 से 2023-24 तक पांच वर्ष की अवधि में राज्य में जनशक्ति की प्रतिशत कमी को दर्शाता है। आंकड़ों से पता चलता है कि जनशक्ति की कमी 2019-20 में 15.25 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 21.36 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई, जो इस अवधि के दौरान श्रमिकबल की उपलब्धता में बढ़ते अंतर को दर्शाता है। हालांकि, 2023-24 में, कमी घटकर 17.65 प्रतिशत हो गई, जो जनशक्ति प्रबंधन में कुछ सुधार का संकेत देती है।

आगे, कमी में प्रबंधक, परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी, लेखा अधिकारी, जिला, सहायक अभियंता, उप अभियंता, लेखाकार तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर (डी.ई.ओ.) जैसे प्रमुख पदाधिकारी शामिल हैं।

अपर्याप्त जनशक्ति ने योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, क्योंकि विकास योजना एवं श्रम बजट तैयार करना तथा ग्राम सभा से उनकी स्वीकृति प्राप्त करना, जॉब कार्ड पंजीकरण के लिए घर-घर सर्वेक्षण करना, रोजगार के आवेदनों के लिए दिनांकित रसीदें जारी करना, कार्यस्थल की सुविधाएं सुनिश्चित करना एवं ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा से संबंधित सभी पंजियों का संधारण करना आदि जैसे आवश्यक कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया था, जैसा कि प्रतिवेदन की ***कंडिका 3.2, 3.6, 3.6.1, 5.1.1*** एवं ***6.5*** में रेखांकित किया गया है।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि योजना के प्रशासनिक मद के अंतर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त सीमित निधि को ध्यान में रखते हुए रिक्त पदों को भरना वर्तमान में व्यवहार्य नहीं है।

तथ्य यह है कि आवश्यक कर्मचारियों की कमी के कारण योजना का प्रभावी क्रियान्वयन बाधित हुआ।

3.8.2 अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति

महात्मा गांधी नरेगा परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 की कंडिका 4.4.1 में यह निर्धारित है कि महात्मा गांधी नरेगा के लिए विशेष रूप से एक पूर्णकालिक अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक (ए.डी.पी.सी.) नियुक्त किया जाना चाहिए एवं उसे मनरेगा के दिन-प्रतिदिन के कार्यों की जांच करनी चाहिए तथा जिला स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन में नेतृत्व प्रदान करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को अपने संबंधित जिले में ए.डी.पी.सी. के रूप में नियुक्त किया (जनवरी, 2006), जिनकी जिम्मेदारियां मनरेगा से परे विस्तारित थी ।

चूंकि इस पद हेतु समर्पित ध्यान एवं निरंतर निगरानी की आवश्यकता है, इसलिए इसे अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में सौंपने के कारण पर्याप्त पर्यवेक्षण नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप, विकास योजना तैयार करने, नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण से श्रम बजट तैयार करने एवं लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए स्वीकृत कार्यों के निष्पादन में महत्वपूर्ण कमी आई, जैसा कि आगे प्रतिवेदन की ***कंडिका 3.6, 3.6.1*** एवं ***6.2*** में वर्णित है।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि पंचायती राज विभाग (पी.आर.डी.डी.), जी.ओ.एम.पी. के आदेश (19.01.2006) के अनुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ए.डी.पी.सी. के रूप में नियुक्त किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायतों को विशेष रूप से मनरेगा के लिए ए.डी.पी.सी. के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया गया था, जिससे परिचालन दिशा-निर्देश 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

3.8.3 पूर्णकालिक समर्पित कार्यक्रम अधिकारियों एवं पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण अप्रभावी क्रियान्वयन एवं निगरानी

दिशा-निर्देशों की कण्डिका 4.3.1 एवं कण्डिका 4.2 के अनुसार, पूर्णकालिक समर्पित कार्यक्रम अधिकारी (पी.ओ.) के नेतृत्व में ब्लॉक स्तर पर मानव संसाधन दल होना चाहिए, जिसमे मुख्य रूप से (i) तकनीकी सहायक, (ii) कंप्यूटर ऑपरेटर-सह-लेखा

लिपिक, (iii) स्वैच्छिक तकनीकी दस्ते एवं (iv) क्लस्टर समन्वय दल शामिल होंगे। पी.ओ. ब्लॉक में मनरेगा के सभी कार्यों का समग्र प्रभारी होता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में किसी भी जे.पी. में पूर्णकालिक समर्पित पी.ओ. की नियुक्ति नहीं की गई थी। हालांकि, सी.ई.ओ., जे.पी. को पी.ओ. के रूप में नामित किया गया था।

नमूना-जांच किए गए जे.पी. में 31 मार्च 2024 तक जनशक्ति की स्थिति का विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** में दिया गया है, जिसके अनुसार, विभिन्न पदों में 148 रिक्तियां (19.63 प्रतिशत) थीं।

पूर्णकालिक समर्पित पी.ओ. एवं पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण मनरेगा का क्रियान्वयन एवं निगरानी अप्रभावी रही, ***अध्याय IV से VII*** से यह देखा जा सकता है कि योजना की विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन में कई समस्याएं थीं जैसे आधारभूत सर्वेक्षण, घर-घर सर्वेक्षण, जिला स्तर पर बहु-वर्षीय जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना एवं ग्राम पंचायत स्तर पर विकास योजनाएं, श्रम बजट तैयार करना, विभिन्न अभिलेखों का रखरखाव, ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन, आई.ई.सी. गतिविधियां, कार्यों का शीघ्र चयन, कार्यों की योजना बनाना एवं पूर्णता। इसका कारण पी.ओ. स्तर पर उचित पर्यवेक्षण एवं निगरानी की कमी एवं सहायक कर्मचारियों की अपर्याप्त उपलब्धता को भी माना जा सकता है।

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में पूर्णकालिक समर्पित पी.ओ. की नियुक्ति न होने एवं अपर्याप्त कर्मचारियों के संबंध में रेखांकित किया गया था, जो वास्तविक आवश्यकताओं की तुलना में सीमित सुधार एवं निरंतर कमी को दर्शाता है।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि मध्य प्रदेश में, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.) को कार्यक्रम अधिकारी (पी.ओ.) के रूप में नामित किया गया है, जो एक वरिष्ठ स्तर का अधिकारी है। यह भी निर्दिष्ट किया गया कि रिक्त पद अप्रासंगिक हो गए थे या प्रशासनिक कारणों, सीमित धन एवं सॉफ्टवेयर सिस्टम के क्रियान्वयन के कारण उनके कर्तव्यों को पुनः आवंटित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जे.पी. को विशेष रूप से मनरेगा के लिए पी.ओ. के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया गया था, जिससे परिचालन दिशा-निर्देश 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। आगे, हालांकि उत्तर में अनावश्यक पदों एवं पुनः आवंटित कर्तव्यों के बारे में विवरण प्रदान किया गया था, स्वीकृत संख्या में कोई संशोधन नहीं किया गया था एवं लेखापरीक्षा में अपर्याप्त कर्मचारियों के कारण योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पाया गया।

3.9 प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

दिशा-निर्देशों की कंडिका 5.2.1 एवं 5.2.2 में यह निर्धारित है कि प्रत्येक राज्य मनरेगा के प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका निभाने वाली संस्थाओं की पहचान करने एवं उन्हें सक्रिय करने के लिए मनरेगा मानव संसाधन विकास एवं क्षमता निर्माण प्रभाग (एच.आर.डी.सी.बी.डी.) की स्थापना करेगा एवं प्रत्येक हितधारक के लिए दिशा-निर्देशों की कंडिका 5.3 में परिभाषित पाठ्यक्रमों के अनुसार एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण योजना तैयार करेगा।

आगे, दिशा-निर्देशों की कंडिका 5.2.4 में यह निर्धारित है कि ब्लॉक एवं उप-ब्लॉक क्रियान्वयन टीमों को प्रशिक्षण एवं क्षेत्र आधारित सहायता प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर मनरेगा जिला मानव संसाधन विकास एवं क्षमता निर्माण इकाई (डी.एच.आर.डी.सी.बी.) की स्थापना की जानी है।

राज्य के साथ-साथ जिलों में प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की स्थापना की स्थिति ***तालिका 3.2*** में दिखाई गई है:

तालिका 3.2	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की स्थिति
स्थिति	**प्रभाव**
राज्य स्तर	
◆ लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई राज्य स्तरीय प्रशिक्षण योजना तैयार नहीं की गई थी। ◆ एम.पी.एस.ई.जी.सी. ने 1,88,088 प्रतिभागियों के साथ आठ विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। तथापि, दिशा-निर्देशों में परिभाषित पाठ्यक्रमों जैसे विभिन्न विभागों के साथ समन्वय के लिए अभिसरण एवं कार्यनीति, ग्राम सभा का आयोजन एवं श्रम बजट तैयार करना, देश भर में सर्वोत्तम पद्धतियों का संग्रहण, जागरूकता बढ़ाने के लिए आई.ई.सी., कार्यस्थल सुविधाएं एवं अभिलेखों का रख-रखाव आदि शामिल नहीं किए गए थे।	एक संरचित प्रशिक्षण योजना के अभाव में, विभाग सभी आवश्यक पाठ्यक्रमों में व्यापक क्षमता निर्माण सुनिश्चित नहीं कर सका।
जिला स्तर	
◆ लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित जिलों ने 2019-24 के दौरान डी.एच.आर.डी.सी.बी. की स्थापना नहीं की गई।	डी.एच.आर.डी.सी.बी. की स्थापना न होने के कारण हितधारकों के बीच योजना के बारे में जागरूकता की कमी रही, जिसके परिणामस्वरूप मनरेगा की अप्रभावी योजना एवं निष्पादन हुआ।

एम.पी.एस.ई.जी.सी. ने इस तथ्य को स्वीकार किया (जून 2024) एवं कहा कि हालांकि कोई कैलेंडर तैयार नहीं किया गया था, मॉड्यूल के अनुसार महत्वपूर्ण निष्कर्षों के आधार पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। आगे, निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2025) में यह कहा गया था कि यद्यपि डी.एच.आर.डी.सी.बी. को मनरेगा के अंतर्गत स्थापित नहीं किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)[5] द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था, जिसके पदाधिकारी मनरेगा से संबंधित हैं।

तथ्य यह है कि कोई प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार नहीं किया गया था एवं जिला स्तर पर डी.एच.आर.डी.सी.बी. की स्थापना नहीं की गई थी। आगे, आर.जी.एस.ए. के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आर.जी.एस.ए. पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है एवं यह विशेष रूप से मनरेगा के लिए अभिप्रेत नहीं है।

3.10 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में कार्यों की पहचान के संबंध में अपर्याप्त तैयारी (होमवर्क) एवं योजना तैयार करने में समुदाय की गैर-भागीदारी पाई गई। विभाग ने श्रम मांग की मात्रा एवं समय का आकलन करने के लिए आधारभूत एवं घर-घर सर्वेक्षण नहीं किया। योजना क्रियान्वयन के सभी स्तरों पर नियोजन प्रक्रिया में कमियां देखी गईं। इनमें जिला स्तर पर बहुवर्षीय जिला परिप्रेक्ष्य योजनाओं का अभाव, जनपद स्तर पर क्षमता निर्माण के लिए ब्लॉक संसाधन केंद्रों की स्थापना न होना एवं ग्राम पंचायत (जी.पी.) स्तर पर परियोजनाओं एवं विकास योजनाओं का संकलन न होना शामिल है। आगे, राज्य विशिष्ट आई.ई.सी. योजना तैयार नहीं की गई थी एवं योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आवश्यकतानुसार रोजगार दिवस आयोजित नहीं किए गए थे।

जिला पंचायतों ने जनपद पंचायतों से प्राप्त इनपुट को शामिल किए बिना व्यक्ति-दिवस अनुमान एवं श्रम बजट तैयार किया, जिससे अनुमानित एवं वास्तविक रूप से सृजित व्यक्ति-दिवसों के बीच नगण्य सामंजस्य पाया गया।

इसके अलावा, प्रमुख पदों पर निर्धारित पूर्णकालिक समर्पित कार्मिकों की नियुक्ति न होना एवं दिशा-निर्देशों में परिभाषित पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण का आयोजन न होना देखा गया जो कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए अपर्याप्त योजना को दर्शाता है।

---

[5] वर्ष 2022-23 में भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना

समान मुद्दों से संबंधित पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का पालन न किया जाना विभाग द्वारा अनुत्तरदायी दृष्टिकोण एवं योजना क्रियान्वयन के प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर कमी को दर्शाता है।

3.11 अनुशंसाएं

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए

- *वास्तविक एवं जरूरतमंद लाभार्थियों की पहचान करने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा आधारभूत आँकड़ों एवं घर-घर सर्वेक्षण को अपनाना **(कंडिका 3.2.1 एवं 3.2.2 के संदर्भ में)**।*
- *आवश्यकताओं एवं संसाधनों की पहचान करते हुए नीचे से ऊपर दृष्टिकोण अपनाना, ग्राम पंचायत स्तर पर आई.ई.सी., एस.ओ.पी., श्रम बजट एवं विकास योजना तैयार करना एवं ग्राम सभा में इसका अनुमोदन **(कंडिका 3.3, 3.4, 3.6 एवं 3.6.1 के संदर्भ में)**।*
- *सभी रिक्त पदों को समय पर भरना एवं योजना के सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष रूप से मनरेगा पर केंद्रित विशेष प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना **(कंडिका 3.8 एवं 3.9 के संदर्भ में)**।*

अध्याय IV

वित्तीय प्रबंधन

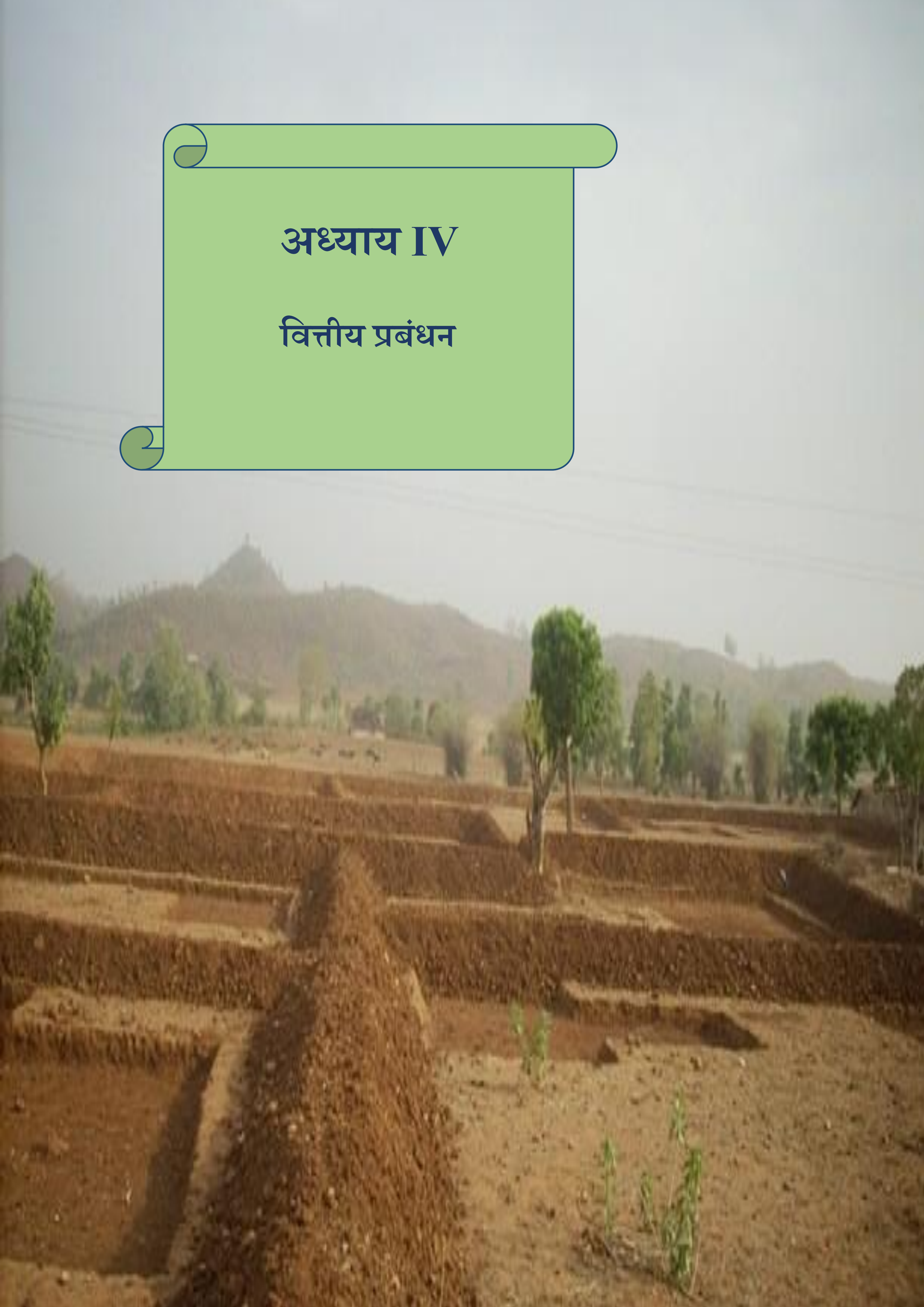

अध्याय IV वित्तीय प्रबंधन

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

- वर्ष 2019-2024 के दौरान निधि का लगातार कम उपयोग देखा गया, जो वर्ष 2021-22 में ₹1703.8 करोड़ के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया।
- मध्य प्रदेश शासन द्वारा निधि हस्तांतरण में विलंब के कारण ₹10.36 करोड़ का दंडात्मक ब्याज नहीं चुकाया गया।
- विभाग के आंकड़ों एवं नरेगासॉफ्ट के डेटा के बीच निधि एवं व्यय के वर्ष 2019-24 के आंकड़ों में लगातार विसंगतियां मौजूद हैं।
- भारत सरकार की अस्वीकृति के बावजूद 2017 के बाद क्लस्टर सुविधा टीमों (सी.एफ.टी.) पर ₹12.21 करोड़ की राशि व्यय की गई, जिसे अनधिकृत माना गया।
- मध्य प्रदेश शासन पर दिनांक 31 मार्च 2024 तक बकाया मजदूरी एवं सामग्री लागत के लिए ₹1217.05 करोड़ की देनदारी है।
- वर्ष 2019-24 की अवधि के लिए मजदूरी के विलंबित भुगतान के लिए ₹35.13 लाख की क्षतिपूर्ति के विरूद्ध ₹9.07 लाख का भुगतान नहीं किया गया।

4.1 मनरेगा का वित्तपोषण

मनरेगा एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। केन्द्रीय अंश (सी.एस.) की निधि का निर्गमन सहमत (केन्द्र एवं राज्य शासनों के बीच) श्रम बजट में श्रम मांग के अनुमान पर आधारित होता है, जो सामान्यतः दो किस्तों में जारी किया जाता है। पहली किश्त का निर्गमन वित्तीय वर्ष के पहले छः माहों के लिए वर्ष के लिए आवश्यक कुल निधि के 50 प्रतिशत तक सीमित आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहमत एल.बी. के अनुसार आनुपातिक निधि की आवश्यकता पर आधारित है, दूसरी किश्त का निर्गमन (i) अव्ययित शेष राशि एवं (ii) वर्ष के दौरान सहमत एल.बी. के विरुद्ध वास्तविक प्रदर्शन पर आधारित होता है।

मनरेगा के विभिन्न घटकों के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य शासन के बीच साझाकरण अनुपात ***तालिका 4.1*** में दिया गया है:

तालिका 4.1 वित्तपोषण पैटर्न

घटक का विवरण	केंद्रीय अंश	राज्य का अंश
अकुशल मैन्युअल श्रमिकों के लिए मजदूरी	100 प्रतिशत	शून्य
कुशल एवं अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
सामग्री की लागत	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
बेरोजगारी भत्ता	शून्य	100 प्रतिशत
प्रशासनिक व्यय	100 प्रतिशत	एस.ई.जी.सी. का व्यय
श्रमिकों को मजदूरी के विलंबित भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति	शून्य	100 प्रतिशत

स्रोत: मनरेगा अधिनियम, 2005 एवं परिचालन दिशा-निर्देश 2013

4.2 मनरेगा के लिए निधि जारी करना

वार्षिक मास्टर परिपत्र 2018-19 की कण्डिका 9.7.3 के अनुसार, मनरेगा का मजदूरी घटक पूर्ण रुप से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में संचालित है एवं राज्यों की क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा उत्पन्न फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफ.टी.ओ.) के आधार पर राज्य रोजगार गारंटी फंड (एस.ई.जी.एफ.) विंडो के माध्यम से श्रमिकों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी) प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जारी किया जाता है। सामग्री एवं प्रशासनिक घटकों को एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में प्रचालित किया जाता है, जिसे राज्य संचित निधि में जारी किया जाता है।

निधि प्रवाह प्रणाली को कारगर बनाने और राज्यों को अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप हकदारी प्रदान करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, निधि के अवरोधन की स्थिति उत्पन्न किए बिना, राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफ.एम.एस.) प्रारंभ की गई थी।

इसके अतिरिक्त, 2021 में व्यापक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधार के हिस्से के रूप में एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) मॉडल की शुरुआत के साथ, मनरेगा के अंतर्गत निधि के प्रवाह में शामिल तंत्र को नीचे ***फ्लो चार्ट 4.1*** में दर्शाया गया है :

फ्लो चार्ट 4.1 मनरेगा के अंतर्गत निधि का प्रवाह

स्रोत: एम.पी.एस.ई.जी.सी. एवं मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश 2013 द्वारा प्रदान की गई जानकारी

वर्ष 2019-24 के दौरान मनरेगा के अंतर्गत जारी की गई निधि, किए गए व्यय एवं शेष राशि की स्थिति नीचे ***चार्ट 4.1*** में दर्शाई गई है:

चार्ट 4.1	जारी की गई निधि एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

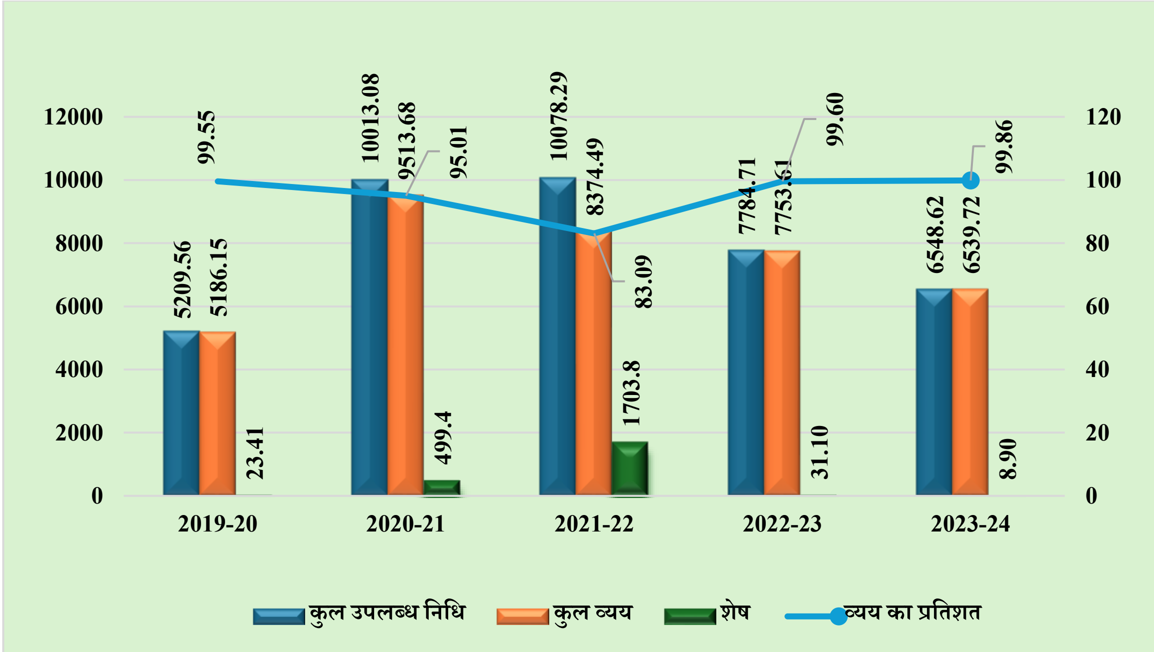

स्रोत: एम.पी.एस.ई.जी.सी., भोपाल का वित्तीय प्रतिवेदन

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि निधि की उपलब्धता के बावजूद, परिषद ने वर्ष 2019-2024 के दौरान पर्याप्त राशि अनुपयोगी रही, जो वर्ष 2021-22 में ₹1703.8 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई। हालाँकि, शेष वर्षों के दौरान उपलब्ध निधि के 95 प्रतिशत से अधिक का उपयोग पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन को दर्शाता है।

शासन ने इस तथ्य को स्वीकार किया (सितंबर 2025) तथा कहा कि चूंकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में निधि प्राप्त हुई थी, इसलिए बैंक से निकासी समय पर प्रभावी नहीं हो सकी, जिससे वर्ष के अंत में समापन शेष राशि अधिक रही।

4.2.1 मध्य प्रदेश शासन द्वारा निधि को जारी करने में विलंब के कारण ₹10.36 करोड़ के दंडात्मक ब्याज का भुगतान न किया जाना

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-24 के दौरान जारी अनुदान स्वीकृति की शर्त के अनुसार, राज्य शासन को निधि[6] प्राप्त होने के तीन/15 दिवसों के भीतर राज्य कर्मचारी गारंटी निधि (एस.ई.जी.एफ.) अर्थात एम.पी.एस.ई.जी.सी. के बैंक खाते में राज्यांश सहित निधि हस्तांतरित करना होगा। निर्धारित अवधि के बाद भी निधि हस्तांतरण न होने की स्थिति में, राज्य शासन, निर्दिष्ट अवधि से अधिक के विलंब के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए स्वीकृति आदेशों, मध्य प्रदेश शासन द्वारा धन आहरण देयकों एवं परिषद के खाते में धन जमा करने के विवरण की जांच के दौरान, यह देखा गया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए ₹13,615.31 करोड़ (केंद्रांश एवं राज्यांश) में से ₹2061.49 करोड़ वित्त विभाग द्वारा तीन से 76 दिवसों के विलंब के साथ एस.ई.जी.एफ. के बैंक

[6] सामाजिक लेखापरीक्षा आदि से संबंधित निधि के मामले में।

खाते में जमा किए गए थे, जिसके कारण ₹10.36 करोड़ की राशि के दंडात्मक ब्याज की देनदारी सृजित हुई। विवरण ***परिशिष्ट 4.1*** में दर्शाया गया है।

एम.पी.एस.ई.जी.सी. ने निधि को जारी करने में विलंब के लिए मध्य प्रदेश शासन से ₹10.36 करोड़ का ब्याज नहीं मांगा था।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि निर्धारित समय सीमा के भीतर उपरोक्त निधि जारी करने में किसी भी विलंब के लिए दंडात्मक ब्याज के भुगतान के संबंध में भारत सरकार से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, जिनका अनुपालन नहीं किया गया था।

4.2.2 विभागीय वित्तीय आंकड़ों एवं नरेगासॉफ्ट आंकड़ों के बीच विसंगति

दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 11.3 में प्रावधान है कि मनरेगा के संपूर्ण आंकड़ों को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए एवं नरेगासॉफ्ट पोर्टल में देखने के लिए उपलब्ध होना चाहिए। एम.पी.एस.ई.जी.सी., भोपाल द्वारा प्रदान की गई जानकारी की जांच में यह देखा गया कि एम.पी.एस.ई.जी.सी. द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों एवं वर्ष 2019-24 के दौरान नरेगासॉफ्ट पर अपलोड किए गए आंकड़ों में उपलब्ध निधि एवं आगामी वर्ष के व्यय के बीच अंतर था, जैसा कि नीचे ***चार्ट 4.2*** एवं ***4.3*** में दर्शाया गया है**:**

चार्ट 4.2	निधि की उपलब्धता में विसंगति

(₹ करोड़ में)

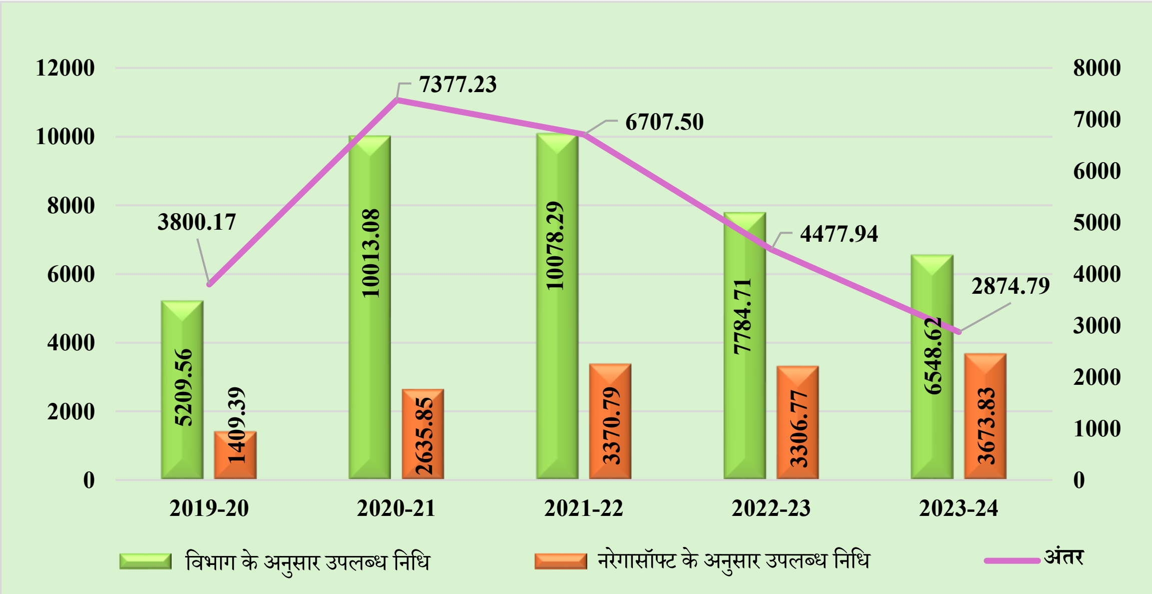

स्रोत: एम.पी.एस.ई.जी.सी. द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं नरेगासॉफ्ट में उपलब्ध एम.आई.एस. आंकड़े

चार्ट 4.3	व्यय में विसंगति

(₹ करोड़ में)

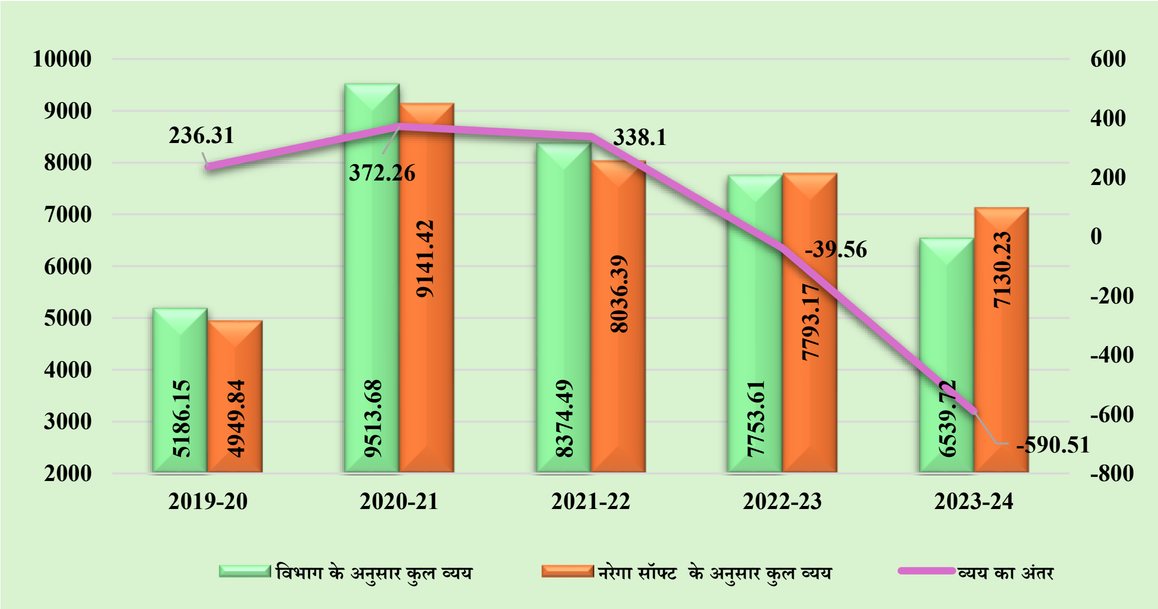

स्रोत: एम.पी.एस.ई.जी.सी. द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं नरेगासॉफ्ट में उपलब्ध एम.आई.एस. आंकड़े

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि सॉफ्टवेयर में बैंक खाता मिलान के प्रावधान के अभाव के कारण, विभागीय वित्तीय आंकड़े एवं नरेगासॉफ्ट के आंकड़ों के बीच विसंगतियां संभव हैं। इस संबंध में आवश्यक प्रावधान का अनुरोध करने के लिए भारत सरकार के साथ पत्राचार किया जाएगा।

उत्तर केवल भविष्य की कार्रवाई को इंगित करता है; हालांकि, तथ्य यह है कि आंकड़ों में विसंगति के कारण, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी की विश्वसनीयता एवं सटीकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

4.3 प्रशासनिक व्यय

मनरेगा के दिशा-निर्देशों की कण्डिका 12.5.2 एवं धारा 22(1)(सी) के अनुसार, केंद्र सरकार एक वित्तीय वर्ष में कुल व्यय का छ: प्रतिशत (सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए 0.5 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय सहित) प्रशासनिक व्यय के रूप में प्रदान करती है। यदि आवश्यकता हो तो राज्य शासन इसे पूरक रूप से बढ़ा सकती हैं। प्रशासनिक व्यय पर छ: प्रतिशत की सीमा, राज्य स्तर पर होने वाले व्यय पर आधारित है। कण्डिका 12.5.5 में प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत अनुमेय गतिविधियों[7] का उल्लेख किया गया है। कण्डिका 12.5.6 (ii) एवं (iii) में कहा गया है कि सिविल कार्यों पर एवं शासन/पंचायती राज संस्थाओं/किसी अन्य क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा पहले से नियोजित कर्मचारियों के वेतन/पारिश्रमिक पर व्यय को किसी भी स्थिति में मनरेगा की प्रशासनिक लागतों के अंतर्गत दर्ज नहीं किया जाएगा।

[7] अनुमेय मदों में प्रशिक्षण आई.ई.सी. कार्यकलाप, एम.आई.एस., गुणवत्ता प्रबंधन, शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना, व्यावसायिक/तकनीकी सेवाएं, परिचालन व्यय, ग्राम पंचायतों में आई.सी.टी. सुविधाएं, अतिरिक्त स्टाफ तैनाती, सामाजिक लेखापरीक्षा, कार्यस्थल सुविधाएं, मूल्यांकन एवं अनुसंधान तथा आकस्मिक व्यय जैसे अनुग्रह भुगतान, चिकित्सा उपचार, अस्पताल में भर्ती आदि शामिल हैं।

4.3.1 भारत सरकार की स्वीकृति के बिना क्लस्टर सुविधा टीम का क्रियान्वयन एवं प्रशासनिक व्यय घटक से ₹12.21 करोड़ का अनधिकृत व्यय

दिशा-निर्देशों की कण्डिका 4.2.3 के अनुसार, राज्यों को ग्राम पंचायतों के समूह के लिए क्लस्टर सुविधा टीम (सी.एफ.टी.) स्थापित करने थे। प्रारंभ में, इन टीमों को उन ब्लॉकों में स्थापित किया जाना था जिन्हें मनरेगा के उद्देश्यों की सफल प्राप्ति हेतु अधिक गहन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता थी। सी.एफ.टी. ग्राम पंचायतों के लिए एक तकनीकी सचिवालय की भांति कार्य करेगा एवं सामुदायिक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

आयुक्त, एम.पी.एस.ई.जी.सी., भोपाल के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने 21 सी.एफ.टी. स्थापित करने के लिए एस.ई.जी.सी. को ₹1.96 करोड़ की राशि (जनवरी 2015) प्रदान की थी। हालांकि, एम.पी.एस.ई.जी.सी.,निर्धारित समय सीमा (31 दिसम्बर 2017 तक) के भीतर सी.एफ.टी. स्थापित नहीं कर सका। तदनुसार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पी एवं आर.डी.डी.) के अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.) ने राज्य भर में लगभग 150 ब्लॉकों में सी.एफ.टी. परियोजना की स्थापना की स्वीकृति के लिए भारत सरकार (मार्च 2019) से अनुरोध किया। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था (अप्रैल 2019) क्योंकि राज्य ने निर्धारित समय में परियोजना को लागू नहीं किया था एवं भारत सरकार ने व्यय नहीं की गई शेष राशि को वापस करने का निर्देश दिया था। परिणामस्वरूप, एस.ई.जी.सी. ने भारत सरकार को उक्त राशि वापस कर दी (जून 2019)।

आगे, यह देखा गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्य प्रदेश डी.ए.वाई.-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने जिला पंचायतों के जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए (अगस्त 2019) कि वे 30 जिलों में सी.एफ.टी. के रूप में चयनित 13 सिविल सेवा संगठनों (सी.एस.ओ) के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित करें, जिसका उद्देश्य डी.ए.वाई.-एस.आर.एल.एम. के कार्यकर्ता एवं मनरेगा के बीच समन्वय स्थापित करना है। इसके बाद 24 जिलों के लिए एम.पी.एस.ई.जी.सी. द्वारा प्रशासनिक व्यय घटक लेखा शीर्ष से इन सी.एफ.टी. की स्थापना के लिए एम.पी.एस.ई.जी.सी. द्वारा एमपी डी.ए.वाई.-एस.आर.एल.एम. को ₹12.21 करोड़ (जुलाई 2021 तक) की राशि का भुगतान किया गया था, वह भी तब जब भारत सरकार ने सी.एफ.टी. की स्थापना के लिए अपने विलंबित प्रस्ताव को अस्वीकार (अप्रैल 2019) कर दिया था। इस प्रकार, प्रशासनिक व्यय घटक मद से सी.एफ.टी. को किए गए ₹12.21 करोड़ का भुगतान अनियमित था।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि तकनीकी सहायता पर व्यय मनरेगा की प्रशासनिक निधि से किया गया था, जो परिचालन दिशा-निर्देशों एवं वार्षिक मास्टर परिपत्र 2019-20 के प्रावधानों के अनुसार था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने के बाद भी सी.एफ.टी. की स्थापना के लिए व्यय किया गया था।

4.4 ₹1217.05 करोड़ की मजदूरी एवं सामग्री की लंबित देनदारियां

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश शासन को मजदूरी, सामग्री एवं प्रशासनिक व्यय से संबंधित सभी लंबित देनदारियों को उनके लंबित रहने की अवधि के अनुसार निपटाने का निर्देश दिया।

यह देखा गया कि परिषद के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार 31 मार्च 2024 तक की स्थिति में मजदूरी एवं सामग्री से संबंधित ₹1217.05 करोड़[8] की देनदारियां थीं। इस राशि में ₹54.79 करोड़[9] (4.7 लाख लेनदेन) की मजदूरी देयता शामिल है, जो आधार के साथ लाभार्थी खातों का मिलान नहीं होने के कारण था। वर्ष-वार विवरण ***परिशिष्ट 4.2*** में दिया गया है।

शासन ने कहा (सितंबर 2025) कि योजना के अंतर्गत, व्यय केवल तभी किया जाता है जब भारत सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है। कुछ प्रकरणों में, गलत देयकों अथवा त्रुटिपूर्ण डाटा प्रविष्टि जैसी विसंगतियों के कारण नरेगासॉफ्ट में भुगतानों पर कार्रवाई नहीं की जाती है, जिन्हें निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मजदूरी एवं सामग्री के भुगतान में लंबे समय तक विलंब सीधे तौर पर मनरेगा के समय पर रोजगार एवं गुणवत्तापूर्ण संपत्ति निर्माण के मुख्य उद्देश्य को कमजोर करता है। इसके अतिरिक्त, लंबित एवं गलत देयकों के विवरण प्रदान नहीं किए गए थे, जिससे लेखापरीक्षा, देनदारियों की सटीकता एवं लंबित रहने की संबंधित अवधि के अनुसार उनके निराकरण को सत्यापित करने में असमर्थ रही।

4.5 श्रमिकों को विलंब से भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति

मनरेगा की धारा 3 के साथ-साथ पी.एवं आर.डी.डी. के आदेश (मई 2018) में कहा गया है कि मनरेगा श्रमिकों को मस्टर रोल (एम.आर.) बंद होने की तिथि एवं मजदूरी का भुगतान करने के लिए वेतन आदेश के सृजन होने की तिथि से 15 दिवसों के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। आगे, अधिनियम की अनुसूची II की धारा 29 (डी) एवं भारत सरकार के आदेश (जून 2014), मनरेगा में निर्धारित है कि श्रमिक एम.आर. के बंद होने के 16वें दिन से अधिक की विलंब की अवधि के लिए प्रति दिन अवैतनिक मजदूरी के 0.05 *प्रतिशत* की दर से विलंब क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसे विलंब के लिए जिम्मेदार एजेंसी/अधिकारी से वसूल किया जाएगा।

राज्य में वर्ष 2019-24 के दौरान मजदूरी के विलंबित भुगतान के लिए लंबित क्षतिपूर्ति का विवरण नीचे ***तालिका 4.2*** में दिया गया है:

(₹ लाख में)

तालिका 4.2	राज्य में 2019-24 के दौरान मजदूरी के विलंबित भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति			
वर्ष	मजदूरी भुगतान में स्वीकृत विलंब *(दिवसों में)*	स्वीकृत राशि	वास्तविक रूप से भुगतान की गई क्षतिपूर्ति	31 मार्च 2024 तक देय लंबित क्षतिपूर्ति
2019-20	2699668	13.95	13.45	0.50
2020-21	1619470	9.02	7.50	1.52
2021-22	1421184	8.23	5.11	3.12
2022-23	237684	1.05	0.00	1.05
2023-24	492155	2.88	0.00	2.88
कुल	**6470161**	**35.13**	**26.06**	**9.07**

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

[8] ₹564.76 करोड़ (मजदूरी) एवं ₹652.29 करोड़ (सामग्री)

[9] इसमें पुनः सृजन हेतु ₹0.30 करोड़ (2447 लेनदेन) तथा बैंक समाशोधन हेतु ₹54.49 करोड़ (4.67 लाख लेनदेन) के लंबित प्रकरण शामिल हैं

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि मार्च 2024 तक ₹9.07 लाख का भुगतान लंबित था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि "विलम्ब क्षतिपूर्ति भुगतान एम.पी. स्टेट एम्प्लॉयमेंट" नामक बैंक खाते[10] में ₹4.42 करोड़ की उपलब्धता के बावजूद भुगतान नहीं किया गया था।

चयनित ग्राम पंचायतों में विभिन्न चरणों में श्रमिकों को भुगतान में विलंब की घटनाओं को नीचे ***तालिका 4.3*** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.3	मनरेगा के श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में विलंब			
विवरण	ग्राम पंचायतों की संख्या	कार्यों की संख्या	मस्टरों की संख्या	विलंब में दिवसों
मजदूरी सूची तैयार करने में विलंब	57	621	1020	1 से 339
एफ.टी.ओ. की तैयारी में विलंब	36	2079	11437	1 से 204
एफ.टी.ओ. को प्राधिकृत करने में विलंब	38	2079	11423	1 से 11

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

परिणामस्वरूप, चयनित जिलों में, ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी सूची तैयार करने एवं जे.पी. स्तर पर एफ.टी.ओ. के सृजन एवं प्राधिकृत करने में विलंब के कारण श्रमिकों को ₹3.72 लाख (पोर्टल में गणना के अनुसार) की क्षतिपूर्ति दी गई थी।

आगे, यह मुद्दा पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का पालन न करने को दर्शाता है, जिसमें मजदूरी भुगतान में विलंब को भी रेखांकित किया गया था।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि भारत सरकार द्वारा एस.एन.ए. प्रक्रिया के क्रियान्वयन के कारण क्षतिपूर्ति के समय पर भुगतान में विलंब हुआ। उपरोक्त भुगतान प्रारंभ करने के लिए मार्च एवं जून 2025 में भारत सरकार को पत्र भेजे गए थे, एवं निर्देश प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर केवल भविष्य की कार्रवाई को इंगित करता है; आगे, जिम्मेदार पदाधिकारियों या एजेंसियों से क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली का कोई साक्ष्य नहीं था।

4.6 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एम.पी.एस.ई.जी.सी.) ने भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त निधि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया था। परिषद ने निधि जारी करने में विलंब के लिए ब्याज का दावा नहीं किया। इसके अतिरिक्त, एम.पी.एस.ई.जी.सी. एवं नरेगासॉफ्ट पोर्टल द्वारा रिपोर्ट किए गए निधि की उपलब्धता एवं संबंधित व्यय के आंकड़ों के बीच विसंगति थी।

परिषद ने अस्वीकार्य व्यय किए क्योंकि प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। आगे, 2019-24 की अवधि के लिए श्रमिकों को विलंबित भुगतान के लिए ₹9.07 लाख की क्षतिपूर्ति नहीं दी गई।

मजदूरी भुगतान में विलंब के संबंध में पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का पालन न करने से सुनिश्चित एवं समय पर मजदूरी प्रदान करने का उद्देश्य विफल रहा। हालांकि, वर्ष 2021-22 को छोड़कर, वर्ष 2019-24 के दौरान उपलब्ध निधि के 95 प्रतिशत से अधिक का उपयोग इस क्षेत्र में सुधार का संकेत देता है।

10 श्रमिकों को विलंबित भुगतान की क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए पंजाब नेशनल बैंक, अरेरा कॉलोनी शाखा, भोपाल में संचालित है।

4.7 अनुशंसाएं

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए

- *विभिन्न डेटाबेस में दर्ज किए गए व्यय के संदर्भ में आंकड़ों की सटीकता एवं एकरूपता* ***(कंडिका 4.2.2 के संदर्भ में)****।*
- *लेन-देन की अस्वीकृति से बचने के लिए आधार आधारित भुगतान के लिए डेटाबेस का शुद्धीकरण* ***(कंडिका 4.4 के संदर्भ में)****।*
- *सभी लंबित क्षतिपूर्ति का समय पर निराकरण* ***(कंडिका 4.5 के संदर्भ में)****।*

अध्याय V

पंजीकरण एवं रोजगार सृजन

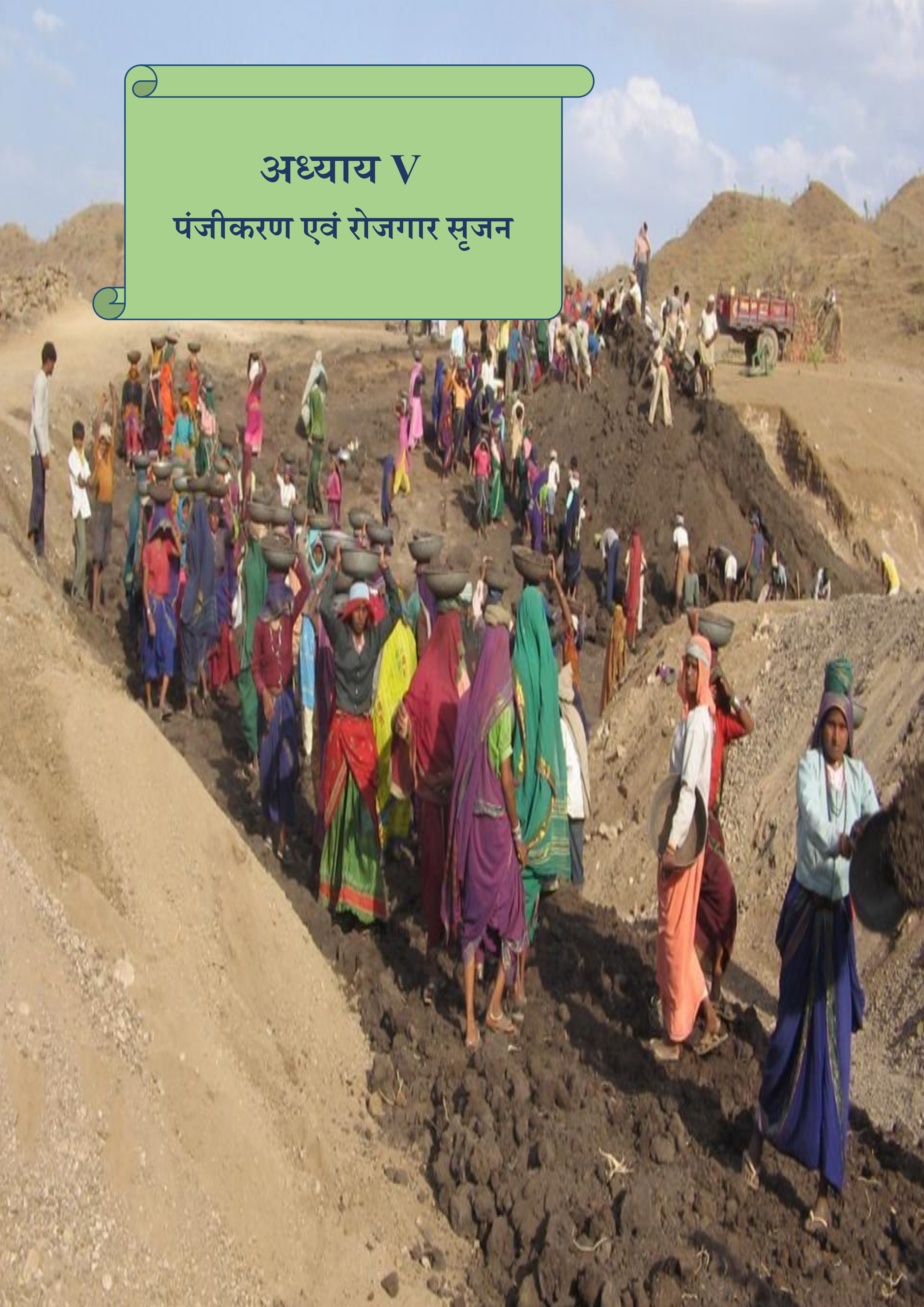

अध्याय V पंजीकरण एवं रोजगार सृजन

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

- चयनित ग्राम पंचायतों द्वारा अनिवार्य पंजियों को संधारित अथवा अद्यतन नहीं किया गया।
- 8,575 आवेदनों पर बिना अभिलेखित कारणों के कार्रवाई नहीं की गई।
- वर्ष 2019-24 के दौरान 2,426 डुप्लीकेट, फर्जी अथवा त्रुटिपूर्ण जॉब कार्डों पर ₹1.46 करोड़ का अनियमित मजदूरी भुगतान किया गया।
- चयनित ग्राम पंचायतों द्वारा मांग सृजन से लेकर कार्य निष्पादन तक की संपूर्ण प्रक्रिया से संबंधित अभिलेखों का व्यवस्थित एवं आवधिक संधारण नहीं किया गया।
- वर्ष 2019-24 के दौरान केवल लगभग दो प्रतिशत परिवारों को ही पूर्ण 100 दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया, जबकि 31.21 प्रतिशत से 46.60 प्रतिशत परिवारों को 40 दिवसों से कम रोजगार प्रदान किया गया, जो कि गारंटीयुक्त रोजगार सुनिश्चित करने के योजना के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है। मनरेगा की मजदूरी दरें वर्ष 2019-24 के दौरान प्रचलित मजदूरी दरों की तुलना में निरंतर कम रहीं, जिसे इस कमी का कारण माना गया।
- तीन जिलों, सात जनपद पंचायतों तथा 16 ग्राम पंचायतों में महिलाओं की अनिवार्य 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
- पंजीकृत दिव्यांगजनों की कुल संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई।

5.1 परिवारों का पंजीकरण

5.1.1 अनिवार्य पंजियों का संधारण

भारत सरकार के निर्देश (जुलाई 2016) के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर सात अनिवार्य पंजियों[11] के संधारण का प्रावधान है। परिचालन दिशा-निर्देशों की कंडिका 10.1.2 में यह प्रावधान है कि कंप्यूटर आधारित एम.आई.एस. भी वही जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित करेगा। यह अभिलेख डाउनलोड एवं मुद्रित किए जाएंगे तथा हस्ताक्षरित प्रतियां अभिलेखों के रूप में संधारित की जा सकती हैं। इस प्रकार, इलेक्ट्रॉनिक रूप में जानकारी उपलब्ध होने पर भी, भौतिक अभिलेखों का संधारण अनिवार्य है।

[11] (1) जॉब कार्ड आवेदन, जॉब कार्ड पंजीयन, जॉब कार्ड निर्गमन तथा परिवार रोजगार प्रतिवेदनों का रजिस्टर, (2) ग्राम सभा (बैठक) रजिस्टर – कार्यवृत्त, संकल्प एवं कार्यों की प्राथमिकता सूची; विशेष सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा (बैठक) – कार्यवृत्त, संकल्प एवं की गई कार्रवाई के प्रतिवेदन, (3) कार्य की मांग, कार्य आवंटन तथा मजदूरी भुगतान रजिस्टर, (4) कार्य रजिस्टर, (5) स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर, (6) शिकायत रजिस्टर, तथा (7) सामग्री रजिस्टर।

यह पाया गया कि नमूना-जांच किए गए किसी भी ग्राम पंचायत में सातों अनिवार्य पंजी या तो बिल्कुल संधारित नहीं किए गए थे अथवा जहाँ उपलब्ध थे, उन्हें समय पर अद्यतन नहीं किया गया था। अधिकारियों द्वारा केवल पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी की मुद्रित प्रतियां ही उपलब्ध कराई जा सकीं, जिससे यह संकेत मिलता है कि भौतिक अभिलेखों में प्रविष्टियाँ केवल पोर्टल के डाटा के आधार पर की गई थीं। मांग सृजन से लेकर कार्य निष्पादन तक की संपूर्ण प्रक्रिया से संबंधित अभिलेखों का व्यवस्थित एवं आवधिक संधारण नहीं किए जाने के कारण लेखापरीक्षा, पोर्टल पर उपलब्ध डाटा की विश्वसनीयता की पुष्टि नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त, यह मुद्दा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में की गई टिप्पणियों के अनुपालन न होने को भी दर्शाता है, जिनमें अनिवार्य पंजियों के संधारण में अनियमितताओं को भी रेखांकित किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2025) के दौरान यह आश्वासन दिया गया कि लाभार्थियों के साथ संपर्क से उत्पन्न आवश्यकताओं के दृष्टिगत अनिवार्य पंजियों के संधारण की समीक्षा की जाएगी। आगे, शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि पंजियों के संधारण तथा जॉब कार्डों के अद्यतन हेतु ग्राम पंचायतों (जी.पी.) को निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के अनुपालन में ग्राम पंचायतों द्वारा सात पंजियों का संधारण किया गया है (चार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तथा तीन हस्तलिखित)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सहायक अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा, ऑनलाइन आँकड़ों की प्रामाणिकता एवं पूर्णता सुनिश्चित नहीं कर सकी।

5.1.2 जॉब कार्ड जारी करना तथा विद्यमान जॉब कार्डों को अद्यतन करना

पी.आर.डी.डी. ने निर्देश जारी (फरवरी 2013) किए कि जॉब कार्ड पंजी का अद्यतन केवल घर-घर सर्वेक्षण करने के उपरांत ही किया जाए, जिसके अंतर्गत ऐसे परिवारों को जॉब कार्ड पंजी से हटाया जाए जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में रोजगार की मांग नहीं की हो तथा कार्य करने के इच्छुक परिवारों से आवेदन प्राप्त कर नए जॉब कार्ड जारी किए जाएँ। एम.पी.एस.ई.जी.सी. ने निर्देश दिए (मई 2018) कि जॉब कार्डों के पंजीकरण/विलोपन के लिए ग्राम रोजगार सहायक (जी.आर.एस.) एवं पंचायत सचिव को ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

इसके अलावा, परिचालन दिशा-निर्देशों की कंडिका 3.1.4 (iii) के अनुसार, यदि आवेदन में निहित जानकारी गलत पाई जाती है, तो ग्राम पंचायत प्रकरण को कार्यक्रम अधिकारी को रेफर करेगी। कार्यक्रम अधिकारी, तथ्यों का स्वतंत्र सत्यापन करने तथा संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, ग्राम पंचायत को निम्न में से किसी एक कार्रवाई के लिए निर्देश दे सकता है- (i) परिवार का पंजीकरण करना, अथवा (ii) आवेदन अस्वीकार करना, अथवा (iii) विवरणों को संशोधित कर आवेदन को पुनः प्रक्रिया में लाना। सभी अस्वीकृत आवेदनों की सूची सार्वजनिक की जाएगी तथा उसे ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में आवेदक, परिवार पंजीकरण हेतु पुनः आवेदन कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, परिचालन दिशा-निर्देशों की कंडिका 3.1.5 (xvii) के अनुसार, यदि मूल जॉब कार्ड खो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो कार्डधारक डुप्लीकेट जॉब कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन, ग्राम पंचायत को दिया जाएगा एवं एक नए आवेदन के रूप में संसाधित किया जाएगा, अंतर केवल इतना होगा कि विवरणों का सत्यापन पंचायत द्वारा संधारित जॉब कार्ड की डुप्लीकेट प्रति से भी किया जा सकता है। दिशा-निर्देशों की कंडिका 3.1.5 (ix) में यह प्रावधान है कि वयस्क सदस्य जो कि आवेदक हैं अथवा मनरेगा के अंतर्गत कार्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं, के फोटोग्राफ जॉब कार्ड के साथ संलग्न किए जाने चाहिए। जारी किए गए जॉब कार्डों का विवरण नरेगासॉफ्ट पर अपलोड किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांच की गई 64 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2019–24 के दौरान प्राप्त 19,647 आवेदनों के विरुद्ध 8,575 (43.65 प्रतिशत) आवेदनों पर जॉब कार्ड जारी नहीं किए गए। अस्वीकृति के कारण उपलब्ध नहीं हो सके क्योंकि ग्राम पंचायतों द्वारा अनिवार्य जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण एवं जारी करना) तथा परिवार रोजगार पंजी का उचित तरीके से संधारण नहीं किया गया था।

यह भी देखा गया कि योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवश्यक होने के बावजूद जॉब कार्डों पर परिवार के सभी सदस्यों के फोटोग्राफ चस्पा नहीं किए गए थे। पूर्ण फोटोग्राफिक पहचान का अभाव न केवल निर्धारित मानकों से विचलन को दर्शाता है, बल्कि जॉब कार्ड जारी करने एवं उपयोग में पारदर्शिता तथा प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य को भी कमजोर करता है। यह कमी संभावित दुरुपयोग, जैसे प्रतिरूपण (इम्पर्सनेशन) अथवा अपात्र व्यक्तियों द्वारा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की संभावना को बढ़ा सकती है, जिससे क्रियान्वयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान चयनित 64 ग्राम पंचायतों में कुल 11,072 जॉब कार्ड जोड़े गए तथा 9,831 जॉब कार्ड विलोपित किए गए। तथापि, इनमें से कोई भी कार्रवाई ग्राम सभा की स्वीकृति से नहीं की गई, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 5.1*** में दर्शाया गया है। इस विलोपन में ***तालिका 5.1*** में दर्शाए अनुसार 2,426 डुप्लीकेट, फर्जी अथवा त्रुटिपूर्ण जॉब कार्ड भी शामिल थे। एम.आई.एस. डाटा के अनुसार वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान इन डुप्लीकेट, फर्जी एवं त्रुटिपूर्ण जॉब कार्डों पर 86,676 व्यक्ति-दिवसों के रोजगार के लिए ₹1.46 करोड़ का मजदूरी भुगतान किया गया।

तालिका 5.1	नमूना-जांच की गई ग्राम पंचायतों में जारी किए गए डुप्लीकेट, फर्जी अथवा त्रुटिपूर्ण जॉब कार्डों का विवरण			
जिला पंचायत का नाम	**डुप्लीकेट जॉब कार्ड**	**फर्जी जॉब कार्ड**	**त्रुटिपूर्ण जॉब कार्ड**	**महायोग**
बैतूल	215	10	3	228
बुरहानपुर	42	9	8	59
छिंदवाड़ा	106	11	25	142
मंडला	390	40	18	448
रायसेन	195	9	20	224
सागर	414	262	106	782
उमरिया	21	0	3	24
विदिशा	234	111	174	519
कुल	**1617**	**452**	**357**	**2426**

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल एम.आई.एस. के आँकड़े

इसके अतिरिक्त, यह मुद्दा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में की गई टिप्पणियों के अनुपालन न किए जाने को दर्शाता है, जिनमें जॉब कार्डों के पंजीकरण एवं जारी करने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया में अनियमितताओं को रेखांकित किया गया है। भौतिक अभिलेखों के अभाव में जॉब कार्डों के जोड़ने, विलोपन तथा जारी न किए जाने के संबंध में आश्वस्ति प्राप्त नहीं की जा सकी। जॉब कार्ड अभिलेखों का भौतिक रूप से संधारण न किया जाना तथा जॉब कार्डों को फोटोग्राफ आदि से अद्यतन न किया जाना यह दर्शाता है कि पात्र परिवारों की पहचान एवं प्रमाणीकरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इस अनियमितता के परिणामस्वरूप संबंधित ग्राम पंचायतों के जनपद पंचायत समय रहते डुप्लीकेट, फर्जी अथवा त्रुटिपूर्ण जॉब कार्डों का पता लगाने में असमर्थ रहे। चूँकि ऐसे विलोपित जॉब कार्डों पर भुगतान विलोपन से पूर्व किया गया था तथा सहायक अभिलेख भी संधारित नहीं किए गए थे, अतः अनियमित अथवा अपात्र भुगतानों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

शासन ने उत्तर (सितंबर 2025) में बताया कि जॉब कार्डों के अद्यतन की प्रक्रिया प्रगति पर है। आगे यह भी बताया गया कि जिला पंचायत, रायसेन के संबंध में पोर्टल से जॉब कार्ड विलोपित करते समय “डुप्लीकेट, फर्जी अथवा त्रुटिपूर्ण जॉब कार्ड” का विकल्प त्रुटिवश चयनित हो गया था।

उत्तर में अवलोकित प्रणालीगत कमियों, जैसे आंतरिक नियंत्रणों की अपर्याप्तता, सत्यापन प्रक्रियाओं की कमजोरी तथा दिशा-निर्देशों के पालन में कमी, के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

5.2 अनिवार्य अभिलेखों के अभाव में रोज़गार की मांग एवं आपूर्ति तथा बेरोज़गारी भत्ते के लिए पात्रता की गणना न होना

दिशा-निर्देशों की कंडिका 3.2 निर्धारित करती है कि पंजीकृत परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य, जिसका नाम जॉब कार्ड में दर्ज है, अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

आगे, मनरेगा, 2005 की अनुसूची-II की शर्त 6 में यह निर्धारित किया गया है कि रोजगार की मांग हेतु प्रत्येक आवेदन को अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाएगा तथा दिनांक सहित रसीद जारी की जाएगी, जिसे कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज किया जाएगा। अनुसूची-II की शर्त 8 में यह निर्धारित किया गया है कि कार्य के लिए आवेदन मौखिक या लिखित रूप में किया जा सकता है तथा यह ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया जाएगा। भारत सरकार के निर्देश (जुलाई 2016) के अनुसार, ग्राम पंचायतों को मांग, कार्य आवंटन तथा मजदूरी के भुगतान के लिए पंजी -III का संधारण करना अनिवार्य है। आगे, दिशा-निर्देशों की कंडिका 11.5 (V) में प्रावधान है कि यदि मांग के 15 दिवसों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो परिवार बेरोज़गारी भत्ते के लिए पात्र होंगे।

राज्य एवं नमूना-जांच की गई जिला पंचायतों में वर्ष 2019-24 के दौरान रोजगार की मांग एवं रोजगार उपलब्ध कराने की स्थिति क्रमशः ***तालिका 5.2*** और ***तालिका 5.3*** में दी गई है:

(व्यक्ति दिवसों की संख्या लाख में)

तालिका 5.2	वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य में मांग के विरुद्ध प्रदान किए गए रोजगार का विवरण		
वर्ष	**मांगा गया**	**प्रदान किया गया**	**कमी**
2019-20	77.79	77.61	0.18
2020-21	134.96	134.83	0.13
2021-22	121.95	121.78	0.17
2022-23	93.00	92.75	0.25
2023-24	76.32	75.97	0.35
कुल	**504.02**	**502.94**	**1.08**

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल एम.आई.एस. के आँकड़े

तालिका 5.3	वर्ष 2019-24 के दौरान नमूना-जांच की गई जिला पंचायतों में मांग के विरुद्ध प्रदान किए गए रोजगार का विवरण		
वर्ष	**मांगा गया**	**प्रदान किया गया**	**कमी**
2019-20	14.91	14.88	0.03
2020-21	23.05	23.03	0.02
2021-22	20.88	20.85	0.03
2022-23	16.75	16.72	0.03
2023-24	14.18	14.12	0.06
कुल	**89.77**	**89.60**	**0.17**

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल एम.आई.एस. के आँकड़े

उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ष 2019-24 के दौरान लगभग एक लाख व्यक्तियों को उनकी मांग के विरुद्ध रोजगार प्रदान नहीं किया गया। तथापि, उन्हें बेरोजगारी भत्ता के भुगतान की स्थिति लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से स्पष्ट नहीं हो सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन (जे.पी.वी.) के दौरान अवलोकित किया कि चयनित ग्राम पंचायतों द्वारा आवेदन की तिथि अथवा रोजगार प्रदान किए जाने की तिथि से संबंधित अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया था। इन अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा यह सत्यापित करने में असमर्थ रही कि रोजगार की मांग करने वाले लाभार्थियों ने बाद में काम पर आने से इनकार कर दिया था, जैसा कि ***कंडिका 5.1.1*** में उल्लिखित पंजी-III (कार्य की मांग, कार्य आवंटन तथा मजदूरी भुगतान संबंधी पंजी) नमूना-जांच की गई किसी भी ग्राम पंचायत में भौतिक रूप में संधारित नहीं की गई थी।

शासन ने उत्तर में बताया (सितंबर 2025) कि रोजगार की मांग एवं वास्तविक उत्पन्न रोजगार के बीच अंतर इस वजह से है कि श्रमिकों को निर्दिष्ट कार्यदिवसों पर कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं पाया गया। यह भी बताया गया कि कार्य की मांग करने वाले श्रमिकों को मौखिक या लिखित रूप में आवेदन करने पर रसीद प्रदान करने तथा ऐसी मांगों का अभिलेख रखने हेतु निर्देश (नवंबर 2015) जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि कार्य मांग के सही अभिलेखन को सुनिश्चित करने हेतु अब "काम मांगो ऐप" विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से जॉब कार्ड धारक परिवार अपनी कार्य मांग प्रस्तुत कर सकते हैं।

कार्य मांग को ट्रैक करने के लिए एप्लिकेशन का विकास सराहनीय है। तथापि, तथ्य यह है कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई भी सहायक अभिलेख जैसे कि जॉब आवेदन की रसीदें, जे.पी.वी. के दौरान उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे आवेदन अथवा रोजगार की तिथियों को सत्यापित किया जा सके।

5.3 100 दिवसों के रोजगार की गारंटी

दिशा-निर्देशों की कंडिका 1.1 में यह निर्धारित किया गया है कि मनरेगा का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए इच्छुक हों, वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवसों का सुनिश्चित मजदूरी रोजगार प्रदान करना है।

राज्य एवं चयनित जिला पंचायतों में वर्ष 2019–24 के दौरान परिवारों को प्रदान किए गए रोजगार का विवरण ***परिशिष्ट 5.2 (भाग क एवं ख)*** में दिया गया है तथा इस प्रकरण पर की गयी टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य स्तर

राज्य में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान केवल 1.95 प्रतिशत (2023-24) से 5.83 प्रतिशत (2020-21) तक परिवारों को ही 100 दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया, जैसा कि ***चार्ट 5.1*** में दर्शाया गया है, जबकि 31.21 प्रतिशत (2020-21) से 46.60 प्रतिशत (2023-24) परिवारों को 40 दिवसों से कम रोजगार प्रदान किया गया।

चार्ट 5.1	वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य में 100 दिवसों का सुनिश्चित रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों (एच.एच.) का वर्ष-वार प्रतिशत

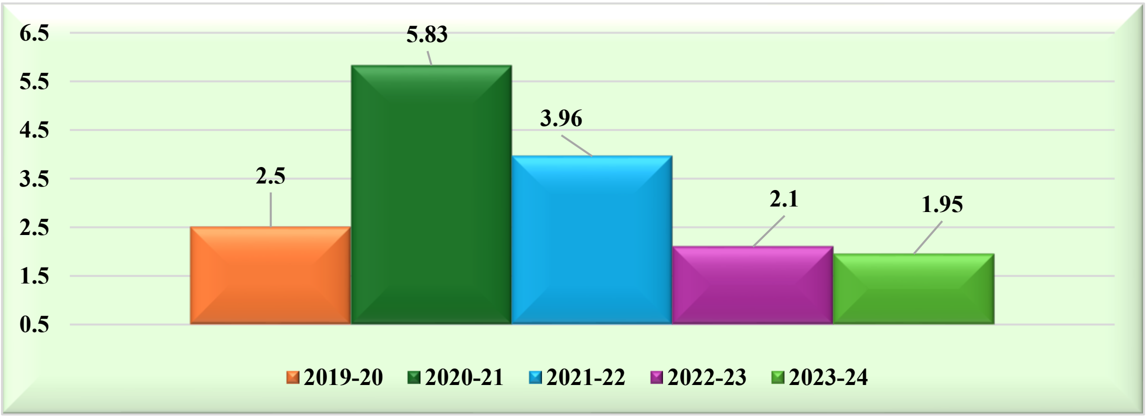

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल एम.आई.एस. के आँकड़े

उपरोक्त चार्ट एवं परिशिष्ट से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान मनरेगा के अंतर्गत केवल लगभग दो प्रतिशत परिवारों को ही पूर्ण 100 दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया, जो यह दर्शाता है कि जिन लोगों को इसकी आवश्यकता हो सकती है, उनके लिए योजना की पहुंच या क्रियान्वयन सीमित रहा। तथापि, कोविड अवधि (2020-22) के दौरान यह प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से बढ़ा, जो आर्थिक संकट के समय में आजीविका सहायता के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में योजना की भूमिका को रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त, यह मुद्दा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में की गई टिप्पणियों के अनुपालन न होने को भी दर्शाता है, जिनमें 100 दिवसों के सुनिश्चित रोजगार के सृजन में कमी को भी रेखांकित किया गया था।

चयनित जिला पंचायत (जेड.पी.) स्तर

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान चयनित जिला पंचायतों में 100 दिवसों का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत नीचे दिए गए ***मानचित्र 5.1*** में दर्शाया गया है:

मानचित्र 5.1	चयनित जिला पंचायतों में 100 दिवसों का सुनिश्चित रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत

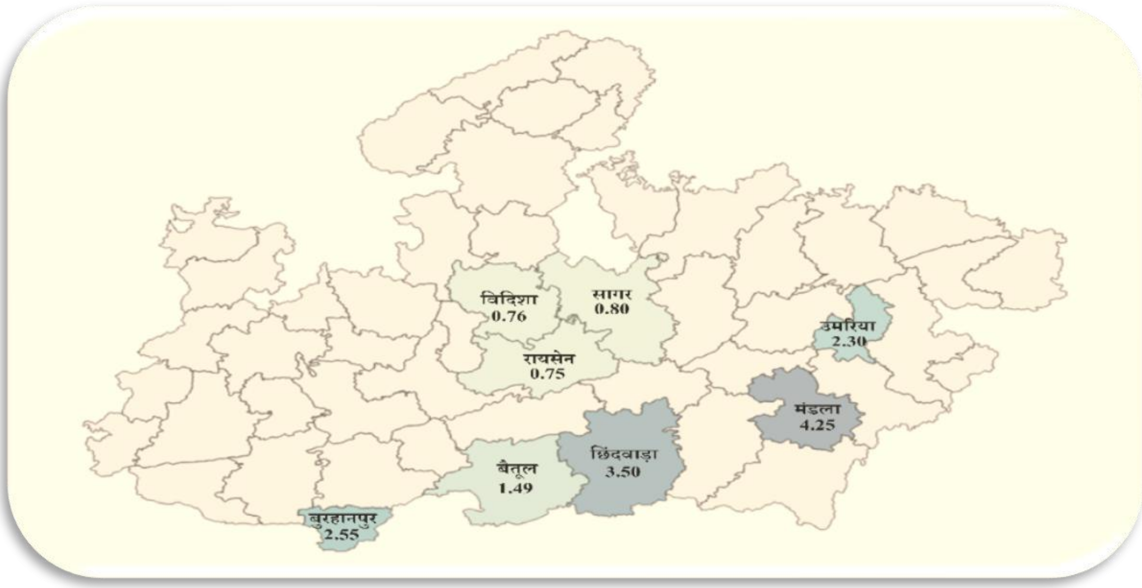

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

उपरोक्त मानचित्र से स्पष्ट है कि चयनित जिलों में मंडला का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ पाया गया, जहाँ पंजीकृत परिवारों में से 4.25 प्रतिशत को 100 दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया। इसके विपरीत, रायसेन जिले का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, जहाँ केवल 0.75 प्रतिशत परिवारों को ही 100 दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया।

वर्ष 2019-24 के दौरान मनरेगा मजदूरी दरों की तुलना प्रचलित मजदूरी दरों[12] से करने पर यह पाया गया कि मनरेगा की मजदूरी दरें निरंतर कम रहीं, जिनमें ₹32 से ₹40 तक का अंतर था। यह अंतर योजना में भागीदारी के लिए निरुत्साहक/हतोत्साहक रहा जिसका विवरण नीचे ***तालिका 5.4*** में दिया गया है:

तालिका 5.4	राज्य की न्यूनतम मजदूरी दर एवं मनरेगा की मजदूरी दरों की तुलना				
वर्ष	**कृषि कार्य में अकुशल श्रमिकों के लिए श्रम विभाग, म.प्र. द्वारा निर्धारित मजदूरी दरें**			**मनरेगा मजदूरी दर**	**अंतर**
	अप्रैल-सितंबर	**अक्टूबर-मार्च**	**औसत**		
2019-20	205	211	208	176	32
2020-21	221	237	229	190	39
2021-22	233	233	233	193	40
2022-23	240	246	243	204	39
2023-24	255	261	258	221	37

जनपद पंचायत विदिशा की ग्राम पंचायत मूंद्रा मुहाना ने भी स्वीकार (सितंबर 2024) किया कि मनरेगा के अंतर्गत परिवारों द्वारा 100 दिवसों का रोजगार पूर्ण न कर पाने का मुख्य कारण मजदूरी की प्रचलित बाजार दर की तुलना में कम मजदूरी दरें, मजदूरी भुगतान में विलंब तथा गाँव की नगर से निकटता है, जहाँ अधिक आकर्षक रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं।

शासन ने उत्तर (सितंबर 2025) में बताया कि भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में प्रति परिवार वार्षिक सृजित औसत व्यक्ति-दिवस संतोषजनक हैं।

उच्च राज्य औसत या अंतर-राज्य रैंकिंग का संदर्भ देना प्रत्येक पात्र परिवार को मांग पर पूर्ण रोजगार पात्रता सुनिश्चित करने के योजना के मूल प्रावधान को पूरा न करने को उचित नहीं ठहराता है।

5.4 सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश 2013 की कंडिका 1.2 (iv) के अनुसार, मनरेगा का एक उद्देश्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेषकर महिलाएं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सशक्तिकरण को अधिकार आधारित कानून प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित करना है।

दिशा-निर्देशों की कंडिका 3.4(x) के अनुसार, रोजगार प्रदान करते समय महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि योजना के तहत पंजीकृत तथा कार्य के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थियों में से कम से कम एक-तिहाई (33 प्रतिशत) महिलाएं हों।

दिशा-निर्देशों की कंडिका 9.6.1 के अनुसार, ग्राम पंचायत को विधवा/परित्यक्ता/निराश्रित महिलाओं की पहचान करनी चाहिए एवं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें 100 दिवसों का रोजगार प्रदान किया जाए। गर्भवती महिलाएँ एवं स्तनपान कराने वाली माताएँ (कम से कम प्रसव से आठ माह पूर्व और प्रसव के 10 माह बाद तक) भी विशेष श्रेणी के रूप में शामिल की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंडिका 9.3 के अनुसार, चिन्हित विकलांग और अन्य संवेदनशील व्यक्तियों की प्रगति की समीक्षा

[12] राज्य के श्रम विभाग अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर कृषि कार्यों में अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित मजदूरी दरें।

करना आवश्यक है। दिशा-निर्देशों की कंडिका 9.3.2 और 9.3.3 में यह प्रावधान है कि मनरेगा में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने हेतु विशेष परिस्थितियाँ सृजित की जानी चाहिए। राज्य शासन ऐसे विशिष्ट कार्यों की पहचान करेगी, जिन्हें दिव्यांग एवं संवेदनशील व्यक्ति कर सकते हैं।

5.4.1 महिलाएं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

वर्ष 2019–24 के दौरान राज्य, नमूना-जांच किए गए जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

राज्य स्तर

नरेगासॉफ्ट पोर्टल एम.आई.एस. के आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक, योजना के तहत पंजीकृत कुल 99,71,739 सक्रिय श्रमिकों में से 44,68,946 (44.82 प्रतिशत) महिलाएँ थीं। यह योजना के क्रियान्वयन में महिला भागीदारी के संतोषजनक स्तर को दर्शाता है। राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों की भागीदारी क्रमशः 13,85,775 (13.90 प्रतिशत) और 33,61,054 (33.71 प्रतिशत) है।

चयनित जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर

वर्ष 2019-24 के दौरान नमूना-जांच किए गए आठ जिला पंचायतों, 16 जनपद पंचायतों एवं 64 ग्राम पंचायतों में महिलाएँ, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नीचे ***तालिका 5.5*** में दिया गया है:

(आंकड़े प्रतिशत में)

तालिका 5.5 नमूना-जांच की गई जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रोजगार प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला विवरण

नमूना-जांच की गई इकाइयाँ	महिलाओं का प्रतिनिधित्व	अनुसूचित जाति प्रतिनिधित्व	अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व
जिला पंचायत (8)	28.98 से 50.65	6.42 से 18.99	4.48 से 61.04
जनपद पंचायत (16)	25.38 से 53.87	2.10 से 28.32	4.55 से 79.75
ग्राम पंचायत (64)	8.15 से 62.57	0 से 57.05	0 से 94.33

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में की गई टिप्पणियों के अनुपालन में आंशिक सुधार हुआ है, जिनमें अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों का प्रतिनिधित्व 42 से 45 प्रतिशत होने को रेखांकित किया गया था।

चयनित जिला पंचायतों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत ***मानचित्र 5.2*** में प्रदर्शित किया गया है।

मानचित्र 5.2	नमूना-जांच किए गए जिला पंचायतों में सृजित रोजगार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

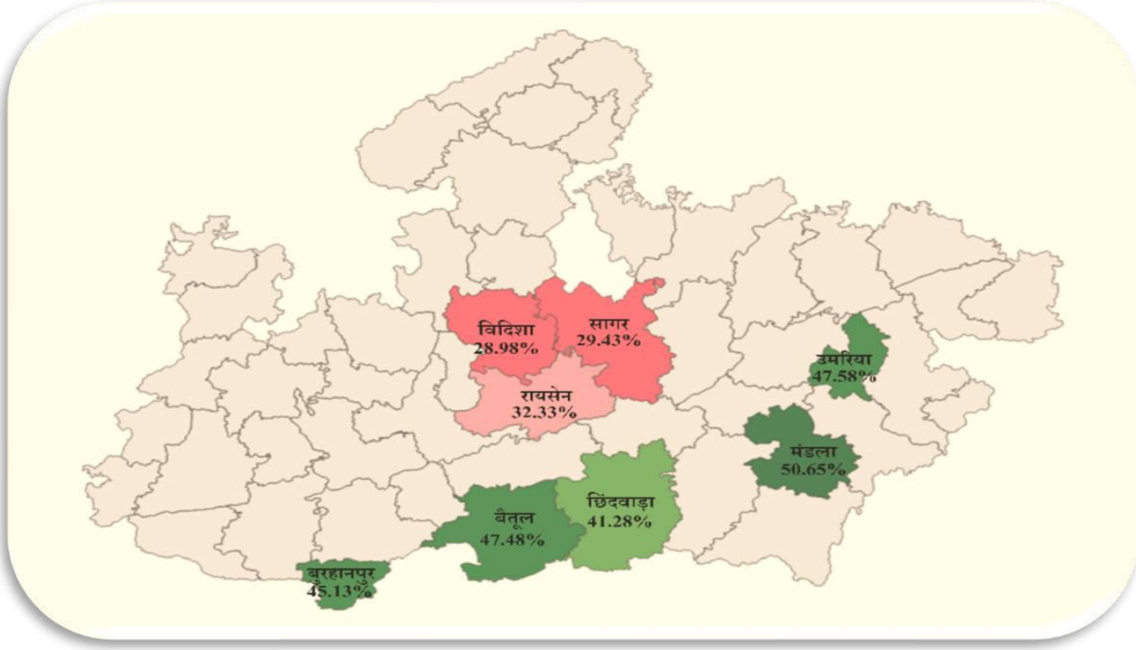

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

जिन जिला पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत से कम है उन्हें लाल रंग में तथा जहाँ यह 33 प्रतिशत से अधिक है उन्हें हरे रंग में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में नमूना-जांच की गई जिला पंचायतों में महिलाओं के लिए सृजित व्यक्ति-दिवस (पी.डी.) में कमी पाई गई, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 5.3*** में दिया गया है तथा इसे नीचे ***मानचित्र 5.3*** में दर्शाया गया है:

मानचित्र 5.3	नमूना-जांच की गई जिला पंचायतों में महिलाओं के लिए सृजित औसत व्यक्ति-दिवस

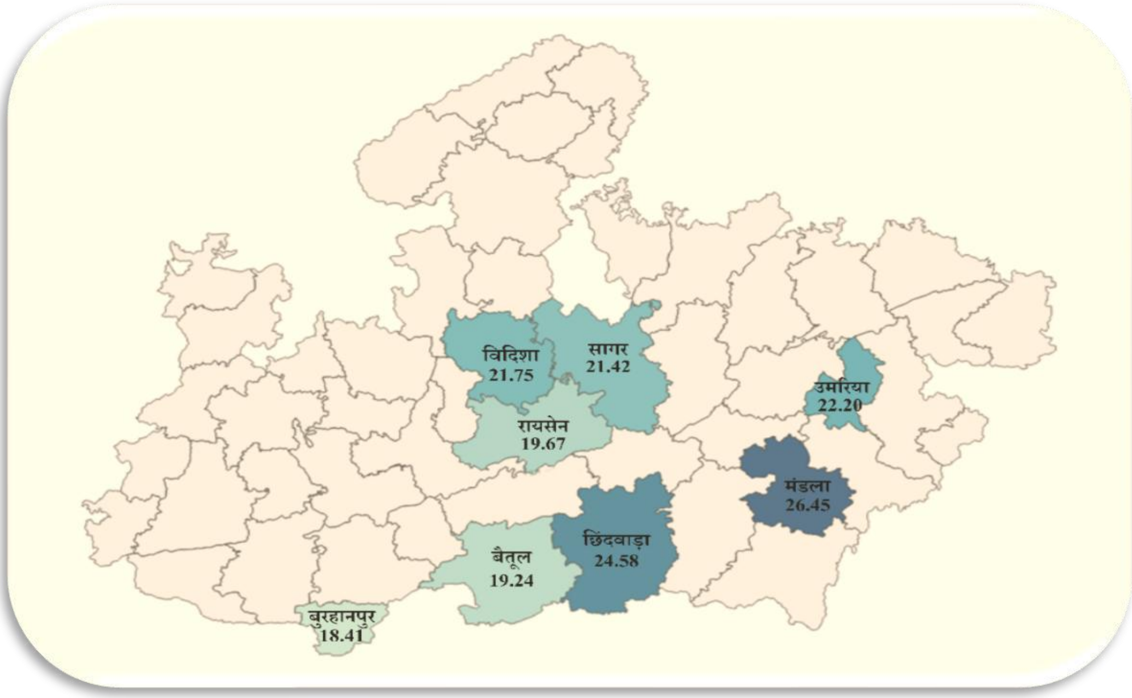

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

इस प्रकार, महिलाओं के लिए व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजन के संदर्भ में, चयनित जिलों में प्रदर्शन अपेक्षाकृत समान रहा, जहाँ यह आँकड़े योजना के अंतर्गत 100 दिवसों के सुनिश्चित रोजगार के विरूद्ध 18.41 प्रतिशत (बुरहानपुर जिला पंचायत) से 26.45 प्रतिशत (मंडला जिला पंचायत) के बीच रहा। उपरोक्त मानचित्रों एवं तालिका से स्पष्ट है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व तीन जिलों[13], सात जनपद पंचायतों[14] तथा 16 ग्राम पंचायतों[15] में निर्धारित 33 प्रतिशत की अनिवार्य सीमा से कम रहा। ये सभी तीन जिले गैर-जनजातीय जिले हैं। इसके अतिरिक्त, चयनित जनजातीय तथा गैर-जनजातीय जिलों में महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की भागीदारी, जैसा कि ***परिशिष्ट 5.4*** में दर्शाया गया है, यह इंगित करती है कि जनजातीय क्षेत्रों में सक्रिय महिला श्रमिकों की भागीदारी अपेक्षाकृत बेहतर रही, जो 41.28 प्रतिशत से 50.65 प्रतिशत के बीच रही। ये आँकड़े क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर लैंगिक समावेशन में संभावित अंतराल को रेखांकित करते हैं तथा महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और योजना में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए लक्षित प्रयासों की आवश्यकता की ओर संकेत करते हैं।

शासन ने उत्तर (सितंबर 2025) में बताया कि मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत जॉब कार्डधारक श्रमिकों को, जो कार्य की मांग करते हैं, रोजगार प्रदान किया जाता है। कार्य आवंटन के समय रोजगार की मांग करने वाले श्रमिकों में से महिलाओं, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का वास्तविक प्रतिनिधित्व अपर्याप्त पाया गया। इसके अतिरिक्त, गैर-जनजातीय क्षेत्रों में सक्रिय महिला श्रमिकों की भागीदारी कम रही, जो इन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाता है।

5.4.2 दिव्यांगजन

वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य में नमूना-जांच किए गए जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

राज्य स्तर

नरेगासॉफ्ट पोर्टल एम.आई.एस. के आँकड़ों के अनुसार, योजना के तहत पंजीकृत कुल 99,71,739 सक्रिय श्रमिकों में से 31 मार्च 2024 तक 1,21,183 (1.22 प्रतिशत) दिव्यांगजन थे। दिव्यांगजनों की वर्ष-वार भागीदारी ***चार्ट 5.2*** में दी गई है:

[13] रायसेन, सागर एवं विदिशा

[14] बुरहानपुर जिले के जनपद पंचायत बुरहानपुर, रायसेन जिले के जनपद पंचायत बाडी एवं जनपद पंचायत बेगमगंज, सागर जिले के जनपद पंचायत माल्थोन एवं जनपद पंचायत रेहली, विदिशा जिले के जनपद पंचायत विदिशा एवं जनपद पंचायत कुरवई।

[15] रायसेन जिले के भूरेरू, भीमपुर कंजाई, गैहालपुर, बांसपीपरिया और जमुनियाताल, सागर जिले के कोलुवान, बांगेला, गीदाहा एवं फूलार, विदिशा जिले के मुंद्रा मुहाना, बारो, जरगुवा, भौरंसा, धमनोदा एवं दलखापा तथा मंडला जिले के धारुखेड़ी हैं।

चार्ट 5.2	दिव्यांगजनों की वर्ष-वार भागीदारी

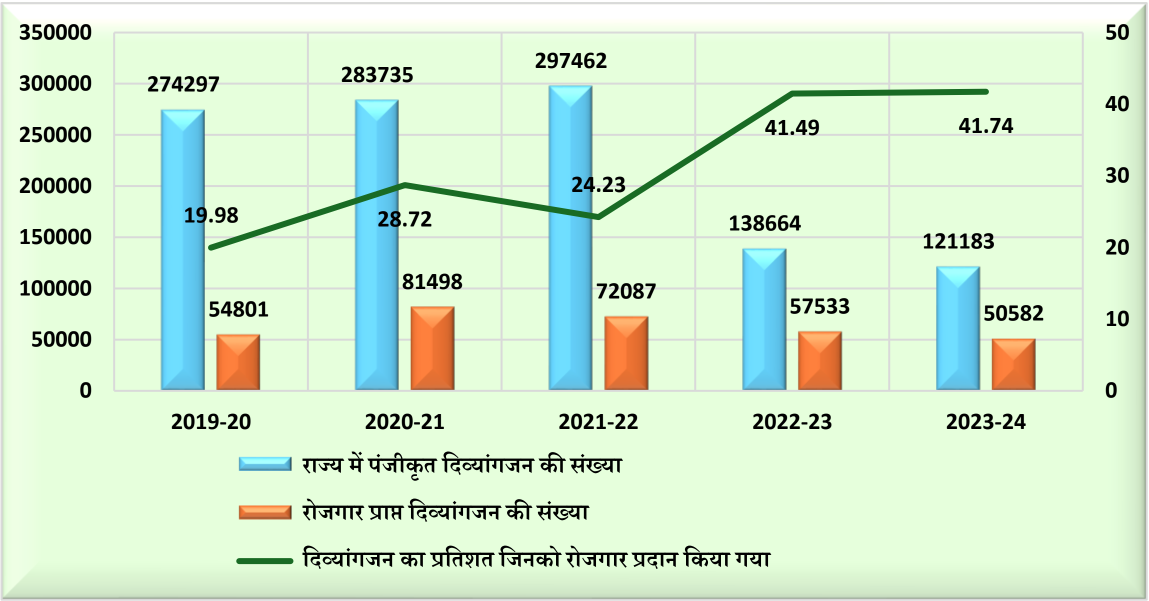

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य में पंजीकृत दिव्यांगजनों को प्रदान किया गया रोजगार 19.98 प्रतिशत (2019-20) से लेकर 41.74 प्रतिशत (2023-24) तक रहा। हालाँकि, पंजीकृत दिव्यांगजनों की कुल संख्या में वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 में पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई।

चयनित जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर

वर्ष 2019-24 के दौरान नमूना-जांच की गई आठ जिला पंचायतों, 16 जनपद पंचायतों एवं 64 ग्राम पंचायतों में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व नीचे ***तालिका 5.6*** में दिया गया है:

(आँकड़े प्रतिशत में)

तालिका 5.6	कुल दिव्यांगजनों में से नमूना-जांच की गई जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में प्रदान किए गए रोजगार का विवरण
नमूना-जांच की गई इकाइयाँ	**दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व**
जिला पंचायत (8)	*14.87 प्रतिशत से 43.10 प्रतिशत*
जनपद पंचायत (16)	*9.66 प्रतिशत से 48.11 प्रतिशत*
ग्राम पंचायत (64)	*शून्य प्रतिशत से 100 प्रतिशत*

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

चयनित जिला पंचायतों में नमूना-जांच की गई इकाइयों में दिव्यांगजनों को प्रदान किया गया रोजगार भी अपर्याप्त पाया गया, जिसका विवरण ***मानचित्र 5.4*** में दर्शाया गया है:

मानचित्र 5.4	नमूना-जांच किए गए जिला पंचायतों में दिव्यांगजनों के लिए सृजित औसत व्यक्ति-दिवस

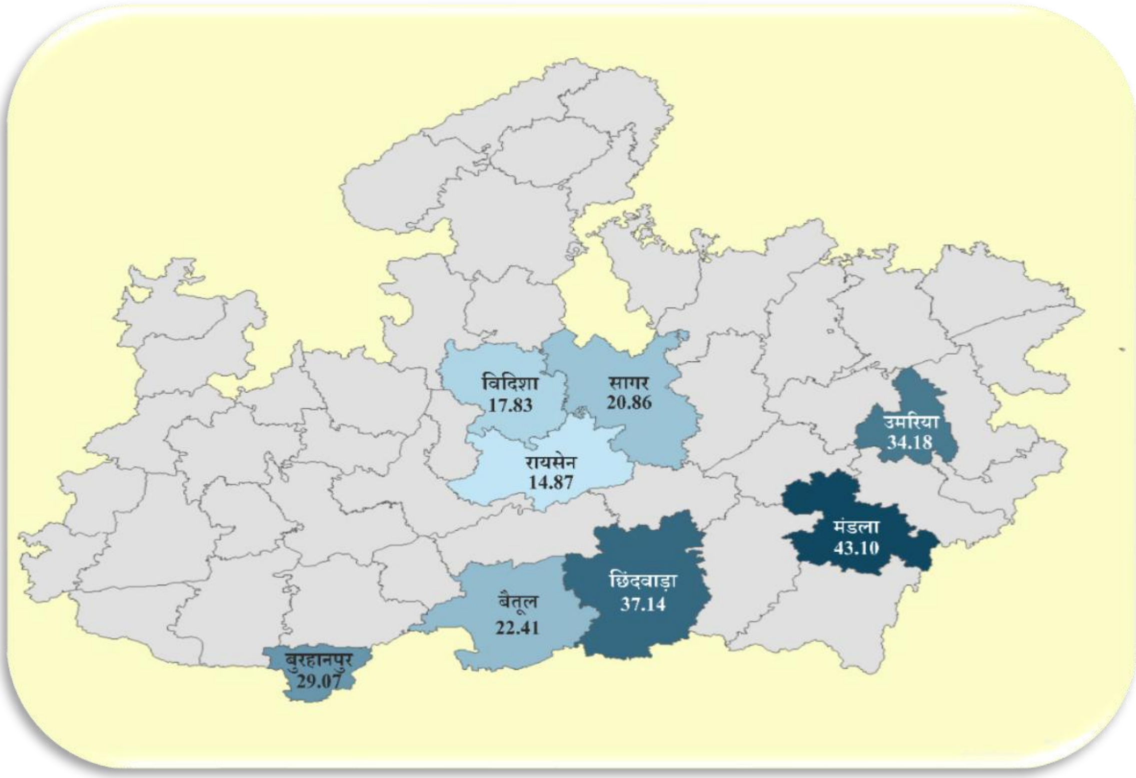

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

उपरोक्त मानचित्र से स्पष्ट है कि सूचीबद्ध जिलों में मंडला में दिव्यांगजनों को 100 दिवसों का रोजगार प्रदान करने का प्रतिशत सबसे अधिक है, जो 43.10 प्रतिशत तक है। इसके विपरीत, रायसेन में यह आच्छादन केवल 14.87 प्रतिशत है, जो सुनिश्चित 100 दिवसों के रोजगार के विरूद्ध काफी कम है। यह अंतर जिले में दिव्यांगजनों के लिए अवसर बढ़ाने हेतु लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता को उजागर करता है।

आंकड़ो के अतिरिक्त विश्लेषण से यह भी देखा गया कि प्रदान किया गया रोजगार 11.07 प्रतिशत (रायसेन, 2021-22) से लेकर 62.04 प्रतिशत (मंडला, 2023-24) के बीच रहा।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायतों ने मनरेगा के अंतर्गत रोजगार के लिए आवेदन करने वाले संवेदनशील या विशेष श्रेणी की महिलाओं तथा दिव्यांगजनों की पहचान हेतु कोई अभिलेख नहीं रखा। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजनों को कोई विशिष्ट कार्य आवंटित नहीं किया गया, न ही उनके आवास के निकट कम मेहनत वाले उपयुक्त कार्य सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष प्रबंध किए गए। यह विभाग की मनरेगा में दिव्यांगजनों की भागीदारी के लिए समावेशी परिस्थितियाँ सृजित करने की अक्षमता को दर्शाता है। साथ ही, यह उन कार्यों की पहचान एवं योजना के अभाव को भी उजागर करता है, जिन्हें दिव्यांगजनों तथा अन्य संवेदनशील व्यक्ति कर सकते हैं।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि वर्ष 2019-24 के दौरान चयनित जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में पहचान किए गए दिव्यांगजनों एवं अन्य कमजोर व्यक्तियों की प्रगति की समीक्षा हेतु समन्वयक (संवेदनशील समूहों) की मासिक बैठकें आयोजित नहीं की गई।

शासन ने (सितंबर 2025) दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने में कमी के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया।

5.5 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में चयनित ग्राम पंचायतों में अभिलेखों और अनिवार्य पंजियों के रखरखाव में महत्वपूर्ण अनियमितताएँ पाई गईं। ये कमियाँ योजना के क्रियान्वयन के कई पहलुओं, जैसे परिवारों को जॉब कार्ड जारी या अस्वीकार करने की प्रामाणिकता, लाभार्थियों द्वारा किए गए रोजगार मांगों को उचित रूप से पूरा करना एवं बेरोजगारी भत्तों का सटीक भुगतान, के संबंध में गंभीर चिंता पैदा करती हैं।

वर्ष 2019-24 के दौरान केवल 1.95 प्रतिशत (2023-24) से 5.83 प्रतिशत (2020-21) परिवारों को सुनिश्चित 100 दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया। मनरेगा के अंतर्गत परिवारों द्वारा 100 दिवसों का रोजगार पूरा न कर पाने का प्रमुख कारण मजदूरी की प्रचलित बाजार दर की तुलना में कम मजदूरी दरें, मजदूरी भुगतान में विलंब, तथा गाँव की नगर के निकटता थी, जहाँ अधिक आकर्षक रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं।

चयनित तीन जिलों (रायसेन, सागर और विदिशा), सात जनपद पंचायतों और 16 ग्राम पंचायतों में महिला श्रमिकों का औसत प्रतिनिधित्व निर्धारित 33 प्रतिशत से कम था। विभाग ने मनरेगा में दिव्यांगजनों की भागीदारी के लिए समावेशी परिस्थितियाँ नहीं बनाई एवं दिव्यांगजनों तथा अन्य संवेदनशील व्यक्तियों द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों के प्रकार की पहचान एवं योजना में कमी रही, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में दिव्यांगजनों के पंजीकरण में पूर्व वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय गिरावट आई। वर्ष 2019-24 के दौरान चयनित जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में चिन्हित दिव्यांगजनों तथा अन्य संवेदनशील व्यक्तियों की प्रगति की समीक्षा हेतु समन्वयक (संवेदनशील समूहों) की मासिक बैठकें आयोजित नहीं की गईं।

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की टिप्पणियों का पालन न करना, जैसे अनिवार्य अभिलेखों के संधारण का अभाव, जॉब कार्ड जारी करने में अनियमितताएँ एवं महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांगजनों की कम भागीदारी, यह दर्शाता है कि पात्र परिवारों की पहचान एवं प्रमाणीकरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। यह केवल संवेदनशील समूहों के लिए रोजगार सृजन के मूल उद्देश्य को ही कमजोर नहीं करता, बल्कि लेखापरीक्षा प्रक्रिया को भी बाधित करता है।

5.6 अनुशंसाएं

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए

- *ग्राम पंचायत स्तर पर अनिवार्य पंजियों का संधारण **(कंडिका 5.1.1 और 5.2 के संदर्भ में)**।*
- *मनरेगा के तहत मजदूरी दरों की समीक्षा करना एवं प्रचलित बाजार मजदूरी से तुलना करते हुए, किसी भी अंतर को दूर करने के लिए भारत सरकार के साथ ऐसे मामले उठाना, जो श्रमिकों की भागीदारी को हतोत्साहित कर सकते है **(कंडिका 5.3 के संदर्भ में)**।*
- *योजना में महिलाओं एवं दिव्यांगजनों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उन कार्यों के प्रकारों की पहचान करना एवं प्राथमिकता देना जो उनके कौशल तथा क्षमताओं के लिए सबसे उपयुक्त हैं **(कंडिका 5.4.1 और 5.4.2 के संदर्भ में)**।*

अध्याय VI

कार्य एवं उनका निष्पादन

अध्याय VI कार्य एवं उनका निष्पादन

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

- श्रेणी बी के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई एवं इनकी पूर्णता दर सबसे अधिक रही, जबकि अन्य श्रेणी के कार्य अपेक्षाकृत कम पूर्णता दर के साथ निष्पादित किए गए।
- श्रेणी ए तथा डी के कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, अनुमोदित तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत आवश्यक कई आइटम्स कार्यस्थल पर अनुपलब्ध पाए गए। इसके अतिरिक्त, जो परिसंपत्तियाँ बनाई गई थी, वे या तो कार्यशील नहीं थीं या अपने निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही थीं।
- व्यक्तिगत निजी कुएँ उन क्षेत्रों में खोदे गए जिन्हें 'संवेदनशील' या 'अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
- प्रस्तावित वर्ष के पश्चात एक वित्तीय वर्ष से अधिक समय तक कार्य अपूर्ण रहने के बावजूद नए सामुदायिक कार्यों को स्वीकृत किया गया।
- सूक्ष्म सिंचाई कार्य बिना अभिसरण के निष्पादित किए गए।
- कार्यस्थल पर सुविधाएँ मानकों के अनुसार उपलब्ध नहीं कराई गई।

6.1 मनरेगा के अंतर्गत कार्यों की श्रेणी

मनरेगा, 2005 की अनुसूची-I के नियम 3 में इस योजना के उद्देश्य के रूप में ‘उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन एवं ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करने की परिकल्पना की गई है। मनरेगा की अनुसूची-1, धारा 4 (3) के अनुसार, मनरेगा के अंतर्गत लिए जाने वाले कार्यों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि ***चार्ट 6.1*** में दर्शाया गया है:

चार्ट 6.1	मनरेगा के अंतर्गत कार्य श्रेणियां
श्रेणी ए	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित सार्वजनिक कार्य, जैसे जल संरक्षण, वाटरशेड प्रबंधन, सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई, पारंपरिक जल स्रोतों का नवीनीकरण, वनीकरण तथा भूमि विकास।
श्रेणी बी	सामुदायिक या व्यक्तिगत संपत्तियाँ, जिन्हें संवेदनशील वर्गों के लिए विकसित किया गया हो, जैसे भूमि की उत्पादकता बढ़ाना, बागवानी, रेशम उत्पादन, इंदिरा आवास योजना में अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन, पशुपालन को प्रोत्साहन देना, मत्स्य पालन के लिए आधारभूत संरचना आदि।
श्रेणी सी	सामूहिक आधारभूत संरचना, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) के अनुरूप स्व-सहायता समूहों के लिए आवश्यक सुविधाएँ शामिल हैं, जैसे आजीविका गतिविधियों के लिए सामुदायिक कार्यशालाएँ।
श्रेणी डी	ग्रामीण आधारभूत संरचना, जैसे ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण हाट, किचन शेड, खेल के मैदान, सभी मौसम के लिए सड़के, भंडारण गोदामों का निर्माण, ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र आदि।

स्रोत: मनरेगा, 2005

6.2 स्वीकृत कार्यों का निष्पादन

राज्य स्तर

31 मार्च 2024 तक मध्य प्रदेश में वर्ष 2019-24 के दौरान मनरेगा के अंतर्गत लिए गए कार्यों की स्थिति ***चार्ट 6.2*** में दी गई है:

चार्ट 6.2	वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य में लिए गए कार्यों की स्थिति

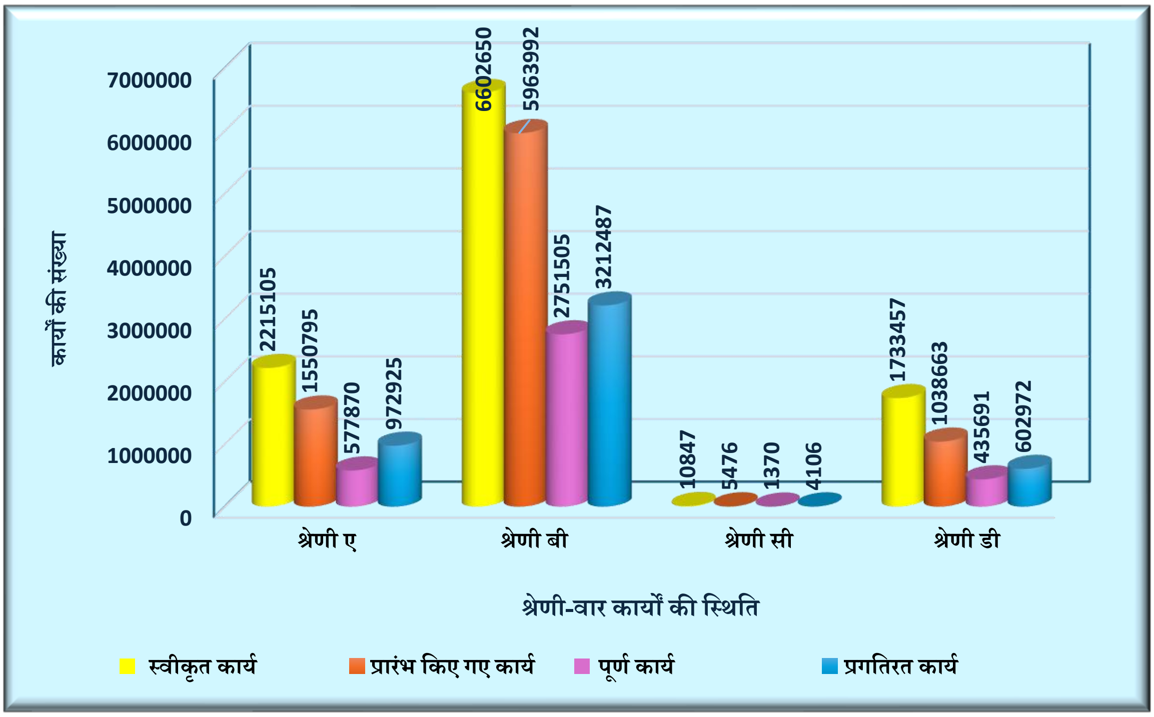

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि श्रेणी बी के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई एवं इनकी पूर्णता दर सबसे बेहतर रही, जबकि अन्य श्रेणियों के कार्य अपेक्षाकृत कम पूर्णता दर के साथ निष्पादित किए गए। निष्पादन में प्रमुख कमियाँ निम्नानुसार हैं:

- **प्राथमिकता के आधार पर आवंटन:** राज्य द्वारा श्रेणी 'बी' को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई, जिसमें कुल स्वीकृत कार्यों का 62.51 प्रतिशत (1,05,61,059 कार्यों में से 66,02,650 कार्य) शामिल था, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कार्य भी सम्मिलित हैं। इसके विपरीत, श्रेणी 'सी' को न्यूनतम प्राथमिकता दी गई, जो कुल कार्यों का मात्र 0.10 प्रतिशत (1,05,61,059 कार्यों में से 10,847 कार्य) था।

- **कार्य निष्पादन का प्रदर्शन स्तर:** सभी श्रेणियों में अनुमोदित तथा पूर्ण किए गए कार्यों के बीच उल्लेखनीय अंतर पाया गया, जो निष्पादन में संभावित समस्याओं को दर्शाता है। उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि पाँच वर्षों में प्रारंभ किए गए कार्यों में से केवल 25.02 प्रतिशत[16] (श्रेणी 'सी' के कार्य) से 46.14 प्रतिशत[17] (श्रेणी 'बी' के कार्य) ही पूर्ण किए जा सके। यह योजना निर्माण में विलंब, निधि के वितरण में विलंब तथा प्रशासनिक अक्षमताओं जैसी समस्याओं की ओर संकेत करता है। कार्य पूर्ण होने में हुए विलंब से न केवल टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण में बाधा उत्पन्न हुई, बल्कि संसाधनों की भी क्षति हुई, जैसा कि प्रतिवेदन की आगामी कंडिकाओं में रेखांकित किया गया है।

चयनित जिला स्तर

चयनित जिलों में वर्ष 2019-24 के दौरान मनरेगा के अंतर्गत लिए गए कुल कार्यों की स्थिति 31 मार्च 2024 की स्थिति में ***चार्ट 6.3*** में दी गई है:

[16] 5,476 में से 1,370 प्रारंभ किए गए कार्य

[17] 59,63,992 में से 27,51,505 प्रारंभ किए गए कार्य

चार्ट 6.3	वर्ष 2019–24 के दौरान नमूना-जांच किए गए आठ जिलों में लिए गए कुल कार्यों की संख्या

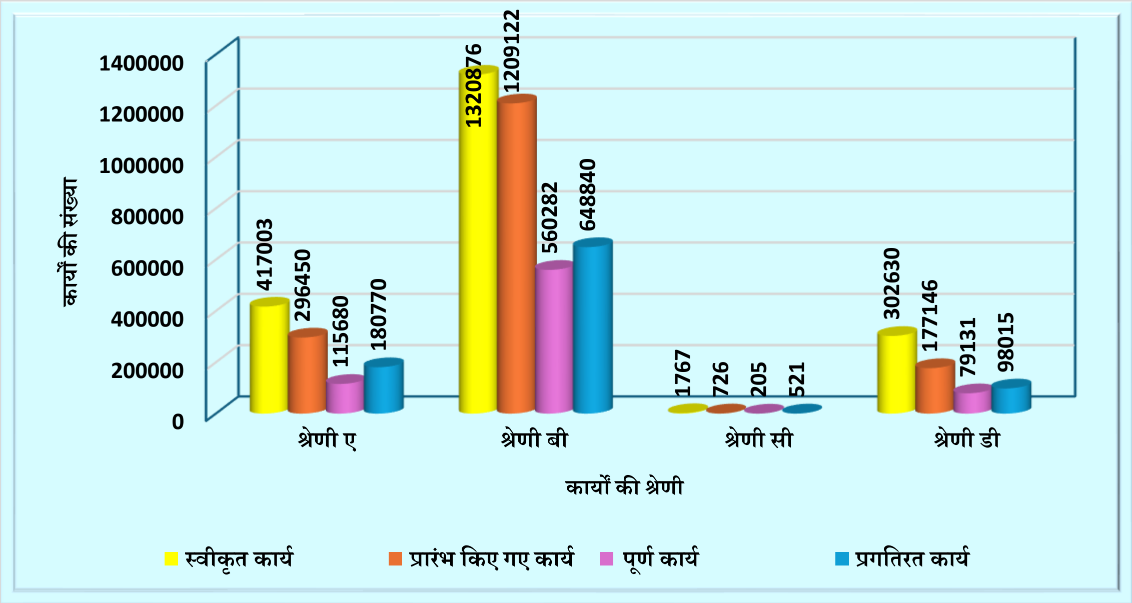

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-24 के दौरान प्रत्येक चयनित जिले में मनरेगा के अंतर्गत श्रेणी-वार लिए गए कार्यों का विवरण 31 मार्च 2024 की स्थिति में नीचे ***चार्ट 6.4*** में दर्शाया गया है तथा इसका विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 6.1*** में दिया गया है।

चार्ट 6.4	2019-24 के दौरान आठ नमूना-जांच वाले जिलों में लिए गए कार्यों की श्रेणी-वार संख्या

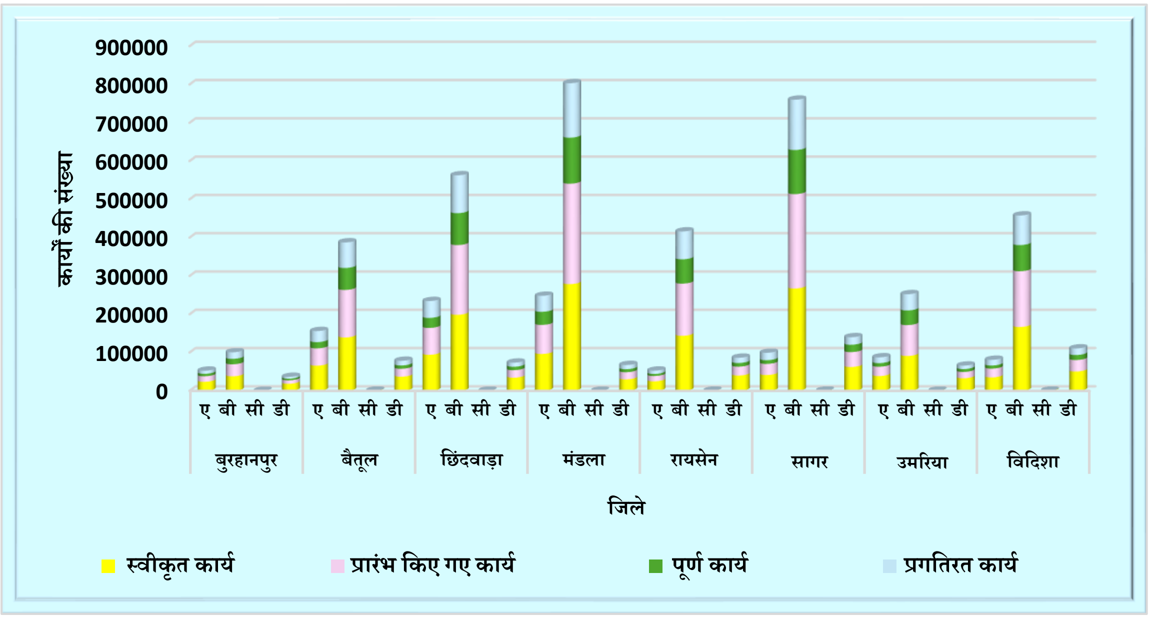

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

उपरोक्त चार्ट एवं परिशिष्ट में श्रेणी ए से डी तक के कार्यों की क्रियान्वयन स्थिति दर्शाई गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2019–24 के दौरान स्वीकृत 20,42,276 कार्यों में से 16,83,444 (82.43 प्रतिशत) कार्य प्रारंभ किए गए। निष्पादन में प्रमुख कमियाँ निम्नानुसार हैं:

- **प्राथमिकता के आधार पर आवंटन:** उपलब्ध आंकड़ों से स्पष्ट है कि सभी चयनित जिलों ने श्रेणी 'बी' के कार्यों को प्राथमिकता दी, इस श्रेणी में सर्वाधिक आवंटन सागर (2.67 लाख; 72.11 प्रतिशत), रायसेन (1.43 लाख; 69.01 प्रतिशत) तथा मंडला (2.78 लाख; 68.90 प्रतिशत) में देखा गया।
- **कार्य निष्पादन का प्रदर्शन स्तर:** प्रारंभ किए गए कार्यों की पूर्णता के संदर्भ में, आठ में से छ: जिलों ने श्रेणी 'बी' के कार्यों को प्राथमिकता दी तथा 45 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की उच्च पूर्णता दर प्राप्त की। शेष दो जिलों, बुरहानपुर तथा सागर, ने श्रेणी 'डी' के कार्यों को पूर्ण करने में थोड़ी अधिक प्राथमिकता दिखाई। इसके विपरीत, श्रेणी 'सी' के कार्य, यद्यपि संख्या में कम थे, आठ में से सात जिलों[18] में पूर्णता के लिए न्यूनतम प्राथमिकता प्राप्त हुई एवं इनकी पूर्णता दर 12 प्रतिशत से 43 प्रतिशत तक व्यापक रूप से भिन्न रही। शेष दो श्रेणियाँ, 'ए' एवं 'डी' लगभग सभी जिलों में मध्यम प्राथमिकता दी गई, जिनकी पूर्णता दरें श्रेणियों 'बी' एवं 'सी' के बीच रही।

शासन ने निर्गम सम्मलेन (जुलाई 2025) में इस तथ्य को स्वीकार किया एवं बताया कि कार्यों के निष्पादन में अंतर मुख्यतः भारत सरकार द्वारा वर्ष के मध्य में जारी किए गए निर्देशों के कारण हुआ, जिन्होंने नियोजित कार्यों के निष्पादन को प्रभावित किया। साथ ही यह आश्वासन दिया कि अपूर्ण कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, शासन ने उत्तर में बताया (सितंबर 2025) कि कार्य कोड जनरेशन के समय कुछ ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा कार्य श्रेणियों के गलत चयन के कारण त्रुटियाँ हुईं; जिन्हें सुधारा जा रहा है, तथा पारदर्शिता, समय पर पूर्णता एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बेहतर निगरानी तथा समन्वय के माध्यम से कदम उठाए गए हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उद्धृत कारण आंतरिक कमी को दर्शाते हैं एवं कार्य श्रेणियों की प्राथमिकता निर्धारण तथा निष्पादन में पाए गए अंतराल को उचित नहीं ठहराते हैं।

6.2.1 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित कार्यों का निष्पादन (श्रेणी ए कार्य)

मनरेगा के अंतर्गत अनुमत कार्य चार भागों में वर्गीकृत हैं, जो अधिनियम की अनुसूची–I में सूचीबद्ध हैं। प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) ने कुल 45 श्रेणियाँ चिह्नित की हैं, जिनमें 266 प्रकार के अनुमत कार्य शामिल हैं। इनमें से 182 कार्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित हैं, जिनमें 85 जल-संबंधित कार्य सम्मिलित हैं। योजना की श्रेणी ए में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर केंद्रित सार्वजनिक कार्य आते हैं, जैसे जल संरक्षण, जलाधार प्रबंधन, सिंचाई, पारंपरिक जल स्रोतों का नवीनीकरण, वनीकरण एवं भूमि विकास।

वर्ष 2019-24 के दौरान चयनित जिलों में श्रेणी ए के अंतर्गत प्रारंभ किए गए एवं पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या की जानकारी, 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, ***तालिका 6.1*** में दी गई है:

[18] मंडला जिले को छोड़कर, जिसने श्रेणी 'डी' के कार्यों को न्यूनतम प्राथमिकता दी।

तालिका 6.1 मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधी कार्यों की स्थिति

जिला	अनुमोदित कार्य	प्रारंभ किए गए कार्य	प्रारंभ किए गए कार्यों का प्रतिशत	जिला	प्रारंभ किए गए कार्य	पूर्ण किए गए कार्य	पूर्णता प्रतिशत
रायसेन	24465	14025	57.33	सागर	29039	9721	33.48
बुरहानपुर	23314	14495	62.17	विदिशा	23007	8130	35.34
उमरिया	38276	24462	63.91	बैतूल	45206	16308	36.07
विदिशा	34738	23007	66.23	छिंदवाड़ा	70234	26115	37.18
बैतूल	65437	45206	69.08	रायसेन	14025	5375	38.32
सागर	41013	29039	70.80	उमरिया	24462	9390	38.39
छिंदवाड़ा	93816	70234	74.86	बुरहानपुर	14495	6417	44.27
मंडला	95944	75982	79.19	मंडला	75982	34224	45.04

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

उपरोक्त तालिका में चयनित जिलों में श्रेणी ए के अंतर्गत कार्यों के प्रारंभ एवं पूर्णता के विभिन्न स्तरों को दर्शाया गया है, जो निम्नानुसार हैं:

- **उच्च क्रियान्वयन स्तर वाले जिले:**
  - मंडला जिले ने दोनों उच्च प्रारंभ (79.19 प्रतिशत) एवं उच्च पूर्णता (45.04 प्रतिशत) दरें प्रदर्शित की, जो श्रेणी ए कार्यों की पूर्णता के लिए समग्र क्रियान्वयन एवं निष्पादन क्षमता को मजबूत रूप से दर्शाती है।
  - बुरहानपुर जिले में मध्यम स्तर की शुरुआत (62.17 प्रतिशत) दर्ज की गयी लेकिन उच्च पूर्णता दर (44.27 प्रतिशत) रही, जो यह संकेत देती है कि कार्य प्रारंभ होने के बाद परियोजना का निष्पादन प्रभावी रहा, हालांकि अनुमोदित कार्यों की प्रारंभिक प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है।
- **मध्यम क्रियान्वयन स्तर वाले जिले:**
  - छिंदवाड़ा एवं बैतूल जिलों में अपेक्षाकृत उच्च से मध्यम प्रारंभ दरें (क्रमशः 74.86 प्रतिशत तथा 69.08 प्रतिशत) एवं मध्यम पूर्णता दरें (क्रमशः 37.18 प्रतिशत तथा 36.07 प्रतिशत) पाई गईं, जो स्वीकृत कार्यों को प्रारंभ करने के प्रयासों को दर्शाती हैं, हालांकि प्रारंभ किए गए कार्यों की समयबद्ध पूर्णता में सुधार की आवश्यकता है।
  - उमरिया, विदिशा एवं सागर जिलों में प्रारंभ दर 63 प्रतिशत से 71 प्रतिशत के बीच तथा पूर्णता दर 35 प्रतिशत से 38 प्रतिशत के बीच रही, जो स्थिर प्रगति एवं मध्यम स्तर के क्रियान्वयन को दर्शाती है, हालांकि प्रारंभ किए गए कार्यों की पूर्णता में सुधार की आवश्यकता है।
- **निम्न क्रियान्वयन स्तर वाले जिले:**
  - रायसेन जिले में कम प्रारंभ दर तथा औसत पूर्णता दर पाई गई, जो श्रेणी ए के कार्यों के प्रारंभ एवं पूर्णता दोनों में चुनौतियों को दर्शाती है, जो संभवतः प्रणालीगत या प्रशासनिक बाधाओं के कारण हो सकती हैं।

6.2.1.1 श्रेणी ए कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन पर लेखापरीक्षा टिप्पणी

अगस्त से अक्टूबर 2024 की अवधि के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा चयनित आठ जिला पंचायतों के अंतर्गत नमूना-जांच की गई 64 ग्राम पंचायतों में 384 कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया। निरीक्षण किए गए 384 कार्यों में से 97 कार्य, जिनमें 51 पूर्ण एवं 46 प्रगतिरत कार्य शामिल थे तथा जिनकी कुल लागत ₹3.62 करोड़ थी, श्रेणी ए के कार्यों के रूप में वर्गीकृत किए गए। चयनित जिला पंचायतों में इन श्रेणी-ए कार्यों की स्थिति नीचे ***चार्ट 6.5*** में दर्शाई गई है।

चार्ट 6.5	श्रेणी 'ए' के अंतर्गत चयनित पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों का प्रतिनिधित्व

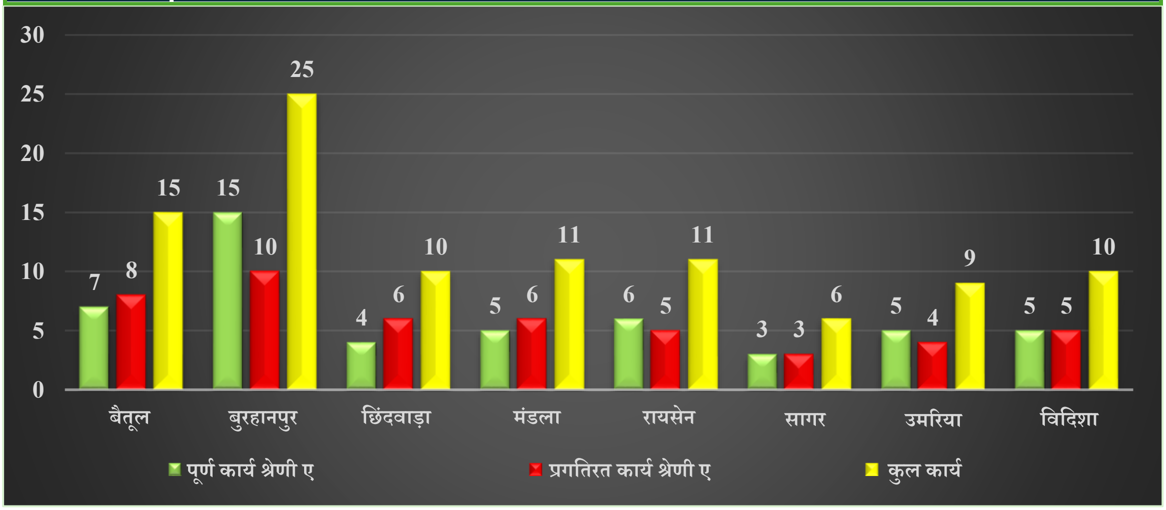

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

उपरोक्त कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान निम्नलिखित ऐसे उदाहरण पाए गए, जिनमें प्रमुख कमियाँ चिन्हित की गईं:

कार्य का विवरण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
चित्र 6.1: कार्य आईडी: 1747008072/डब्ल्यू.सी./22012034987133 के चरण-III का जियोटैग वाला चित्र **कार्य का नाम:** अमृत सरोवर तालाब निर्माण **ग्राम पंचायत :** संदसकला, **जनपद पंचायत :** खकनार, **जिला पंचायत:** बुरहानपुर **संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि:** 30.09.2024 **कार्य की स्थिति:** 22.06.2022 से प्रगतिरत **व्यय:** ₹16,86,982	**चित्र 6.2:** संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिया गया चित्र, जो दर्शाता है कि अमृत सरोवर में तकनीकी स्वीकृति के अनुसार आवश्यक जल धारण संरचनाएँ, जैसे रॉक टो का निर्माण, पडल भराई आदि, उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण निर्माण पर किया गया व्यय अप्रभावी हो गया। साथ ही, तालाब वर्षा ऋतु में भी सूखा पाया गया।

चित्र 6.3: कार्य आईडी: 1747008072/डब्ल्यू.सी./22012034987157 के चरण-III का जियोटैग वाला चित्र

कार्य का नाम: अमृत सरोवर तालाब निर्माण

ग्राम पंचायत: संदसकला, **जनपद पंचायत :** खकनार, **जिला पंचायत:** बुरहानपुर

संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 30.09.2024

कार्य पूरा होने की तिथि: 01.11.2024

व्यय: ₹13,79,975

चित्र 6.4: संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिया गया चित्र, जो दर्शाता है कि अमृत सरोवर में तकनीकी स्वीकृति के अनुसार आवश्यक जल धारण संरचनाएँ, जैसे रॉक टो का निर्माण, पडल भराई आदि, मौजूद नहीं हैं, जिससे निर्माण पर किया गया व्यय अप्रभावी हो गया। तालाब वर्षा ऋतु में भी सूखा पाया गया, जिससे निष्पादित कार्य और उसके पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता पर संदेह उठता है।

नरेगासॉफ्ट पोर्टल पर कोई जियोटैग्ड चित्र उपलब्ध नहीं है

कार्य आईडी: 1747008072/डब्ल्यू.सी./22012035108611

कार्य का नाम: खेत तालाब निर्माण

ग्राम पंचायत : संदसकला, **जनपद पंचायत:** खकनार, **जिला पंचायत:** बुरहानपुर

संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 30.09.2024

कार्य की स्थिति: 26.12.2023 से प्रगतिरत

व्यय: ₹1,35,027

चित्र 6.5: संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिया गया चित्र दर्शाता है कि वर्षा ऋतु (सितंबर) के तुरंत बाद भी, खेत तालाब में पानी नहीं था, क्योंकि तालाब जलरोधी नहीं था। इसके अतिरिक्त, जियोटैग चित्र की अनुपलब्धता, तकनीकी स्वीकृति में अनिवार्य पत्थर की पिचिंग का काम नहीं होना एवं प्रगतिरत कार्य के स्पष्ट संकेतों का अभाव, अब तक निष्पादित कार्य की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न करता है।

चित्र 6.6: कार्य आईडी: 747008085/डब्ल्यू.सी./22012034381496 के चरण-III का जियोटैग वाला चित्र

कार्य का नाम: खेत तालाब का निर्माण

ग्राम पंचायत: टेंभी, **जनपद पंचायत:** खकनार, **जिला पंचायत :** बुरहानपुर

चित्र 6.7: संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिया गया चित्र दर्शाता है कि वर्षा ऋतु (सितंबर) के तुरंत बाद भी, खेत तालाब में पानी नहीं था, क्योंकि तालाब जलरोधी नहीं था।

साथ ही, जल धारण के लिए तकनीकी स्वीकृति में अनिवार्य 'पत्थर लगाने' (स्टोन पिचिंग) का कार्य नहीं होना, अब तक निष्पादित कार्य एवं उसके पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न करता है।

संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 15.10.2024
कार्य पूरा होने की तिथि: 27.06.2019
व्यय: ₹76,032

चित्र 6.8: कार्य आईडी: 1731004002/ डब्ल्यू.सी./22012034726832 के चरण-III का जियोटैग वाला चित्र
कार्य का नाम: सी.टी.आर. खेत तालाब निर्माण
ग्राम पंचायत: झिरीयादोह, **जनपद पंचायत:** चिचोली, **जिला पंचायत:** बैतूल
संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 03.10.2024
कार्य पूरा होने की तिथि: 31.07.2023
व्यय: ₹3,90,372

चित्र 6.9: संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिया गया चित्र दर्शाता है कि तालाब के निर्माण के लिए कोई पत्थर की पिचिंग (स्टोन पिचिंग) नहीं की गई थी। इसके स्थान पर, धान की खेती देखी गई। साथ ही, ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत में निरीक्षण रिपोर्ट या मापन पुस्तिकाएँ जैसे कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं थे, जिससे निष्पादित कार्य एवं उसके पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न होता है।

नरेगासॉफ्ट पोर्टल पर कोई जियोटैग्ड चित्र उपलब्ध नहीं है

कार्य आईडी: 1731004020/आई.एफ/22012034406731
कार्य का नाम: हितैषी कपिल धारा कूप निर्माण (दीना/सलक)
ग्राम पंचायत: निवाडी , **जनपद पंचायत :** चिचोली, **जिला पंचायत:** बैतूल
संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 08.10.2024
कार्य की स्थिति: 15.08.2018 से प्रगतिरत
व्यय: ₹1,53,735

चित्र 6.10: संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिया गया चित्र दर्शाता है कि कपिल धारा कूप के चारों ओर आवश्यक आरसीसी रिंग वॉल का निर्माण नहीं किया गया था, जैसा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पी.आर.डी.डी.), मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश (मई 2019) में अनिवार्य किया गया है।

इसके अतिरिक्त, निर्माण कार्य, स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना था, किन्तु ₹1.54 लाख व्यय होने के बावजूद स्वीकृति के छ: वर्ष बाद भी कार्य अपूर्ण पाया गया।

नरेगासॉफ्ट पोर्टल पर कोई जियोटैग्ड चित्र उपलब्ध नहीं है

कार्य आईडी: 1731004002/आई.एफ./22012034368405

कार्य का नाम: वृक्षारोपण कार्य

ग्राम पंचायत : झिरीयादोह, **जनपद पंचायत:** चिचोली, **जिला पंचायत :** बैतूल

संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 03.10.2024

कार्य की स्थिति: 28.08.2019 से प्रगतिरत

व्यय: ₹49,754

चित्र 6.11: संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिया गया चित्र दर्शाता है कि न तो वृक्षारोपण कार्य किया गया था एवं न ही फेंसिंग (बाड़ लगाना) का कार्य पाया गया। इसके अतिरिक्त, परियोजना को स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना था। तथापि, ₹0.50 लाख व्यय होने के बावजूद स्वीकृति की तिथि से पाँच वर्ष के बाद भी कार्य अपूर्ण पाया गया।

उपरोक्त कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों की उपस्थिति में किया गया, जिसमें संदर्भ के रूप में आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध जियोटैग्ड चित्र तथा तकनीकी स्वीकृति (टी.एस.) के दस्तावेजों का उपयोग किया गया। जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, अनुमोदित तकनीकी स्वीकृति (टी.एस.) में अनिवार्य कई आइटम्स स्थल पर अनुपलब्ध पाए गए। इसके अतिरिक्त, माप पुस्तिका, गुणवत्ता नियंत्रण रिपोर्ट, कार्य निरीक्षण रिपोर्ट, मस्टर रोल तथा अन्य संबंधित अभिलेख सत्यापन के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ ही, प्रगतिरत दर्शाए गए कार्यों में भी स्थल पर प्रगति के कोई वास्तविक संकेत नहीं पाए गए।

इसके अतिरिक्त, निर्मित परिसंपत्तियाँ या तो अक्रियात्मक पाई गईं अथवा अपने निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही थीं, जिससे उस सीमा तक किया गया व्यय निष्फल प्रतीत होता है। ये विसंगतियाँ निष्पादित कार्यों की प्रामाणिकता, पूर्ण बताए गए कार्यों के लिए जारी किए गए पूर्णता प्रमाण पत्रों की वैधता तथा प्रगतिरत परियोजनाओं पर किए गए व्यय की वैधता के संबंध में गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करती हैं।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त प्रकरण यह भी दर्शाते हैं कि पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन में केवल आंशिक सुधार हुआ है, जिनमें किए गए कार्यों की गुणवत्ता तथा निष्पादन मानकों में अनियमितताओं को भी उजागर किया गया था।

हालाँकि, उपर्युक्त निष्फल व्यय से संबंधित टिप्पणियों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में श्रेणी ए के अंतर्गत निष्पादित कुछ कार्यों में अच्छी कार्यप्रणालियाँ भी पाई गईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

चित्र 6.12: कार्य आईडी: 1736003051/आई.एफ./22012034706891
कार्य का नाम: तटबंध का निर्माण **ग्राम पंचायत :** राफा, **जनपद पंचायत :** अमरवाड़ा,
जिला पंचायत : छिंदवाड़ा
संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 13.08.2024
कार्य पूर्ण होने की तिथि: 12.10.2022
व्यय: ₹1,23,549
संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि बारिश के पानी को बाँधों के माध्यम से प्रभावी ढंग से संचित किया गया, जिससे जल संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि हुई। यह संचित जल सिंचाई के लिए उपयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। साथ ही, बाँधों ने बाढ़ के जोखिम को कम करने में मदद की, जिससे जीवन तथा संपत्ति की संभावित हानि न्यूनतम हुई।

निर्गम सम्मलेन (जुलाई 2025) में, शासन ने इन तथ्यों को स्वीकार किया एवं आश्वासन दिया कि नई तकनीक को अपनाने के साथ, ऐसी अनियमितताओं के लगातार बने रहने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि इनकी पुनरावृत्ति को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, शासन ने सितंबर 2025 में उत्तर दिया कि जी.आई.एस. प्लेटफॉर्म एस.आई.पी.आर.आई. (ग्रामीण अवसंरचना की पहचान एवं योजना हेतु सॉफ्टवेयर) का उपयोग वर्ष 2025-26 से अनिवार्य कर दिया गया है। अमृत सरोवर का निर्माण जहाँ किया गया (चित्र 6.1 से 6.4 ऊपर), वहाँ की भूमि में पानी के रिसने की दर बहुत अधिक थी, जिससे पानी जल्दी से निकल जाता था। जिले में निम्न वर्षा के कारण, निर्मित संरचनाओं में पानी नहीं रुकता। साथ ही, यह भी बताया गया कि ग्राम पंचायत झिरीयादोह, जनपद पंचायत चिचोली, बैतूल में निष्पादित खेत तालाब निर्माण कार्य (ऊपर चित्र 6.8 तथा 6.9) के लिए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ वसूली की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि संयुक्त भौतिक सत्यापन के समय कार्य निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाए गए। इसके अतिरिक्त, प्रस्तुत उत्तर भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के निष्पादन के लिए निर्धारित कार्ययोजना को दर्शाता है।

6.2.2 कमजोर वर्गों के लिए सामुदायिक परिसंपत्तियों या व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित कार्यों का निष्पादन (श्रेणी 'बी' कार्य)

प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) ने 266 प्रकार के अनुमेय कार्यों को समाहित करते हुए 45 श्रेणियों की पहचान की है। इनमें से 67 प्रकरण संवेदनशील वर्गों (श्रेणी बी कार्यों) के लिए सामुदायिक परिसंपत्तियों अथवा व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित हैं, जैसे कि भूमि की उत्पादकता में सुधार, बागवानी, रेशम उत्पादन, इंदिरा आवास योजना में अकुशल मजदूरी के माध्यम से आजीविका में सुधार करना, पशुधन को बढ़ावा देना, मत्स्य पालन हेतु अधोसंरचना आदि।

वर्ष 2019-24 के दौरान चयनित जिलों में श्रेणी बी के अंतर्गत प्रारंभ किए गए कार्यों तथा पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या का विवरण 31 मार्च 2024 की स्थिति में ***तालिका 6.2*** में दिया गया है:

तालिका 6.2 मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित सामुदायिक परिसंपत्तियों अथवा व्यक्तिगत परिसंपत्तियों से संबंधित कार्यों की स्थिति

जिला	अनुमोदित कार्य	प्रारंभ किए गए कार्य	प्रारंभ किए गए कार्यों का प्रतिशत	जिला	प्रारंभ किए गए कार्य	पूर्ण किए गए कार्य	पूर्णता प्रतिशत
बुरहानपुर	37645	31386	83.37	बुरहानपुर	31386	14279	45.49
विदिशा	166417	145601	87.49	छिंदवाड़ा	182205	83203	45.66
उमरिया	90845	80616	88.74	मंडला	262382	120165	45.80
बैतूल	139081	124145	89.26	बैतूल	124145	57388	46.23
छिंदवाड़ा	198217	182205	91.92	रायसेन	136289	63503	46.59
सागर	266982	246498	92.33	सागर	246498	115151	46.71
मंडला	278292	262382	94.28	विदिशा	145601	68312	46.92
रायसेन	143397	136289	95.04	उमरिया	80616	38281	47.49

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

उपर्युक्त तालिका चयनित जिलों में श्रेणी बी के अंतर्गत कार्यों के कुशल प्रारंभ एवं मध्यम स्तर के समापन को दर्शाती है, जिसमें प्रारंभ किए गए कार्यों का प्रतिशत 83.37 प्रतिशत (बुरहानपुर जिला) से 95.04 प्रतिशत (रायसेन जिला) के बीच रहा। हालांकि, कार्यों की पूर्णता दर 45.49 प्रतिशत (बुरहानपुर जिला) से 47.49 प्रतिशत (उमरिया जिला) के बीच रही, जो सभी जिलों में कार्य निष्पादन में अक्षमताओं का संकेत देती है, जैसे कि विलंब, संसाधनों की कमी अथवा परियोजनाओं की अपर्याप्त निगरानी।

इसके अतिरिक्त, अगस्त से अक्टूबर 2024 की अवधि के दौरान आठ चयनित जिला पंचायतों के अंतर्गत 64 नमूना-जांच की गई ग्राम पंचायतों में 384 कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया। इनमें से 220 कार्य, जिनमें 167 पूर्ण तथा 53 प्रगतिरत कार्य शामिल थे एवं उनकी कुल लागत ₹2.04 करोड़ थी, श्रेणी बी के कार्यों के रूप में वर्गीकृत पाए गए। इनमें ₹0.24 करोड़ लागत के प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.) के 133 कार्य भी शामिल थे। चयनित जिला पंचायतों में इन श्रेणी बी के कार्यों की स्थिति नीचे ***चार्ट 6.6*** में दर्शाई गई है :

चार्ट 6.6 श्रेणी बी के अंतर्गत चयनित पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों का प्रतिनिधित्व

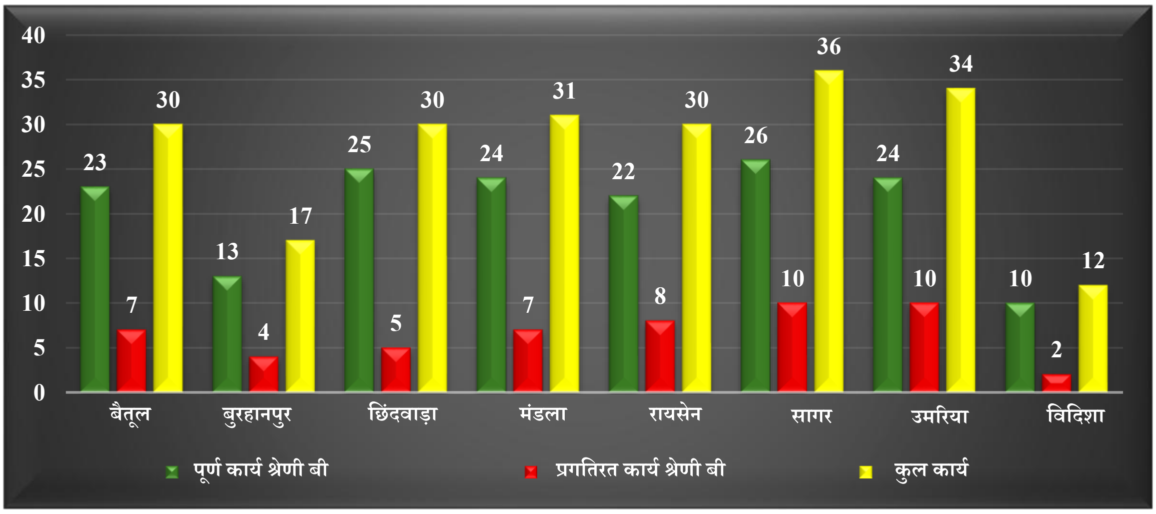

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

उपरोक्त तालिका एवं चार्ट सभी चयनित जिलों द्वारा श्रेणी बी के कार्यों को चयनात्मक रूप से दी गई प्राथमिकता को दर्शाते है।

6.2.3 एन.आर.एल.एम. के अनुरूप स्व-सहायता समूहों के अंतर्गत सामान्य अधोसंरचना से संबंधित कार्यों का निष्पादन (श्रेणी सी कार्य)

प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) ने 266 प्रकार के अनुमेय कार्यों को समाहित करते हुए 45 श्रेणियों की पहचान की है। इनमें से आठ सामान्य अधोसंरचनात्मक परिसंपत्तियों के सृजन (श्रेणी सी कार्यों) से संबंधित हैं, जिनमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) के अनुरूप स्व-सहायता समूहों के लिए आजीविका गतिविधियों हेतु सामुदायिक कार्यशाला (कॉमन वर्क शेड) आदि शामिल हैं।

वर्ष 2019-24 के दौरान चयनित जिलों में श्रेणी सी के अंतर्गत प्रारंभ किए गए कार्यों तथा पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या का विवरण 31 मार्च 2024 की स्थिति में नीचे ***तालिका 6.3*** में दिया गया है:

तालिका 6.3 मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित सामुदायिक अवसंरचना से संबंधित कार्यों की स्थिति

जिला	अनुमोदित कार्य	प्रारंभ किए गए कार्य	प्रारंभ किए गए कार्यों का प्रतिशत	जिला	प्रारंभ किए गए कार्य	पूर्ण किए गए कार्य	पूर्णता प्रतिशत
छिंदवाड़ा	266	92	34.59	बुरहानपुर	16	2	12.50
विदिशा	346	120	34.68	विदिशा	120	17	14.17
सागर	296	107	36.15	रायसेन	120	24	20.00
रायसेन	308	120	38.96	बैतूल	146	41	28.08
उमरिया	195	84	43.08	उमरिया	84	26	30.95
बुरहानपुर	32	16	50.00	छिंदवाड़ा	92	31	33.70
मंडला	78	41	52.56	सागर	107	46	42.99
बैतूल	246	146	59.35	मंडला	41	18	43.90

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

उपरोक्त तालिका चयनित जिलों में श्रेणी सी के अंतर्गत कार्यों के प्रारंभ होने और पूर्ण होने के विभिन्न स्तरों को दर्शाती है, जो इस प्रकार है:

- **उच्च क्रियान्वयन स्तर वाले जिले:**
  - मंडला जिले ने दोनों उच्च प्रारंभ (52.56 प्रतिशत) एवं उच्च पूर्णता (43.90 प्रतिशत) दरें प्रदर्शित की, जो श्रेणी सी कार्यों की पूर्णता के लिए समग्र क्रियान्वयन एवं निष्पादन क्षमता को मजबूत रूप से दर्शाती है।
  - सागर जिले में मध्यम प्रारंभ (36.15 प्रतिशत) दर्ज किया गया लेकिन उच्च पूर्णता दर (42.99 प्रतिशत) रही, जो यह संकेत देती है कि कार्य प्रारंभ होने के बाद परियोजना का निष्पादन प्रभावी रहा, हालांकि अनुमोदित कार्यों की प्रारंभिक प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है।
- **मध्यम क्रियान्वयन स्तर वाले जिले:**
  - बैतूल और उमरिया ज़िलों में कार्य प्रारंभ करने की दरें मध्यम (59.35 प्रतिशत और 43.08 प्रतिशत) रहीं, जबकि कार्य पूर्ण करने की दरें सामान्य (28.08 प्रतिशत और 30.95 प्रतिशत) देखी गईं, जो अनुमोदित कार्यों की शुरुआत में प्रयासों को दर्शाती हैं, लेकिन प्रारंभ किए गए कार्यों की समय पर पूर्णता में सुधार की आवश्यकता है।

- छिंदवाड़ा और रायसेन जिले में प्रारंभ दर 34.59 प्रतिशत से 38.96 प्रतिशत तथा पूर्णता दर 20.00 प्रतिशत से 33.70 प्रतिशत के बीच रही, जो स्थिर प्रगति एवं मध्यम क्रियान्वयन को दर्शाती है एवं दोनों क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश है।

- **निम्न क्रियान्वयन स्तर वाले जिले:**

- विदिशा जिला में कम प्रारंभ दर (34.68 प्रतिशत) और कम पूर्णता दर (14.17 प्रतिशत) देखी गई, जो श्रेणी 'सी' के कार्यों की शुरुआत और पूर्णता दोनों में चुनौतियों को दर्शाती है।
- बुरहानपुर जिला, जहां प्रारंभ दर मध्यम (50.00 प्रतिशत) रही, वहाँ पूर्णता दर बहुत कम (12.50 प्रतिशत) रही, जो अनुमोदित कार्यों की शुरुआत के बाद संभवतः परिचालन या प्रशासनिक कारणों से निष्पादन में गंभीर चुनौतियों को उजागर करती है।

6.2.4 ग्रामीण अधोसंरचना से संबंधित कार्यों का निष्पादन (श्रेणी डी कार्य)

प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) ने 266 प्रकार के अनुमेय कार्यों को समाहित करते हुए 45 श्रेणियों की पहचान की है। इनमें से 105 ग्रामीण अधोसंरचनात्मक परिसंपत्तियों (श्रेणी डी कार्यों) जैसे ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण हाट, किचन शेड, खेल के मैदान, बारहमासी सड़कें, भंडारण गोदामों का निर्माण, ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केन्द्र आदि से संबंधित हैं।

वर्ष 2019-24 के दौरान चयनित जिलों में श्रेणी डी के अंतर्गत प्रारंभ किए गए कार्यों तथा पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या का विवरण 31 मार्च 2024 की स्थिति में नीचे ***तालिका 6.4*** में दिया गया है:

तालिका 6.4 — मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित कार्यों की स्थिति

जिला	अनुमोदित कार्य	प्रारंभ किए गए कार्य	प्रारंभ किए गए कार्यों का प्रतिशत	जिला	प्रारंभ किए गए कार्य	पूर्ण किए गए कार्य	पूर्णता प्रतिशत
बुरहानपुर	18117	9069	50.06	रायसेन	23238	9579	41.22
उमरिया	32601	16498	50.61	बैतूल	20788	8647	41.60
बैतूल	36598	20788	56.8	मंडला	18822	7856	41.74
छिंदवाड़ा	34069	19637	57.64	विदिशा	30180	13036	43.19
रायसेन	39608	23238	58.67	उमरिया	16498	7464	45.24
विदिशा	50104	30180	60.23	छिंदवाड़ा	19637	8901	45.33
सागर	61963	38914	62.80	बुरहानपुर	9069	4411	48.64
मंडला	29570	18822	63.65	सागर	38914	19237	49.43

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

उपरोक्त तालिका चयनित जिलों में श्रेणी डी के अंतर्गत कार्यों के प्रारम्भ होने और पूर्ण होने के विभिन्न स्तरों को दर्शाती है, जो इस प्रकार है:

- **उच्च क्रियान्वयन स्तर वाले जिले:**

- सागर जिले ने दोनों उच्च प्रारंभ (62.80 प्रतिशत) एवं उच्च पूर्णता (49.43 प्रतिशत) दरें प्रदर्शित की, जो श्रेणी डी कार्यों की पूर्णता के लिए समग्र क्रियान्वयन एवं निष्पादन क्षमता को मजबूत रूप से दर्शाती है।

- **मध्यम क्रियान्वयन स्तर वाले जिले:**

- शेष जिलों में प्रारंभ दर 50.06 प्रतिशत से 60.23 प्रतिशत के बीच रही, जबकि पूर्णता दर 41.22 प्रतिशत से 48.64 प्रतिशत के बीच रही। यह अनुमोदित कार्यों की शुरुआत में लगातार प्रगति एवं प्रारंभ किए गए कार्यों की पूर्णता में मध्यम प्रयासों को दर्शाता है।

6.2.4.1 श्रेणी डी कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन पर लेखापरीक्षा टिप्पणी

अगस्त से अक्टूबर 2024 की अवधि के दौरान आठ चयनित जिला पंचायतों के अंतर्गत 64 नमूना-जांच की गई ग्राम पंचायतों में लेखापरीक्षा द्वारा 384 कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया। निरीक्षित 384 कार्यों में से 67 कार्य, जिनमें 42 पूर्ण एवं 25 प्रगतिरत कार्य शामिल थे तथा जिनकी कुल लागत ₹3.34 करोड़ थी, को श्रेणी डी के कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया। चयनित जिला पंचायतों में इन कार्यों की स्थिति नीचे ***चार्ट 6.7*** में दर्शाई गई है।

चार्ट 6.7	श्रेणी 'डी' के अंतर्गत चयनित पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों का प्रस्तुतीकरण

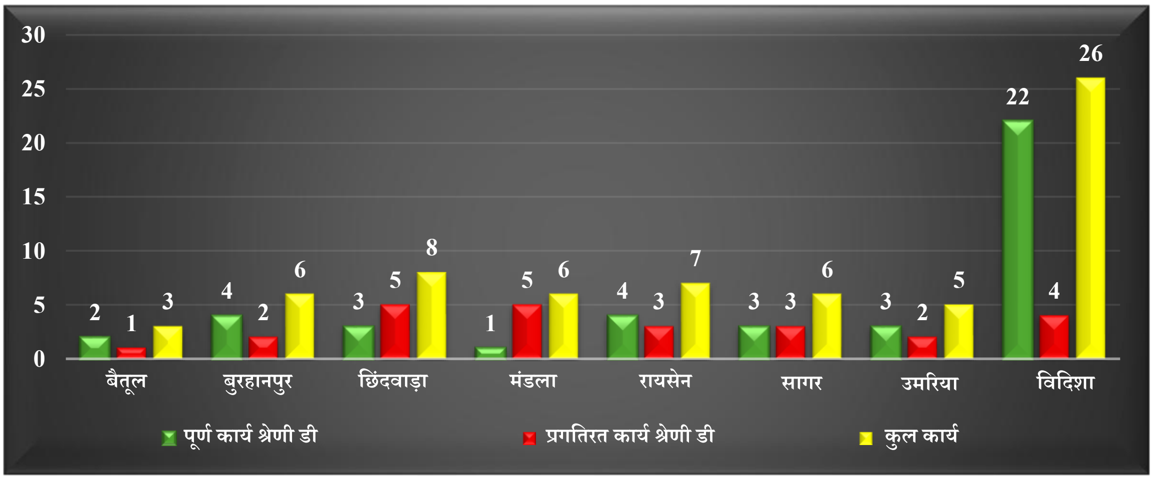

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

निम्नलिखित उदाहरण ऐसे पाए गए हैं जहाँ उपरोक्त कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान प्रमुख कमियाँ पाई गईं:

कार्य का विवरण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
चित्र 6.13: कार्य आईडी 1727007016/ आर.सी. / **22012034518946 के चरण-III का जियोटैग किया गया चित्र** **कार्य का नाम:** सामुदायिक उपयोग के लिए बजरी सड़क का निर्माण **ग्राम पंचायत:** बर्रो , **जनपद पंचायत:** विदिशा, **जिला पंचायत:** विदिशा **संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि:** 08.09.2024 **कार्य पूर्ण होने की तिथि:** 17.03.2023 **व्यय:** ₹12,78,774	**चित्र 6.14:** संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिया गया चित्र गलत ढलान डिजाइन, तकनीकी स्वीकृति के अनुसार सीमेंट कंक्रीट कार्य की कमी को उजागर करता है, जिससे पानी जमा होने की समस्या बार-बार होती है और पैदल यात्रियों का आवागमन बाधित होता है। इसके अतिरिक्त, कार्य पूर्ण होने के बाद प्रस्तुत किया गया जियोटैग वाला चित्र दर्शाता है कि सड़क अनिर्मित रही। यह कार्य के निष्पादन पर गंभीर चिंता उत्पन्न करता है एवं इसके पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा करता है।

चित्र 6.15: कार्य आईडी 1747009074/ आर.सी. / **22012034541652 के चरण-III का जियोटैग किया गया चित्र**

कार्य का नाम: सी.सी. रोड हाई स्कूल मार्ग

ग्राम पंचायत: जयसिंहपुरा, **जनपद पंचायत:** बुरहानपुर, **जिला पंचायत:** बुरहानपुर

संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 10.09.2024

कार्य पूर्ण होने की तिथि: 01.11.2022

व्यय: ₹4,96,324

चित्र 6.16: संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिया गया चित्र। निरीक्षण में पाया गया कि कार्य तकनीकी स्वीकृति के अनुसार पूर्ण नहीं किया गया, क्योंकि स्वीकृत 392 मीटर की बजाय केवल 220 मीटर सड़क का निर्माण हुआ, जो पूर्णता प्रमाण पत्र की वैधता पर गंभीर चिंता उत्पन्न करता है।

नरेगासॉफ्ट पोर्टल पर कोई जियोटैग किया गया चित्र उपलब्ध नहीं है

कार्य आईडी: 1727007016/ए.वी./22012034537230

कार्य का नाम: गौशाला निर्माण

ग्राम पंचायत: बर्रो , **जनपद पंचायत:** विदिशा,

जिला पंचायत: विदिशा

संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 08.09.2024

कार्य की स्थिति: 26.11.2020 से प्रगति पर

अनुमानित लागत: ₹35.35 लाख

चित्र 6.17: संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिया गया चित्र। यह चित्र गौशाला के अपूर्ण निर्माण को दर्शाता है, साथ ही गाँव से सड़क तक कोई पहुँच नहीं बनी है। स्वीकृति मिलने के चार वर्ष बाद भी कार्य पूरा नहीं हुआ, जिससे अब तक ₹30.67 लाख व्यर्थ खर्च हुए।

उपरोक्त टिप्पणियों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा श्रेणी डी के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के रूप में कुछ अच्छी कार्य-प्रणालियाँ भी पाई गईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

चित्र 6.18: कार्य आईडी 1730005094/ए.वी./22012034570620
कार्य का नाम: पुलिया निर्माण
ग्राम पंचायत: सिनवाह, **जनपद पंचायत:** बाड़ी, **जिला पंचायत:** रायसेन
संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 06.09.2024
कार्य पूर्ण होने की तिथि: 27.09.2021
व्यय: ₹1,86,098
चित्र: संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिया गया चित्र। निरीक्षण में पाया गया कि नाले के उपर पुलिया (कलवर्ट) का निर्माण होने से परिवहन सुगम हुआ। ग्रामीणों को ट्रैक्टर, ट्रॉली आदि ले जाने में सुविधा मिली, जिससे कृषि कार्य तेजी एवं सरलता से हो सके। निर्माण कार्य में स्थानीय सामग्री तथा मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग किया गया।

शासन ने उत्तर (सितंबर 2025) दिया कि कार्य पूर्ण कर दिए गए हैं तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन में चिन्हित मुद्दों का समाधान कर लिया गया है। यह भी बताया गया कि ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा, जनपद पंचायत बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर में निर्मित सी.सी. सड़क (उपरोक्त ***चित्र 6.15*** एवं ***6.16)*** की लंबाई स्थानीय ग्रामीणों के अनुरोध के अनुसार घटा दी गई थी।

जहाँ उत्तर में कहा गया है कि चिन्हित मुद्दों का समाधान कर दिया गया है**,** वास्तविकता यह है कि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान कार्य या तो अपूर्ण पाए गए या विनिर्देशों के अनुसार नहीं थे, जो कि योजना के अंतर्गत निष्पादित समग्र कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर चिंता उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त**,** बुरहानपुर में निर्मित सड़क की लंबाई में कमी को प्रमाणित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रति प्रदान नहीं की गई।

6.3 अस्वीकार्य एवं अपूर्ण कार्य

6.3.1 अस्वीकार्य कार्य

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश 2013 की कंडिका 7.3.9 के अनुसार, अर्ध-संवेदनशील अथवा संवेदनशील या अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों में, जैसा कि केंद्रीय भूजल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) द्वारा निर्धारित/घोषित किया गया है, निजी कुओं की खुदाई (लाभार्थी-केंद्रित कपिल धारा कुआं योजना) की अनुमति नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में केवल "समूह कुँओं" की अनुमति होगी, बशर्ते कम से कम तीन किसानों का एक समूह जल साझा करने के लिए सहमत हो।

यह पाया गया कि भारत सरकार के प्रतिवेदन के अनुसार, जनपद पंचायत कुरवई (विदिशा जिला) को अर्ध-संवेदनशील श्रेणी में वर्गीकृत[19] किया गया था। वर्ष 2019-24 के दौरान इस जनपद पंचायत की 21 ग्राम पंचायतों में 33 व्यक्तिगत/निजी कुओँ को स्वीकृत कर खुदाई की गई। हालांकि, ये कार्य एक से पांच वर्षों तक से अपूर्ण हैं, जबकि स्वीकृत लागत ₹78.94 लाख में से ₹21.22 लाख व्यय किए जा चुके हैं। विवरण ***परिशिष्ट 6.2*** में दिया गया है।

जनपद पंचायत कुरवई ने बताया (अक्टूबर 2024) कि कार्य ग्राम सभा के प्रस्तावों के आधार पर लाभार्थियों को स्वीकृत किए गए थे। इसके अतिरिक्त, शासन ने (सितंबर 2025) जिला पंचायत विदिशा के उत्तर को पृष्ठांकित किया, जिसमें कहा गया कि 21 ग्राम पंचायतों में अनुमोदित कुओँ का 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका था। जनपद पंचायत कुरवई को वर्ष 2024-25 में शासकीय स्तर पर अर्ध-संवेदनशील श्रेणी में शामिल किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अर्ध-संवेदनशील क्षेत्र में कुएँ की खुदाई कर उन्हें लंबे समय तक अपूर्ण छोड़ देना न केवल व्यर्थ व्यय का कारण बनता है, बल्कि पर्यावरणीय क्षरण तथा विधिक अनुपालन के उल्लंघन का संभावित जोखिम भी उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त, जनपद पंचायत कुरवई वर्ष 2020 में ही अर्ध-संवेदनशील श्रेणी में शामिल था।

6.3.2 अपूर्ण पूर्व कार्यों के बावजूद नए सामुदायिक कार्यों की स्वीकृति

मनरेगा दिशा-निर्देश 2013 के अनुसार, ग्राम पंचायतों को सर्वप्रथम अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपूर्ण कार्यों की सूची नरेगासॉफ्ट से प्राप्त की जानी है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक मास्टर परिपत्र (ए.एम.सी.) 2018-19 के अनुसार ग्राम पंचायतों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी कार्य प्रस्तावित वर्ष के बाद एक वित्तीय वर्ष से अधिक समय उपरांत अपूर्ण न रहे।

यह पाया गया कि चयनित 16 में से 10 जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2019-20 से पूर्व में प्रारंभ किए गए 189 सामुदायिक कार्यों को पूर्ण नहीं किया तथा इसके बावजूद वर्ष 2019-22 के दौरान ₹32.86 करोड़ लागत के 1131 नए सामुदायिक कार्य प्रारंभ कर दिए। परिणामस्वरूप, ₹5.60 करोड़ व्यय वाले वर्ष 2019-20 से पूर्व प्रारंभ किए गए 189 कार्य तथा वर्ष 2019-22 के दौरान प्रारंभ किए गए 206 कार्य 31 मार्च 2024 की स्थिति में अपूर्ण रहे। विवरण ***परिशिष्ट 6.3*** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2025) में शासन ने दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त शासन ने उत्तर (सितंबर 2025) दिया कि भारत सरकार से सामग्री मद के भुगतान में विलंब के कारण, जो कार्य स्थल पर भौतिक रूप से पूर्ण हो चुके हैं, वे अभी भी नरेगासॉफ्ट पोर्टल पर 'प्रगतिरत' दर्शाए जा रहे हैं। वर्तमान में लंबित सामुदायिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रशासनिक सक्रियता एवं तकनीकी सहयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही, जिलों को कार्यों की योजना बनाते समय दिशा-निर्देशों के अनुपालन को प्राथमिकता देने तथा पूर्व वर्ष के अपूर्ण कार्यों (स्पिल-ओवर कार्यों) की 100 प्रतिशत पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पूर्व कार्यों के अपूर्ण रहते हुए भी नए मनरेगा कार्यों की स्वीकृति देना संसाधनों के दुरुपयोग, परिसंपत्तियों की उपयोगिता में कमी तथा क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को कमजोर करता है, जैसा कि निम्नलिखित प्रकरण अध्ययन में दर्शाया गया है:

[19] भारत के गतिशील भूजल आकलन प्रतिवेदन 2020 के अनुसार

प्रकरण अध्ययन

वर्ष 2020-23 के दौरान जिला पंचायत विदिशा की जनपद पंचायत कुरवई एवं जनपद पंचायत विदिशा में आजीविका से संबंधित दो कार्य[20] स्वीकृत किए गए। स्वीकृति के 24 से 48 माह बीत जाने के बाद भी दोनों कार्य अपूर्ण रहे, जबकि क्रमशः ₹3.76 लाख एवं ₹4.44 लाख का व्यय किया जा चुका था। निरीक्षण में पाया गया कि केवल सिविल संरचनाओं का निर्माण किया गया था, जबकि प्रस्तावित नर्सरियों का विकास नहीं किया गया।

चित्र 6.19:
कार्य आईडी: 1727003015/ डी.पी. / 22012034492677
ग्राम पंचायत लायरा (ग्राम लायरा), जनपद पंचायत कुरवई में नर्सरी गार्डन भंडारण का अपूर्ण निर्माण
(संयुक्त भौतिक सत्यापन 25.09.2024 एवं 15.09.2020 से कार्य प्रगतिरत)

चित्र 6.20:
कार्य आईडी: 1727007014/डी.पी./22012034551763
ग्राम पंचायत सलैया, जनपद पंचायत विदिशा में नर्सरी गार्डन भंडारण का अपूर्ण निर्माण
(संयुक्त भौतिक सत्यापन 30.09.2024 एवं 27.05.2022 से कार्य प्रगतिरत)

यह भी पाया गया कि आगामी वर्षों में इन ग्राम पंचायतों के लिए क्रमशः 85 एवं छः अतिरिक्त कार्य स्वीकृत किए गए। इनमें से क्रमशः पाँच तथा दो कार्य 31.03.2024 की स्थिति में पूर्ण होने के लिए लंबित थे।

उपरोक्त घटनाएँ दर्शाती हैं कि प्रस्ताव के पश्चात एक वित्तीय वर्ष के भीतर प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण कराने को प्राथमिकता नहीं दी गई जबकि इन ग्राम पंचायतों में नए कार्यों की स्वीकृति दी जा रही थी।

जनपद पंचायत कुरवई ने (जनवरी 2025) इस तथ्य को स्वीकार किया एवं कहा कि नर्सरी गार्डन का निर्माण स्व-सहायता समूह (एस.एच.जी.) के माध्यम से करने का प्रयास किया जाएगा, जबकि जनपद पंचायत विदिशा ने कोई उत्तर नहीं दिया (जून 2025)।

6.4 अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण

6.4.1 अभिसरण के बिना सूक्ष्म सिंचाई कार्यों का निष्पादन

दिशा-निर्देशों के अनुसार, मनरेगा के उद्देश्यों अर्थात् स्थाई परिसंपत्तियों का सृजन तथा ग्रामीण परिवारों की आजीविका को सुनिश्चित करने को, पंचायतों एवं अन्य संबद्ध विभागों के पास उपलब्ध अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के संसाधनों के साथ अभिसरण के माध्यम से मनरेगा कार्यों को सुगम बनाया जा सकता है। ये संसाधन मात्र निधि की उपलब्धता तक सीमित नहीं हैं, अपितु इनमें वह तकनीकी विशेषज्ञता एवं कार्यज्ञान भी शामिल है, जो संबंधित विभागों के अधिकारियों के पास उपलब्ध हो सकता है।

[20] जनपद पंचायत, विदिशा के ग्राम पंचायत, सलैया (बरखेडी) में नर्सरी गार्डन भंडारण एवं जनपद पंचायत कुरवई के ग्राम पंचायत, लायरा में नर्सरी गार्डन भंडारण

वार्षिक मास्टर परिपत्र (ए.एम.सी.) 2018-19 के अनुसार, जल संरक्षण एवं जल संचयन के बेहतर परिणामों के लिए मनरेगा के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.) से संबंधित कार्यों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.), एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) तथा कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सी.ए.डी. एंड डब्ल्यू.एम.) योजनाओं के साथ अभिसरण में किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, सूक्ष्म सिंचाई से संबंधित कार्य जैसे सामुदायिक उपयोग हेतु सिंचाई के लिए खुले कुएँ का निर्माण, सामुदायिक उपयोग हेतु छोटी नहरों की मरम्मत एवं रख-रखाव, सामुदायिक उपयोग हेतु वितरण नहर (डिस्ट्रिब्यूटरी कैनाल) का निर्माण आदि भी पंचायतों एवं अन्य संबंधित विभागों के पास उपलब्ध अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के संसाधनों के साथ अभिसरण के माध्यम से किए जाने अपेक्षित थे।

यह देखा गया कि चयनित जिला पंचायतों में, बुरहानपुर[21] को छोड़कर, वर्ष 2019-24 के दौरान प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.) के अंतर्गत 309 सूक्ष्म सिंचाई कार्य[22] निष्पादित किए गए। हालांकि, इनमें से किसी भी कार्य को अभिसरण के माध्यम से नहीं लिया गया। इन सूक्ष्म सिंचाई कार्यों पर स्वीकृत लागत ₹34.98 करोड़ के विरुद्ध ₹21.90 करोड़ का व्यय किया गया। इसका विवरण नीचे ***तालिका 6.5*** में दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

तालिका 6.5	वर्ष 2019-24 के दौरान नमूना-जांच किए जिलों में अभिसरण के बिना निष्पादित एन.आर.एम. के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई कार्यों का विवरण		
जिला पंचायत का नाम	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)
बेतूल	9	0.40	0.21
छिंदवाड़ा	24	0.83	0.65
मंडला	187	29.27	18.72
रायसेन	4	0.21	0.18
सागर	66	3.76	1.89
उमरिया	13	0.30	0.11
विदिशा	6	0.21	0.14
कुल	**309**	**34.98**	**21.90**

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

इसके प्रत्युत्तर में, संबंधित जनपद पंचायतों ने यह तथ्य स्वीकार किया (सितंबर/अक्टूबर 2024) कि एन.आर.एम. कार्यों के अंतर्गत आई.डब्ल्यू.एम.पी. से संबंधित कार्य अभिसरण के अंतर्गत निष्पादित नहीं किए गए थे। शासन ने आगे उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि कार्यों का अभिसरण न होने का कारण अन्य विभागों के साथ समन्वय में कठिनाइयाँ, सभी ग्राम पंचायतों में पी.एम.के.एस.वाई./आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनाओं की अनुपलब्धता तथा समय पर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कार्यों की समयोचित स्वीकृति की आवश्यकता थी।

तथ्य यह है कि मनरेगा के अंतर्गत लघु सिंचाई कार्यों का अभिसरण के बिना निष्पादन किए जाने से मनरेगा निधि पर अत्यधिक निर्भरता उत्पन्न हुई, जिसके परिणामस्वरूप पी.एम.के.एस.वाई., आई.डब्ल्यू.एम.पी. तथा सी.ए.डी. एवं डब्ल्यू.एम. योजनाओं जैसी संबद्ध योजनाओं के माध्यम से सामग्री लागत को साझा करने के अवसर का लाभ नहीं लिया जा सका।

---

21 बुरहानपुर में वर्ष 2019-24 के दौरान कोई सूक्ष्म सिंचाई कार्य नहीं किया गया।

22 जैसे कि सूक्ष्म सिंचाई के लिए नहर/सामुदायिक जल मार्ग का निर्माण, व्यक्तिगत/सामुदायिक खेत तालाब एवं खुले कुएँ।

6.4.2 अभिसरण के अंतर्गत अनुमत कार्यों को नहीं लिया जाना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने 15वें वित्त आयोग के अनुदान को मनरेगा निधि के साथ अभिसरण के माध्यम से आंगनवाड़ी भवन तथा पंचायत भवनों के निर्माण की अनुमति प्रदान करने संबंधी निर्देश (अक्टूबर 2020) जारी किए थे। इसके अतिरिक्त, मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र 2018-19 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक खेल मैदान का विकास राजीव गांधी खेल अभियान (आर.जी.के.ए.) अथवा किसी अन्य केन्द्रीय/राज्य शासन की पहल के साथ मनरेगा के अभिसरण के माध्यम से किया जाना अपेक्षित था। मनरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची-I में उल्लिखित स्वीकार्य कार्यों की सूची के अंतर्गत आंगनवाड़ी भवनों, पंचायत भवनों एवं खेल मैदानों के निर्माण की अनुमति है।

चयनित ग्राम पंचायतों में लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि आवश्यक सामुदायिक अवसंरचना, जैसे तीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन, आठ ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी भवन तथा तीन ग्राम पंचायतों में खेल मैदान उपलब्ध नहीं थे। यद्यपि मनरेगा के अभिसरण के माध्यम से ऐसी अवसंरचना के निर्माण का प्रावधान है तथापि इन सुविधाओं की स्पष्ट कमी होने के बावजूद, संबंधित विभाग द्वारा इन कार्यों के निष्पादन हेतु कोई पहल नहीं की गई।

कार्रवाई की इस कमी के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत स्तर पर योजना निधि का समुचित उपयोग नहीं हो सका तथा समुदाय इन मूलभूत सुविधाओं तक बेहतर पहुंच से वंचित रह गया। इसका विवरण ***परिशिष्ट 6.4*** में दिया गया है।

निर्गम सम्मलेन में, शासन ने बताया (जुलाई 2025) कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के कारण अभिसरण के अंतर्गत 4,000 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण अधूरा रहा। आगे, शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि 15वें वित्त आयोग के अनुदान एवं पंचायती राज निदेशालय से प्राप्त निधि की अनुपलब्धता के कारण कार्यों को अभिसरण के लिए स्वीकृत नहीं किया गया।

तथ्य यह है कि आवश्यक अवसंरचना के निर्माण से संबंधित कार्य मनरेगा के अभिसरण के माध्यम से नहीं लिए गए। इसके अतिरिक्त, उत्तर के समर्थन में आंगनवाड़ी कार्यों को निष्पादित न करने के निर्देशों की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई।

6.5 कार्य स्थल सुविधाओं का प्रावधान

दिशा-निर्देशों की कंडिका 7.12 में प्रावधान है कि कार्यस्थलों पर चिकित्सा सहायता, पेयजल एवं छाया जैसी कार्य स्थल सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा किट (फर्स्ट एड बॉक्स) को नियमित रूप से भरा जाना चाहिए एवं कालातीत दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जल स्रोत दूर हों, वहाँ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ट्रॉली जैसी व्यवस्थाओं की जरूरत हो सकती है। यदि किसी कार्य स्थल पर कामकाजी महिलाओं के साथ छः वर्ष से कम उम्र के पाँच या अधिक बच्चे हों, तो एक शिशु-गृह स्थापित किया जाना चाहिए एवं बच्चों की देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक नियुक्त की जानी चाहिए, जिसे प्रचलित अकुशल श्रमिक दर के अनुसार मजदूरी प्रदान की जाएगी। सभी संबंधित व्ययों का पृथक अभिलेखन किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य लागत के अंतर्गत न रखकर प्रशासनिक व्ययों के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए।

चयनित जनपद पंचायतों द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार यह देखा गया कि 2019-24 के दौरान जनपद पंचायतों ने प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत कार्य स्थल सुविधाओं पर कोई व्यय नहीं किया। कार्य स्थल सुविधाओं की अनुपस्थिति के कारण महिला श्रमिकों की भागीदारी में कमी आई, जैसा कि ***कंडिका 5.4.1*** में उल्लिखित है, एवं मजदूरों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हुए।

चयनित ग्राम पंचायतों ने अपने उत्तर के माध्यम से यह कमी स्वीकार की तथा उत्तर दिया कि मजदूरों के लिए केवल पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। शासन ने आगे (सितंबर 2025) कहा कि योजना के अंतर्गत कार्य स्थल सुविधाओं के लिए प्रशासनिक बजट अपर्याप्त होने के कारण निर्देशों का पालन करना संभव नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से आवश्यक कार्य स्थल सुविधाएँ प्रदान करने के लिए कहते हैं, जिसका पालन नहीं किया गया।

6.6 कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से सम्बंधित कार्यों को मानदंडों के अनुसार न लिया जाना

मनरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 की कंडिका 4(2) के अनुसार, किसी जिले में किए जाने वाले कार्यों में से कम से कम 60 प्रतिशत कार्य लागत के हिसाब से मनरेगा के प्रावधान के अनुसार भूमि, जल एवं वृक्षों के विकास के माध्यम से सीधे कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से जुड़ी उत्पादक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए होना चाहिए।

यह देखा गया कि वर्ष 2019-24 के दौरान ज़िला पंचायत विदिशा में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से जुड़े कार्यों पर 31.75 प्रतिशत (₹1104.66 करोड़ में से ₹350.73 करोड़) व्यय किया गया। यह किए जाने वाले कार्यों के लिए आवश्यक 60 प्रतिशत सीमा से काफी कम है।

निर्गम सम्मलेन (जुलाई 2025) में, शासन ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.) जैसी योजनाएँ अधिक रोजगार आकर्षित करती हैं, जिसके कारण कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से जुड़े कम कार्य किए जा सके। हालांकि, शासन जल गंगा अभियान (तालाब निर्माण से संबंधित) एवं एक बगिया माँ के नाम (नर्मदा नदी जैसी नदियों के किनारे वृक्षारोपण कार्यों के लिए) को लागू कर रही है, ताकि कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से जुड़े कार्यों का बेहतर आच्छादन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, शासन ने (सितंबर 2025) उत्तर दिया कि अनुमत कार्यों की श्रेणियों (मार्च 2025) में संशोधन के कारण कृषि-आधारित कार्य एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.) कार्य अलग कर दिए गए, जिससे कृषि-आधारित कार्यों का प्रतिशत घट गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रावधानों का अनुपालन न होने के कारण कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से जुड़ी उत्पादक परिसंपत्ति निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त , कृषि-आधारित एवं एन.आर.एम. कार्यों का पृथक्करण 2025 में किया गया, अर्थात् लेखापरीक्षा अवधि (2019-24) के बाद। हालाँकि, जल गंगा अभियान एवं एक बगिया माँ के नाम के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से जुड़े कार्यों के आच्छादन को बढ़ाने के सरकार के प्रयास सराहनीय होंगे, बशर्ते लक्षित परिणाम प्राप्त हों।

6.7 मजदूरी एवं सामग्री अनुपात का पालन न करना

मनरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार, ग्राम पंचायतों तथा क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा लिए गए कार्यों में सामग्री घटक की लागत, जिसमें कुशल एवं अर्ध-कुशल श्रमिकों की मजदूरी शामिल है, जिले के स्तर पर कुल व्यय का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हालाँकि, मनरेगा पोर्टल पर उपलब्ध एम.आई.एस. आँकड़े के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2020-21 में, विदिशा जिले में कुल 23,041 कार्यों का निष्पादन किया गया, जिसमें ₹203.40 करोड़ का व्यय हुआ। इनमें से केवल ₹114.58 करोड़

(56.33 प्रतिशत) [23] मजदूरी पर खर्च किया गया, जो कि न्यूनतम निर्धारित मजदूरी व्यय 60 प्रतिशत से कम है। इस विचलन के कारण रोजगार सृजन में कमी हुई, जो 3.93 लाख व्यक्ति-दिवस[24] के बराबर है।

आगे जांच में यह देखा गया कि दो जनपद पंचायतों[25] में स्वीकृत 3,257 गैर-अभिसरण कार्यों में, जिनकी कुल अनुमानित लागत ₹80 करोड़ थी, 736 कार्यों (23 प्रतिशत) में सामग्री घटक की लागत 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच थी। सामग्री लागत के इस अत्यधिक आवंटन के कारण कुल मजदूरी व्यय निर्धारित 60 प्रतिशत सीमा से नीचे रह गया।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त मुद्दा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में किए गए लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन में आंशिक सुधार को दर्शाता है, जिनमें कार्यों के निष्पादन के दौरान निर्धारित मजदूरी-सामग्री अनुपात बनाए रखने में अनियमितताओं को भी रेखांकित किया गया था।

ज़िला पंचायत विदिशा ने (सितंबर 2024) उत्तर दिया कि अभिसरण कार्यों सहित सभी निर्माण कार्यों के लिए जिला स्तर पर कार्य योजना तैयार की जाती है एवं मजदूरी तथा सामग्री पर व्यय निर्धारित अनुपात के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, शासन ने (सितंबर 2025) उत्तर दिया कि वर्ष 2020-21 में ज़िला पंचायत विदिशा द्वारा मजदूरी से सामग्री व्यय का अनुपात 63.67 प्रतिशत बनाए रखा गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उद्धृत अनुपात में अप्रदत्त मजदूरी[26] शामिल नहीं थी। उस वर्ष जिले के स्तर पर कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों की मज़दूरी सहित सामग्री घटक की कुल लागत 40 प्रतिशत से अधिक थी।

6.8 ग्रामीण संपर्क कार्यों का आनुमत सीमा से अधिक निष्पादन

वार्षिक मास्टर सर्कुलर (ए.एम.सी.) 2021-22 के निर्देशों का संदर्भ देते हुए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पी.आर.डी.डी.) ने निर्देश दिया (फरवरी 2023) कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.) कार्यों पर 65 प्रतिशत खर्च किया जाना चाहिए एवं 20 प्रतिशत प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.) ग्रामीण, जिला पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, रसोई शेड आदि पर मजदूरी के लिए खर्च किया जाना चाहिए। शेष 15 प्रतिशत कृषि/ग्रामीण संपर्क सड़कों के निर्माण पर खर्च किया जा सकता था।

यह देखा गया कि ज़िला पंचायत छिंदवाड़ा, ज़िला पंचायत रायसेन तथा ज़िला पंचायत विदिशा ने वर्ष 2023-24 के दौरान ग्रामीण संपर्क कार्यों पर क्रमशः 15.72 प्रतिशत, 18.02 प्रतिशत और 23.46 प्रतिशत खर्च करके इस सीमा को पार कर दिया। विवरण ***तालिका 6.6*** में दिया गया है:

---

23 स्रोत नरेगासॉफ्ट पोर्टल की रिपोर्ट 7.2.2

24 व्यक्ति-दिवस की गणना इस प्रकार की जाती है कि ₹7.46 करोड़ (कुल व्यय का 60 प्रतिशत यानी ₹122.04 करोड़ – श्रम घटक पर वास्तविक व्यय यानी ₹114.58 करोड़) को वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान औसत मजदूरी ₹190/व्यक्ति-दिवस से विभाजित किया गया।

25 जनपद पंचायत लातेरी एवं जनपद सिरोंज

26 स्रोत नरेगासॉफ्ट पोर्टल की रिपोर्ट 7.1.2

(₹ करोड़ में)

तालिका 6.6	2023-24 के दौरान अनुमत सीमा से अधिक निष्पादित कार्य				
जिला पंचायत का नाम	एल.बी. में कुल कार्यों की संख्या	एल.बी. के कुल कार्यों की लागत *(₹ करोड़ में)*	ग्रामीण संपर्क से संबंधित कार्यों की संख्या	ग्रामीण संपर्क से संबंधित कार्यों की लागत	ग्रामीण संपर्क पर व्यय की लागत का प्रतिशत
छिंदवाड़ा	11092	440.59	869	69.25	15.72
रायसेन	5954	103.71	1070	18.69	18.02
विदिशा	10279	209.53	1238	49.16	23.46

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

शासन ने (सितंबर 2025) उत्तर दिया कि वार्षिक मास्टर परिपत्र (ए.एम.सी.) 2021-22 में ग्रामीण संपर्क कार्यों के लिए कोई व्यय सीमा निर्धारित नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पी.आर.डी.डी. के निर्देश, कृषि/ग्रामीण संपर्क कार्यों पर निर्धारित 15 प्रतिशत सीमा के भीतर व्यय करने के लिए, ए.एम.सी. 2021-22 के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए थे।

6.9 मनरेगा परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग

परिचालन दिशा-निर्देशों की कंडिका 7.16.2 के अनुसार, कार्य प्रारंभ होने से पहले (चरण I), कार्य के मध्य चरण (चरण II) एवं कार्य पूर्ण होने के बाद (चरण III) स्थल की जियोटैग की गई समय-अंकित तस्वीरों को नरेगासॉफ्ट पर अपलोड किया जाना चाहिए। जियो-मनरेगा को दो चरणों में लागू किया गया है, जहाँ चरण I में दिनांक 01 नवंबर 2017 से पहले पूर्ण परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग शामिल है, तथा चरण II में सभी कार्यों के लिए त्रि-चरणीय जियोटैगिंग अनिवार्य है, अर्थात् निष्पादन से पहले, निष्पादन के दौरान एवं निष्पादन के बाद, जो दिनांक 01 नवंबर 2017 या उसके बाद शुरू किए गए हैं। राज्य एवं चयनित जिलों में जियोटैगिंग की स्थिति नीचे ***चार्ट 6.8*** एवं ***6.9*** में दर्शाई गई है:

चार्ट 6.8 — **राज्य में चरण-I एवं चरण-II में जियोटैग की गई परिसंपत्तियों के प्रतिशत को दर्शाने वाला विवरण**

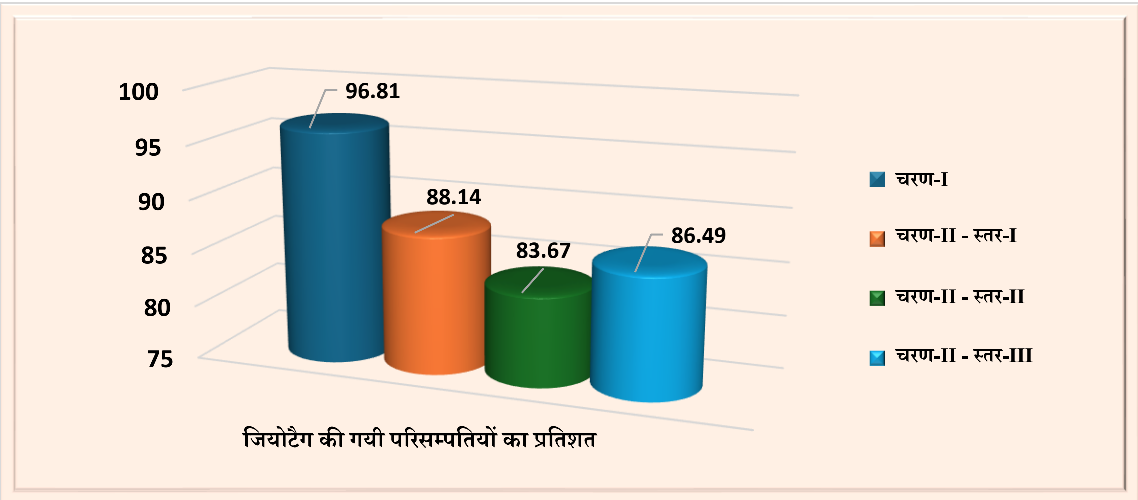

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

चार्ट 6.9	नमूना-जांच किए गए जिलों में चरण I एवं चरण II में जियोटैग की गई परिसंपत्तियों का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण

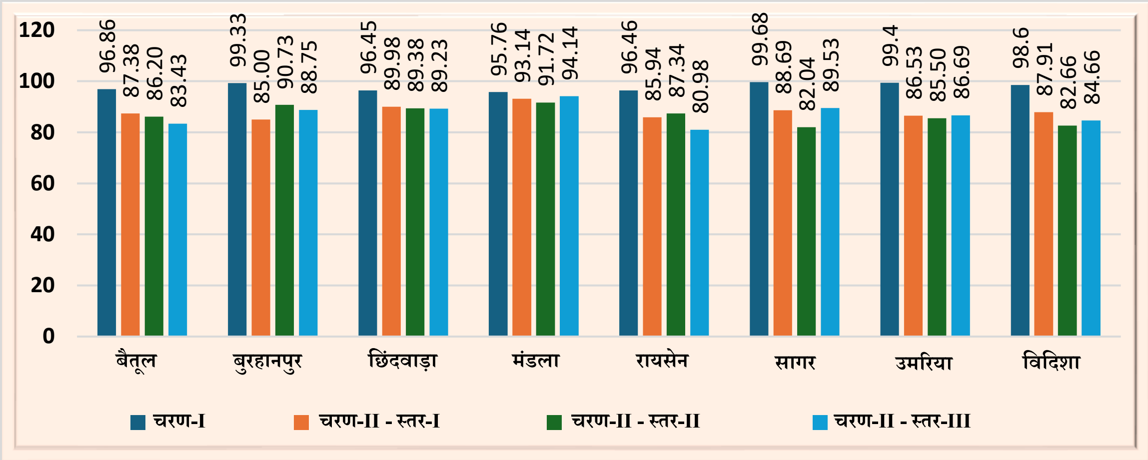

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

उपरोक्त चार्टों से यह देखा जा सकता है कि उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद राज्य में मनरेगा परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग अभी भी अपूर्ण है तथा यह पारदर्शिता एवं निगरानी में अंतराल को दर्शाता है। चरण-I की 89,054 (3.19 प्रतिशत) परिसंपत्तियाँ अब भी बिना जियोटैग के हैं तथा राज्य में स्तर-I से स्तर-III के दौरान केवल 83.67 से 88.14 प्रतिशत तक ही जियोटैगिंग की गई है। वहीं चयनित जिलों में चरण-I के अंतर्गत 95.76 से 99.68 प्रतिशत परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग की गई, जबकि स्तर-I से स्तर-III के दौरान केवल 80.98 प्रतिशत से 94.14 प्रतिशत तक ही जियोटैगिंग की गई। यह दर्शाता है कि परिसंपत्तियों की एक महत्वपूर्ण संख्या भौगोलिक प्रमाणीकरण से वंचित है, जो क्रियान्वयन संबंधी कमियों को दूर करने तथा जवाबदेही तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

कार्य की जियोटैगिंग में लंबित मामलों के संबंध में शासन द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

6.10 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि राज्य द्वारा श्रेणी बी के कार्यों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई, जो प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.) के अंतर्गत कार्यों सहित कुल स्वीकृत कार्यों का 62.51 प्रतिशत थे। इसके विपरीत, श्रेणी सी के कार्यों को न्यूनतम प्राथमिकता दी गई, जिनका हिस्सा मात्र 0.10 प्रतिशत रहा। सभी श्रेणियों में स्वीकृत एवं पूर्ण किए गए कार्यों के बीच उल्लेखनीय अंतर पाया गया, जो कार्यों के क्रियान्वयन में संभावित समस्याओं की ओर संकेत करता है।

पाँच वर्षों में प्रारंभ किए गए कार्यों में से केवल 25.02 प्रतिशत (श्रेणी सी के कार्य) से 46.14 प्रतिशत (श्रेणी बी के कार्य) तक ही पूर्ण किए जा सके, जो योजना निर्माण में विलंब, निधि के वितरण में देरी तथा प्रशासनिक अक्षमताओं जैसी चिंताओं को दर्शाता है। कार्यों के पूर्ण होने में हुई देरी ने न केवल टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के सृजन को प्रभावित किया, बल्कि संसाधनों की बर्बादी का भी कारण बनी।

चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि अनुमोदित तकनीकी स्वीकृति में निर्दिष्ट कई मदें स्थल पर उपलब्ध नहीं थीं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि इस प्रकार सृजित बारह परिसंपत्तियाँ या तो अकार्यशील थीं अथवा अपने निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही थीं। इसके साथ ही, प्रगतिरत दर्शाए गए छ: कार्यों में भी किसी प्रकार की ठोस प्रगति के संकेत नहीं पाए गए। संवेदनशील अथवा अति-दोहन श्रेणी वाले क्षेत्रों में व्यक्तिगत निजी कुँओं

का निर्माण किया गया तथा प्रस्तावित वर्ष के पश्चात एक वित्तीय वर्ष से अधिक समय तक कार्य अपूर्ण रहने के बावजूद नए सामुदायिक कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई।

अधिकांश अभिसरण कार्य मुख्यतः पंचायत एवं ग्रामीण विकास, म.प्र. शासन तथा इसकी संबद्ध योजनाओं द्वारा निष्पादित कार्यों तक ही सीमित पाए गए, जिसके कारण सूक्ष्म सिंचाई कार्यों का निष्पादन अभिसरण के बिना किया गया। कार्यस्थल सुविधाओं के अभाव के कारण महिला श्रमिकों की भागीदारी में कमी आई तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए जोखिम उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त, ऐसे उदाहरण भी पाए गए जहाँ कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर व्यय निर्धारित सीमा से कम रहा, जबकि ग्रामीण संपर्क संबंधी कार्यों पर व्यय निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया।

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की टिप्पणियों के अनुपालन में, विशेषकर निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता एवं मानकों तथा निर्धारित मजदूरी-सामग्री अनुपात के पालन के संबंध में आंशिक सुधार, यह दर्शाता है कि किए जा रहे कार्यों की निगरानी में सुधार की आवश्यकता है।

6.11 अनुशंसाएं

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि

- *मनरेगा के अंतर्गत अनुमत गतिविधियों का संतुलित एवं आवश्यकता-आधारित चयन बजाय केवल किसी एक श्रेणी के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए सुनिश्चित किया जाए, ताकि रोजगार सृजन तथा परिसंपत्ति निर्माण अधिकतम किया जा सके **(कंडिका 6.2 के संदर्भ में)**।*
- *अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार परिसंपत्तियों का निर्माण, उनका निर्धारित उद्देश्य के लिए प्रभावी उपयोग तथा कार्यस्थल सुविधाओं का प्रावधान ताकि महिला श्रमिकों की भागीदारी को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा सके **(कंडिका 6.2.1 से 6.2.4.1 के संदर्भ में)**।*
- *अर्द्ध-संवेदनशील या अति-दोहन क्षेत्रों में व्यक्तिगत निजी कुँओं को स्वीकृत करने से बचना, तथा ऐसी ग्राम पंचायतों में नए कार्यों को स्वीकृति देने से बचना जहाँ पिछले कार्य एक वित्तीय वर्ष से अधिक समय तक अपूर्ण हैं **(कंडिका 6.3.1 एवं 6.3.2 के संदर्भ में)**।*

अध्याय VII
निगरानी, शिकायत निवारण एवं पारदर्शिता

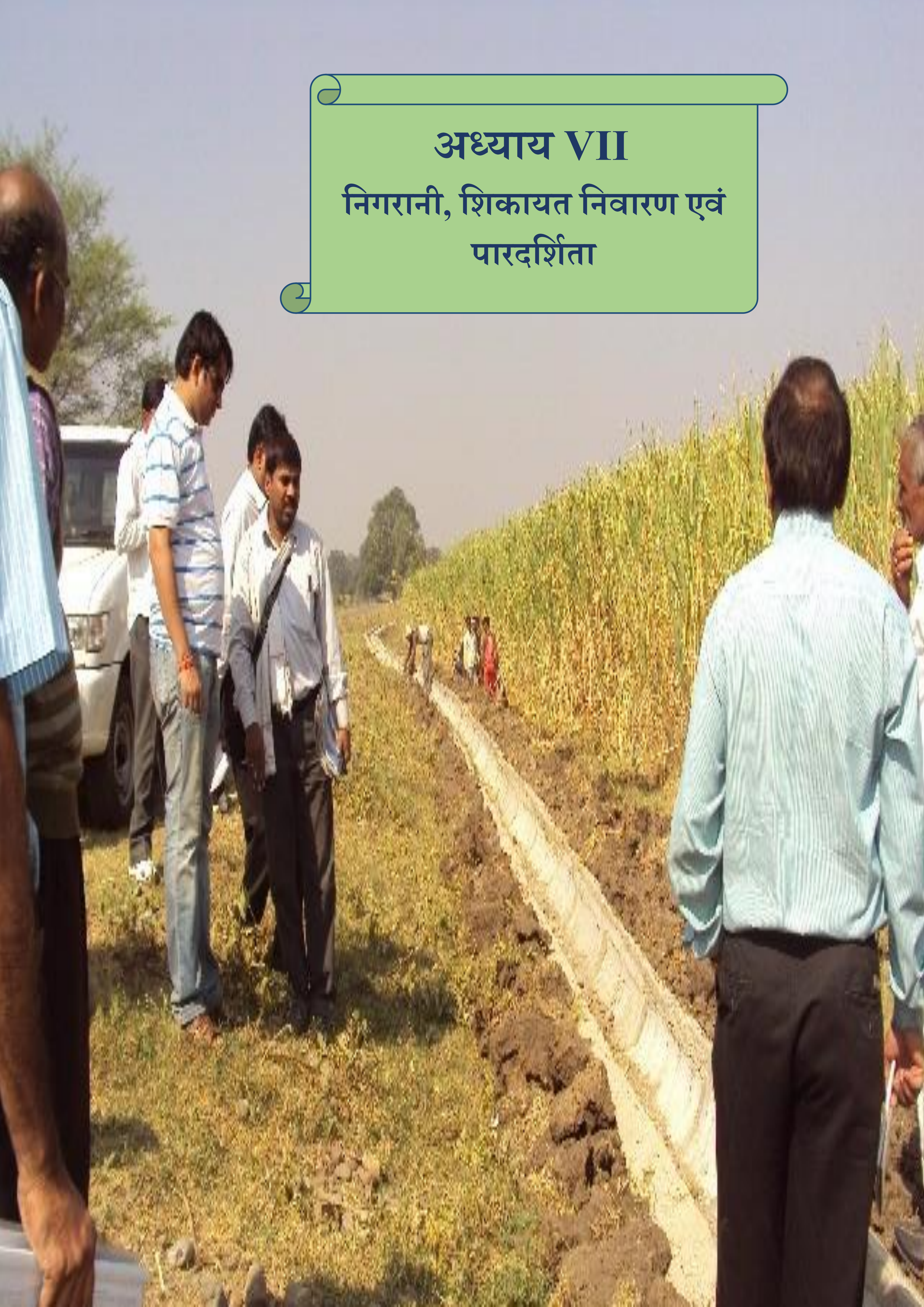

अध्याय VII निगरानी, शिकायत निवारण एवं पारदर्शिता

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

- लेखापरीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक 10 बैठकों के विरुद्ध केवल एक साधारण सभा बैठक आयोजित की गई तथा गैर-सरकारी सदस्यों का नामांकन नहीं किया गया।
- आवश्यक सतर्कता तंत्र विकसित नहीं किया गया था।
- राज्य गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ तथा जिला गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया था।
- परिषद तथा विभाग ने पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का समाधान करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए।
- प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली परिचालन में नहीं थी।

7.1 राज्य स्तर पर मनरेगा कार्यों के लिए निगरानी रूपरेखा

मनरेगा अधिनियम, 2005 तथा परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों, जिला गुणवत्ता मॉनीटर्स, राज्य गुणवत्ता मॉनीटर्स, राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटर्स, राज्य रोजगार गारंटी परिषद तथा राज्य लेखापरीक्षा इकाई (एस.ए.यू.) द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा के माध्यम से निगरानी का प्रावधान किया गया है, जिसका विवरण नीचे ***चार्ट 7.1*** में दर्शाया गया है:

चार्ट 7.1 **राज्य स्तर पर मनरेगा कार्यों के लिए निगरानी रूपरेखा**

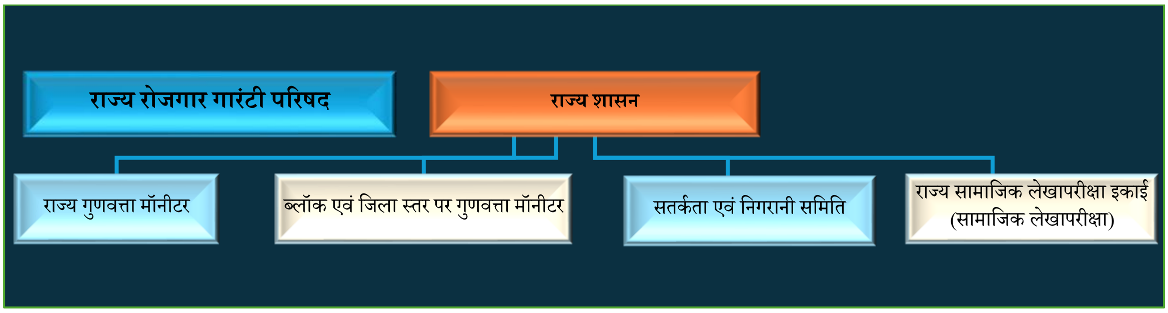

स्रोत: मनरेगा अधिनियम, 2005 तथा मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश, 2013

7.2 मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा निगरानी

मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 12 में परिकल्पना की गई है कि राज्य सरकार एक अध्यक्ष तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/नामित आधिकारिक एवं गैर-आधिकारिक सदस्यों की ऐसी संख्या के साथ राज्य रोजगार गारंटी परिषद का गठन करेगी, जिनका चयन पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.), श्रमिक संगठनों तथा वंचित समूहों से किया जाएगा, तथा इसमें

महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का निर्धारित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनवरी 2006 में मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एम.पी.एस.ई.जी.सी.) का गठन किया गया। एम.पी.एस.ई.जी.सी. राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

7.2.1 साधारण सभा की बैठकों के आयोजन में कमी

मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद नियम, 2006 के अनुसार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य को परामर्श देने के लिए एक साधारण सभा (जी.बी.) होगी। आगे, एम.पी.एस.ई.जी.सी. नियम, 7 के अनुसार मुख्यमंत्री, विभिन्न मंत्रियों तथा अन्य शासकीय अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों[27] से साधारण सभा के लिए छः गैर-सरकारी सदस्यों का नामांकन किया जाएगा। उक्त नियम 12.1 के अनुसार साधारण सभा एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित करेगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान आवश्यक 10 साधारण सभा बैठकों के विरुद्ध केवल एक बैठक (फरवरी 2022) आयोजित की गई एवं वह भी साधारण सभा में गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन के बिना, जिसके परिणामस्वरूप समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो सका। साधारण सभा की बैठकों के अपर्याप्त आयोजन ने योजना के क्रियान्वयन की निगरानी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त, साधारण सभा की बैठकों के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से गैर-सरकारी सदस्यों का नामांकन कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती, तो उनके समाज से संबंधित अनुभवों एवं समस्याओं को साझा किए जाने से बैठक के परिणाम और अधिक प्रभावी हो सकते थे।

यह मुद्दा पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन न किए जाने को दर्शाता है, जिनमें साधारण सभा की बैठकों के अपर्याप्त आयोजन से संबंधित अनियमितताओं को रेखांकित किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2025) में शासन ने साधारण सभा की बैठकों के अपर्याप्त आयोजन के तथ्य को स्वीकार किया। यह भी अवगत कराया गया (सितंबर 2025) कि गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए कार्यवाही की जा रही है।

7.3 राज्य/जिला सतर्कता प्रकोष्ठों एवं स्थानीय सतर्कता निगरानी समिति द्वारा निगरानी

दिशा-निर्देशों की कंडिकाओं 13.6.2, 13.6.3 तथा 13.6.4 में प्रावधान है कि योजना के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों की प्राप्ति, अनियमितताओं का पता लगाने हेतु नियमित क्षेत्र भ्रमण करने तथा मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों, कार्य स्थलों के भ्रमण एवं श्रमिकों से संवाद के आधार पर स्वप्रेरणा से कार्रवाई करने के लिए राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तर पर क्रमशः एक राज्य सतर्कता प्रकोष्ठ (एस.वी.सी.) जिसमें एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ.) शामिल हो, जिला सतर्कता प्रकोष्ठ (डी.वी.सी.) तथा सतर्कता एवं निगरानी समिति (वी.एम.सी.) का गठन किया जाना था।

---

[27] प्रत्येक श्रेणी से एक सदस्य। 1. पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि 2. अनुसूचित जाति 3. अनुसूचित जनजातियाँ, 4. अन्य पिछड़ा वर्ग 5. अल्पसंख्यक 6. गैर-सरकारी संगठन।

यह देखा गया कि दिशा-निर्देशों की आवश्यकतानुसार एस.वी.सी., डी.वी.सी. तथा वी.एम.सी. का गठन नहीं किया गया। इन इकाइयों के अभाव में निगरानी तंत्र कमजोर हुआ, जिससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा प्रभावशीलता प्रभावित हुई, जैसा कि प्रतिवेदन के पूर्ववर्ती अध्यायों में रेखांकित किया गया है।

निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2025) में शासन ने बताया कि इन इकाइयों के गठन हेतु प्राथमिकता के आधार पर प्रयास किए जा रहे हैं। आगे, यह उत्तर दिया गया (सितंबर 2025) कि एम.पी.एस.ई.जी.सी. द्वारा (दिसंबर 2024 में) एक लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया था।

7.4 गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठों द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण

दिशा-निर्देशों की कंडिकाओं 14.7, 14.9 तथा ए.एम.सी. 2019-20 की कंडिका 7.12.1 के अनुसार राज्य तथा जिला स्तर पर निम्नानुसार गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए:

राज्य गुणवत्ता निगरानी (एस.क्यू.एम.) प्रकोष्ठ	जिला गुणवत्ता निगरानी (डी.क्यू.एम.) प्रकोष्ठ
• 10–15 तकनीकी अधिकारियों (सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंताओं) का एक पैनल प्रत्येक जिले में मनरेगा के अंतर्गत ₹5 लाख या उससे अधिक लागत (कच्चे कार्य) तथा ₹10 लाख या उससे अधिक लागत (पक्के कार्य) के कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों की दो चरणों में -निर्माण के दौरान तथा कार्य पूर्ण होने के बाद, निगरानी एवं मूल्यांकन करेगा। • संचालक (क्यू.एम.) (अधीक्षण अभियंता के समकक्ष रैंक) राज्य में सभी एस.क्यू.एम. के कार्यों का समन्वय करेंगे। • एस.क्यू.एम. सभी जिलों का त्रैमासिक समेकित प्रतिवेदन क्यू.एम. के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। • निगरानी के परिणाम नरेगासॉफ्ट पर अपलोड किए जाएंगे।	• 10–15 सेवानिवृत्त सहायक अभियंताओं (ए.ई.) का एक पैनल प्रत्येक जिले में ₹3 लाख या उससे अधिक लागत (कच्चे कार्य) तथा ₹5 लाख या उससे अधिक लागत (पक्के कार्य) के कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों की दो चरणों में - निर्माण के दौरान तथा कार्य पूर्ण होने के बाद, निगरानी तथा मूल्यांकन करेगा। • निगरानी के परिणाम नरेगासॉफ्ट पर अपलोड किए जाएँगे।

यह देखा गया कि राज्य स्तर पर निगरानी हेतु 15 सदस्यों को (जून 2022) में राज्य गुणवत्ता मॉनीटर के रूप में नामित किया गया। हालांकि, राज्य में जिला स्तर पर कोई गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित नहीं किया गया।

सम्बंधित डी.क्यू.एम. प्रकोष्ठ के बिना एस.क्यू.एम. प्रकोष्ठ की स्थापना जमीनी स्तर पर निरीक्षण को सीमित करता है, जिससे मनरेगा के क्रियान्वयन में गुणवत्ता आश्वासन एवं समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशीलता कम हो जाती है। इससे निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता एवं स्थायित्व के संबंध में आश्वासन कमजोर होता है।

निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2025) में शासन ने बताया कि इन इकाइयों के गठन हेतु प्राथमिकता के आधार पर प्रयास किए जा रहे हैं।

7.5 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा टिप्पणियों एवं अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई

लेखापरीक्षा ने यह आकलन किया कि क्या शासन ने पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाई गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के जवाब में उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की थी। तदनुसार, वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान चिन्हित की गई समान प्रकृति की टिप्पणियों

को नीचे ***तालिका** 7.1* में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, ताकि विभाग एवं एम.पी.एस.ई.जी.सी. द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपायों की अनुपालन स्थिति तथा उनके प्रभाव को रेखांकित किया जा सके:

तालिका 7.1	पूर्व लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई				
क्रम संख्य	पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2012 एवं 2016		क्रियान्वयन	वर्तमान लेखापरीक्षा रिपोर्ट कंडिका सं.	प्रभाव
	विवरण	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का संक्षिप्त विवरण			
1	वित्तीय प्रबंधन	12 से 34 प्रतिशत के बीच निधि अव्ययित रहीं	वर्ष 2021-22 को छोड़कर 95 प्रतिशत से अधिक निधि के उपयोग के साथ स्थिति में सुधार हुआ	4.2	बेहतर रोजगार सृजन तथा आजीविका सहायता में वृद्धि
2	संवेदनशील समूहों को रोजगार	अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को रोजगार कम (42 से 45 *प्रतिशत*) था	आंशिक सुधार – 61.04 प्रतिशत तक बढ़ गया	5.4.1	कमजोर परिवारों को पर्याप्त आजीविका सहायता से वंचित करना
3	कार्यों का निष्पादन	गैर-अनुमत कार्यों को निष्पादित किया गया।	आंशिक सुधार, अस्वीकार्य, अपूर्ण तथा अपव्ययी कार्य जारी रहे।	6.2.1.1	निधि का अकुशल एवं अपव्ययी व्यय
4	मजदूरी-सामग्री अनुपात	सामग्री पर व्यय निर्धारित सीमा से अधिक हुआ।	आंशिक सुधार कुछ – मामलों में अधिक व्यय जारी रहा।	6.7	निर्धारित 60 प्रतिशत सीमा से कम मजदूरी व्यय होने का जोखिम
5	शिकायत निवारण तंत्र	लगभग 24 प्रतिशत शिकायतें अनिराकृत रही	आंशिक सुधार – चयनित जिला पंचायतों में 14 प्रतिशत शिकायतें अभी भी लंबित	7.5.2	शिकायतों के निराकरण में देरी ने पारदर्शिता एवं जवाबदेही को कमजोर किया
6	सामाजिक लेखापरीक्षा	निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया	आंशिक सुधार – केवल 31-50 प्रतिशत मामलों में लेखापरीक्षा आयोजित की गई	8.4.1	अनियमितताओं एवं श्रमिकों के अधिकारों की असुरक्षा का जोखिम
7	प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति	जी.आर.एस., पी.ओ., ए.डी.पी.ओ. एवं ब्लॉक स्टाफ जैसे प्रमुख पदों पर पूर्ण रूप से तैनाती नहीं हुई	मामूली सुधार – किसी भी नमूना-जांच की गई जनपद पंचायत में पूर्णकालिक पी.ओ. नियुक्त नहीं किया गया	3.8	पी.ओ. स्तर पर कमजोर पर्यवेक्षण के कारण अपर्याप्त क्रियान्वयन हुआ
8	जिला परिप्रेक्ष्य योजना (डी.पी.पी.) तैयार करना	डी.पी.पी. तैयार नहीं किए गए या अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए	कोई सुधार नहीं	3.4	सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से अभिसरण के लिए, जरूरतें एवं कमियां अचिन्हित रहीं
9	योजना (विकास योजना)	वार्षिक योजनाओं के अनुमोदन के लिए निर्धारित तिथियों का पालन नहीं किया गया	कोई सुधार नहीं	3.6	ग्राम पंचायत विकास कार्यों के लिए वास्तविक जरूरतों एवं संसाधनों का आकलन करने में असमर्थ
10	श्रम बजट	बजटीय एवं वास्तविक व्यय के बीच व्यापक अंतर	कोई सुधार नहीं – एल.बी. बॉटम-अप दृष्टिकोण के माध्यम से तैयार नहीं किया गया	3.6.1	अनुमानित एवं वास्तविक व्यक्ति-दिवसों के बीच भारी अंतर बना रहा

क्रम संख्य	पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2012 एवं 2016		क्रियान्वयन	वर्तमान लेखापरीक्षा रिपोर्ट कंडिका सं.	प्रभाव
	विवरण	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का संक्षिप्त विवरण			
11	मजदूरी का भुगतान	भुगतान में देरी 30 से 360 दिवसों के बीच तक रही	कोई सुधार नहीं क्योंकि देरी जारी रही; ₹9.07 करोड़ का मुआवजा लंबित (मार्च 2024 तक)	4.5	निश्चित एवं समय पर मजदूरी सहायता के उद्देश्य को विफल किया
12	रोजगार आवेदनों के लिए दिनांकित रसीद जारी करना	आवेदकों को दिनांकित रसीदें जारी नहीं की गई थीं	कोई सुधार नहीं	5.2	लेखापरीक्षा 15 दिवस में रोजगार गारंटी के अनुपालन का सत्यापन नहीं कर सका
13	रोजगार पंजी का संधारण	अनिवार्य पंजियों का उचित संधारण नहीं किया गया	कोई सुधार नहीं	5.1.1	पोर्टल पर आँकड़े की विश्वसनीयता की पुष्टि नहीं की जा सकी
14	जॉब कार्ड का पंजीकरण तथा जारी करना	जॉब कार्ड के पंजीकरण तथा जारी करने के लिए प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया	कोई सुधार नहीं - डुप्लीकेट/फर्जी जॉब कार्डों की समय पर पहचान करने में अनियमितताएं; भौतिक अभिलेख का अभाव	5.1.2	बाद में हटाए गए जॉब कार्डों के विरुद्ध ₹1.46 करोड़ मजदूरी का भुगतान किया गया
15	100 दिवसों के रोजगार का सृजन	केवल 2.31 से 12.60 प्रतिशत परिवारों (एच.एच.) को 100 दिवसों का रोजगार प्राप्त हुआ	कोई सुधार नहीं - केवल 1.95 से 5.83 प्रतिशत परिवारों को 100 दिवसों का रोजगार प्राप्त हुआ	5.3	आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के मूल उद्देश्य को कमजोर किया
16	एस.ई.जी.सी. का कार्य संचालन	एस.ई.जी.सी. साधारण सभा की बैठकें अपर्याप्त रूप से आयोजित की गईं	कोई सुधार नहीं – पाँच वर्षों में केवल एक बैठक हुई, पर्याप्त प्रतिनिधित्व के बिना।	7.2.1	योजना क्रियान्वयन की निगरानी प्रभावित हुई

स्रोत: 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए सामान्य एवं सामाजिक (गैर-पी.एस.यू.) क्षेत्रों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या 4, 2013), 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्रों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन(प्रतिवेदन संख्या 3, 2017) एवं वर्तमान लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ।

ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है कि विभाग या परिषद ने पूर्व प्रतिवेदनों के 16 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से सात में सुधार किया है या आंशिक रूप से सुधार किया है, जो वर्तमान लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के समान थे। हालांकि, नौ क्षत्रों में सुधार नहीं हुआ जो टिप्पणियों को निराकरण करने के लिए सीमित प्रगति या अपर्याप्त प्रयासों को दर्शाता हैं।

7.6 शिकायत निवारण तंत्र का अस्तित्व एवं कार्य संचालन

7.6.1 लोकपाल की नियुक्ति

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 की कंडिका 13.14 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार योजना के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए सभी जिलों में लोकपाल का कार्यालय स्थापित करेगी। लोकपाल के मुख्य कर्तव्यों में शामिल हैं;

- मुख्य सचिव एवं मनरेगा के प्रभारी सचिव को मासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन तथा पारित पुरस्कारों की सूची भेजना, तथा दोषी मनरेगा पदाधिकारियों के विरूद्ध की जाने वाली कार्रवाई को रेखांकित करना।
- लोकपाल द्वारा निपटाए गए मामलों की संक्षिप्त प्रतिवेदन एम.पी.एस.ई.जी.सी. को भेजी जाएगी और यह एम.पी.एस.ई.जी.सी. द्वारा तैयार की जाने वाली वार्षिक प्रतिवेदन का हिस्सा भी होगी, जिसे राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (लोकपाल की नियुक्ति, शक्तियाँ तथा कर्तव्य) मध्यप्रदेश नियम, 2021 के नियम 11(डी) के अनुसार, लोकपाल को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक शिकायत किए गए योजना प्राधिकारी के संबंध में अपनी भेजी गई प्रतिवेदनों की सूची तैयार करनी होगी तथा इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करना होगा। यह प्रतिवेदन योजना की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्तमान में राज्य में चार जिलों के लिए केवल तीन लोकपाल ही कार्यरत थे। ये लोकपाल योजना के क्रियान्वयन के दौरान प्राप्त लोक शिकायतों के निवारण के लिए मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1981 के तहत कार्यरत थे। प्रत्येक जिले में नियुक्त लोकपाल की अनुपस्थिति से शिकायत निवारण तंत्र अप्रभावी हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त, लोकपाल कार्यालय में प्राप्त 502 शिकायतों में से 31 मार्च 2024 तक 217 शिकायतें निराकरण हेतु लंबित थीं। यह भी देखा गया कि लोकपाल ने योजना वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए राज्य सरकार/ एम.पी.एस.ई.जी.सी. को कोई मासिक या वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।

उपरोक्त प्रकरण यह दर्शाता है कि पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के पालन में केवल आंशिक सुधार हुआ है, जिनमें भी शिकायत निवारण तंत्र में अनियमितताओं को भी रेखांकित किया गया था।

निर्गम सम्मलेन (जुलाई 2025) में, सरकार ने कहा कि इन संस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

7.6.2 शिकायतों का निराकरण

मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 23(6) में यह प्रावधान है कि कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक शिकायत को शिकायत पंजी में दर्ज करेगा एवं विवादों तथा शिकायतों को प्राप्त होने के सात दिवसों के भीतर उसका निराकरण करेगा एवं यदि यह किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा समाधान किए जाने वाले प्रकरण से संबंधित है, तो इसे शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए ऐसे प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा। मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 की कंडिका 10.3.9 के अंतर्गत यथा अपेक्षित ग्राम पंचायत, खंड और जिला स्तरों पर भी शिकायत पंजी संधारित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 88 चयनित पंचायती राज संस्थाओं में से केवल चार जिला पंचायतों, पाँच जनपद पंचायतों एवं 15 ग्राम पंचायतों में ही शिकायत पंजियाँ संधारित थी। इसके अतिरिक्त, आठ जिला पंचायतों में 2019-24 के दौरान प्राप्त 443 शिकायतों में से 62 शिकायतें अगस्त 2024 तक निराकरण हेतु लंबित थीं, जैसा कि ***परिशिष्ट 7.1*** में विवरण दिया गया है।

शासन ने (सितंबर 2025) उत्तर दिया कि जिला, खंड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर शिकायत पंजियों का संधारण किये जाने के निर्देश जारी किए गए थे।

तथ्य यह है कि शिकायतों के निराकरण के अभाव में शिकायत निवारण तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

7.7 पारदर्शिता एवं स्वप्रेरित प्रकटीकरण

7.7.1 नागरिक चार्टर

दिशा-निर्देशों की कंडिका 13.12.1 के अनुसार नागरिक चार्टर में अधिनियम के तहत पंचायतों एवं अधिकारियों के कर्तव्यों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। इसमें अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अपनाए जाने वाले विशिष्ट चरणों का विवरण होना चाहिए एवं पंचायतों तथा संबंधित अधिकारियों पर निर्धारित न्यूनतम सेवा स्तरों को स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एम.पी.एस.ई.जी.सी. या चयनित जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों/ग्राम पंचायतों ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ग्राम पंचायत कार्यालयों, कार्यस्थलों पर नोटिस बोर्ड, खंड तथा जिला-स्तरीय मनरेगा कार्यालयों आदि जैसे स्थानों पर नागरिक चार्टर प्रकाशित नहीं किया था।

एम.पी.एस.ई.जी.सी. ने उत्तर दिया (जून 2024) कि नागरिक चार्टर तैयार नहीं किया गया था क्योंकि प्रशासनिक निधि प्रदान नहीं की गई थी। चयनित जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों/ग्राम पंचायतों द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया।

नागरिक चार्टर का प्रकाशन न करने से पारदर्शिता सीमित हो जाती है एवं नागरिकों को उनके अधिकारों एवं मनरेगा के अंतर्गत कार्मिकों की जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है।

शासन ने अपने जवाब (सितंबर 2025) में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

7.7.2 कार्यस्थलों पर प्रकटीकरण

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 की कंडिका 13.9.1 में नागरिक सूचना पट्टों के माध्यम से कार्यस्थल पर जानकारी प्रदर्शित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि कार्यस्थल पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके एवं स्व-प्रेरित प्रकटीकरण हो सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित ग्राम पंचायतों ने कार्यस्थल पर नागरिक सूचना पट्टों के माध्यम से जानकारी प्रदर्शित करने के कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। नागरिक सूचना पट्टों का प्रदर्शित न होना पारदर्शिता को बाधित करता है एवं कार्यस्थल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी श्रमिकों तथा नागरिकों तक पहुँच से रोकता है।

शासन ने (सितंबर 2025) उत्तर दिया कि अप्रैल 2018 एवं फरवरी 2020 में प्रत्येक कार्यस्थल पर सार्वजनिक सूचना पट्ट प्रदर्शित करने के निर्देश जारी किए गए थे, ताकि मनरेगा के तहत निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यस्थलों पर प्रकटीकरण के समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

7.8 निष्कर्ष

आवश्यक 10 साधारण सभा की बैठकों में से केवल एक बैठक आयोजित की गई एवं वह भी गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन के बिना। राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तरों पर सतर्कता प्रकोष्ठों अथवा निगरानी समितियों का गठन न किए जाने के कारण

निगरानी एवं शिकायत निवारण तंत्र में कमी पाई गई। विभाग ने पूर्व लेखापरीक्षा टिप्पणियों का पालन नहीं किया, जिससे नौ क्षेत्र बिना सुधार के रह गए। आवश्यक संख्या में लोकपालों की अनुपस्थिति के कारण प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित नहीं हो पाया। नागरिक चार्टर का तैयार न होना, मनरेगा जैसी अधिकार-आधारित कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जवाबदेही की कमी को दर्शाता है।

7.9 अनुशंसाएं

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि

- *योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए एम.पी.एस.ई.जी.सी. द्वारा साधारण सभा बैठकों का नियमित आयोजन किया जाए, सतर्कता निगरानी प्रकोष्ठ/समितियों का गठन किया जाए, प्रत्येक जिले में लोकपाल की नियुक्ति की जाए, शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ किया जाए तथा पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की टिप्पणियों पर सुधारात्मक कार्रवाई का पालन किया जाए (**कंडिका 7.2.1, 7.3, 7.5, 7.6.1 एवं 7.6.2 के संदर्भ में**)।*

अध्याय VIII

सामाजिक लेखापरीक्षा

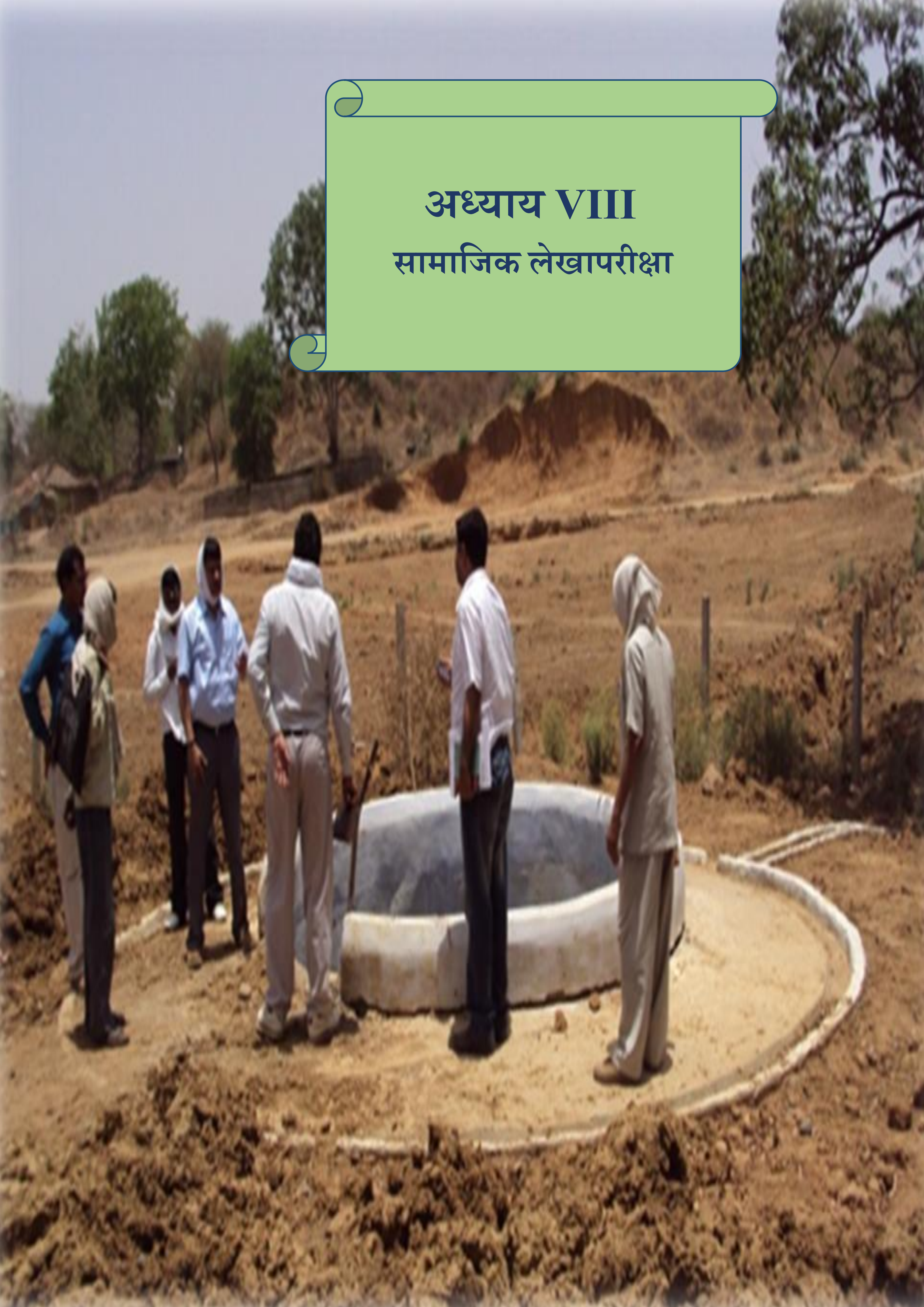

अध्याय VIII सामाजिक लेखापरीक्षा

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

- सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए संचालित बैंक खातों के बाहर रखी गई निधि।
- बैंक में जमा की गई निधि पर प्राप्त ब्याज भारत सरकार को पूरी तरह से प्रेषित नहीं किया गया था।
- सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (एस.ए.यू.) में जनशक्ति की कमी।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्ष में दो बार आवश्यक सामाजिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं की गई थी।
- समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।
- सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर कमजोर अनुवर्ती कार्यवाही।

8.1 मनरेगा की सामाजिक लेखापरीक्षा

मनरेगा की एक अभिनव विशेषता यह है कि इसने निरंतर सार्वजनिक सतर्कता के साधन के रूप में 'सामाजिक लेखापरीक्षा' को संस्थागत रूप दिया है। सामाजिक लेखापरीक्षा का मूल उद्देश्य परियोजनाओं, कानूनों एवं नीतियों के क्रियान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 17 में यह प्रावधान है कि ग्राम सभा (जी.एस.) कार्यों के निष्पादन की निगरानी करेगी एवं ग्राम पंचायत (जी.पी.) के अंतर्गत शुरू की गई सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक लेखापरीक्षा करेगी।

8.2 राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा की स्थापना

योजना नियमावली, 2011 की लेखापरीक्षा राज्य शासन को प्रत्येक ग्राम पंचायत में छः माह में कम से कम एक बार अधिनियम के अंतर्गत किए गए कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित करने की सुविधा प्रदान करने का अधिकार देता है। उक्त नियमावली के नियम 4 में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक राज्य शासन ग्राम सभाओं के माध्यम से मनरेगा कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा के संपादन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक स्वतंत्र संगठन[28] की पहचान करेगी या स्थापित करेगी। एस.ए.यू. से यह अपेक्षित है कि वह लोगों के अधिकारों के लिए कार्य करने के ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले प्राथमिक हितधारकों एवं अन्य नागरिक समाज संगठनों (सी.एस.ओ.) से प्राप्त ग्राम, खंड, जिला एवं राज्य स्तर पर उपयुक्त रिसोर्स पर्सन (आर.पी.) की पहचान करे, प्रशिक्षित करे एवं तैनात करे।

एस.ए.यू. रिसोर्स पर्सन (आर.पी.) प्राथमिक हितधारकों के साथ भुगतान, सामग्री के क्रय एवं वित्तीय अभिलेख से संबंधित अभिलेखों का सत्यापन करेंगे, कार्य स्थलों का दौरा करेंगे, मजदूरी चाहने वालों से संपर्क करेंगे, अभिलेखों का संकलन करेंगे एवं सत्यापन कार्यों के निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए ग्राम सभा का आयोजन करेंगे।

तदनुसार, राज्य शासन ने (जनवरी, 2013) मध्य प्रदेश राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति (एम.पी.एस.एस.एस.एस.) को एस.ए.यू. के रूप में गठित किया है। राज्य स्तर पर एस.ए.यू. का संगठनात्मक ढाँचा ***चार्ट 8.1*** में दर्शाया गया है:

28 सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (एस.ए.यू.)

चार्ट 8.1 | **एस.ए.यू. का संगठनात्मक ढाँचा**

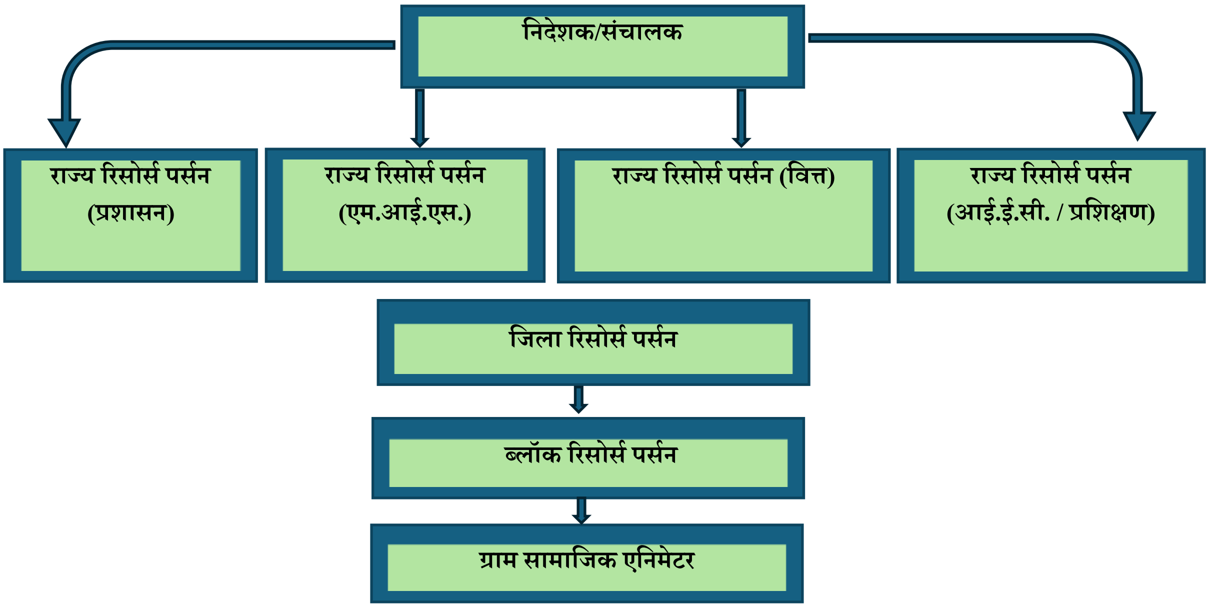

स्रोत: एम.पी.एस.ई.ई.जी.सी. द्वारा प्रदान की गई जानकारी

एस.ए.यू. द्वारा की गई सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया का विहंगावलोकन नीचे ***चार्ट 8.2*** में दिया गया है :

चार्ट 8.2 | **सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया का विहंगावलोकन**

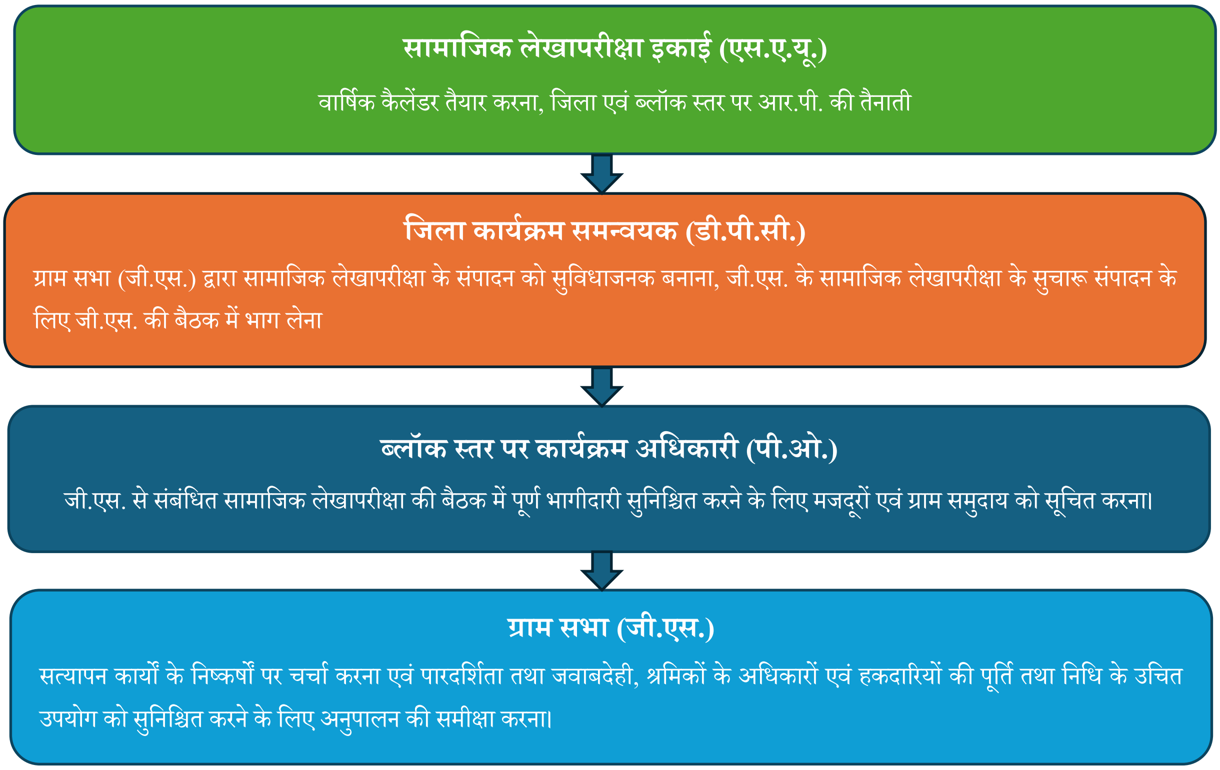

स्रोत: एम.पी.एस.ई.ई.जी.सी. द्वारा प्रदान की गई जानकारी

यह देखा गया कि 2019-24 के दौरान विशेष रूप से सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए राज्य, जिला एवं ग्राम स्तर के साथ-साथ नागरिक समाज संगठन (सी.एस.ओ.) के कार्मिकों के लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था। सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षणों के अभाव ने सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया की गुणवत्ता, प्रभावशीलता एवं स्वतंत्रता को कमजोर कर दिया।

शासन ने विशेष रूप से सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने में कमी के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया (सितंबर 2025)।

8.3 सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों की वित्तीय स्थिति

8.3.1 निधि की उपलब्धता एवं व्यय

संचालक, एस.ए.यू., राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष में कम से कम दो बार सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित करने के लिए प्रस्तावित बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। प्रशासनिक व्यय के लिए राज्य की छः प्रतिशत पात्रता में से 0.50 प्रतिशत तक राशि राज्य की सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए निर्धारित की गई है।

वर्ष 2019-24 के दौरान निधि की उपलब्धता एवं उससे होने वाले व्यय का विवरण नीचे ***तालिका 8.1*** में दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

तालिका 8.1	एस.ए.यू., भोपाल द्वारा निधि की उपलब्धता एवं उस पर व्यय का विवरण					
वर्ष	प्रारंभिक शेष	भारत सरकार द्वारा जारी निधि	विविध प्राप्तियां	कुल उपलब्ध निधि	वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया व्यय	बचत (प्रतिशत बचत)
1	2	3	4	5	6	7
2019-20	17.96	11.83	26.29[29]	56.08	14.93	41.15 (73.38)
2020-21	41.15	0.00	1.08	42.23	10.56	31.67 (74.99)
2021-22	31.67	0.00	4.58	36.25	22.21	14.04 (38.73)
2022-23	14.04	9.63	1.02	24.69	17.98	6.71 (27.18)
2023-24	6.71	18.54	1.02	26.27	25.45	0.82 (3.12)

स्रोत: एस.ए.यू., भोपाल द्वारा प्रदान की गई जानकारी

उपरोक्त से हम देखते हैं कि वित्त वर्ष 2019-24 के दौरान, उपलब्ध निधि में 3.12 प्रतिशत से 73.38 प्रतिशत के बीच बचत देखी गई।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि भारत सरकार के निर्देशों (2015) के अनुसार, एस.ए.यू. ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक प्रत्येक वर्ष 50 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित की गई।

उत्तर मे सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए आवंटित अप्रयुक्त निधि की बचत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिसके कारण वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा का दायरा कम रहा, जैसा कि आगामी ***कंडिका 8.4.1*** में विस्तार से बताया गया है।

8.3.2 एफ.डी.आर. के रूप में ₹30.00 करोड़ की राशि अवरुद्ध रखना एवं ब्याज राशि भारत सरकार को प्रेषित न किया जाना

ए.एम.सी. 2019-20 की कंडिका 10.1.6.1 के अनुसार, एस.ए.यू. के लिए निधि संबंधित राज्य शासन के माध्यम से मंत्रालय द्वारा एस.ए.यू. के स्वतंत्र बैंक खाते में जारी की जाएगी। उक्त राशि का उपयोग राज्य, जिला, खंड एवं ग्राम पंचायत में पदस्थ कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान करने के लिए किया जाता है। आगे, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश (जून 2021) के अनुसार, राज्य

[29] एफ.डी.आर. एवं ब्याज से प्राप्त

में प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) की एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) प्रत्येक वर्ष अप्रैल के पहले सप्ताह में पिछले वित्तीय वर्ष में अपने खाते में प्राप्त निधि (केंद्र एवं राज्य शासन दोनों से) पर अर्जित कुल ब्याज की गणना करेगी। अर्जित ब्याज को सी.एस.एस. के अनुमोदित वित्त पोषण पैटर्न के अनुसार केंद्र एवं राज्य शासनों के बीच एस.एन.ए. द्वारा विभाजित किया जाएगा एवं भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा।

यह देखा गया कि पंजाब नेशनल बैंक, भोपाल में एस.ए.यू. के खाते से ₹30.00 करोड़ की राशि इलाहाबाद बैंक में हस्तांतरित की गई थी एवं शासी निकाय के निर्णय (जून 2018) के आधार पर आय अर्जित करने के लिए एफ.डी.आर. बनाया गया था। परिणामस्वरूप, इन निधि को एस.ए.यू. के परिचालित खाते से बाहर रखा गया एवं एफ.डी.आर. में अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे वे सामाजिक लेखापरीक्षा गतिविधियों के लिए अनुपलब्ध हो गई। यह भी देखा गया कि उपरोक्त एफ.डी.आर. पर वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान अर्जित ₹2.84 करोड़[30] का ब्याज 30 जून 2021 को भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार भारत की संचित निधि में जमा नहीं किया गया था। हालांकि, वर्ष 2023-24 में अर्जित ब्याज का मूल्यांकन नहीं किया गया था एवं इसे जमा नहीं किया गया था क्योंकि लेखापरीक्षा के समय खाते तैयार होना लंबित थे।

निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2025) में शासन ने कहा कि एफ.डी. में निवेश जी.बी. बैठक के निर्देशों के अनुसार किया गया था एवं यह सुनिश्चित किया गया था कि भारत सरकार को ब्याज के साथ राशि वापस करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

8.4 एस.ए.यू. में जनशक्ति की कमी

वार्षिक मास्टर परिपत्र (ए.एम.सी.) 2019-20 की कंडिका 10.1.4 के अनुसार, एस.ए.यू. को सुचारू रूप से कामकाज सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों से सुसज्जित होना चाहिए। सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया में नैतिक मानकों की गुणवत्ता एवं रखरखाव सुनिश्चित करने एवं सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही के लिए, प्रत्येक एस.ए.यू. पर्याप्त संख्या में राज्य, जिला एवं खंड रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति करेगा। राज्य, जिला एवं खंड स्तर पर एस.ए.यू. के लिए भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों के स्टाफिंग पैटर्न, योग्यता आदि का निर्णय राज्य शासन द्वारा एस.ए.यू. के शासी निकाय के परामर्श से किया जाएगा।

एस.ए.यू. में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की स्थिति ***परिशिष्ट 8.1*** में दर्शाई गई है एवं नीचे ***चार्ट 8.3*** में संक्षेप में दी गई है:

चार्ट 8.3 — राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर जनशक्ति की उपलब्धता

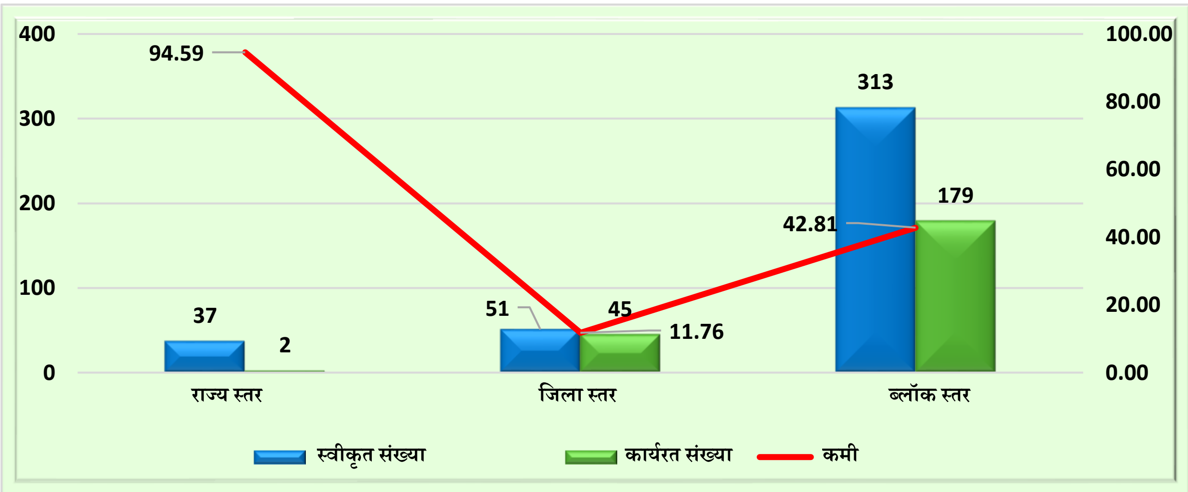

स्रोत: एस.ए.यू., भोपाल द्वारा प्रदान की गई जानकारी

---

30 2019-20 (₹53.54 लाख), 2021-22 (₹357.82 लाख) एवं 2022-23 (₹13.33 लाख) के दौरान अर्जित ब्याज – 2022 में जमा ब्याज (₹140.20 लाख)

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि राज्य स्तर पर स्वीकृत 37 पदों में से केवल दो पद अर्थात् संचालक एवं सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु राज्य विशेषज्ञ भरे गए थे। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान समिति द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

एस.ए.यू. ने सूचित किया (जून 2024) कि रिक्त पदों के व्यय को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी पर्याप्त निधि की अनुपलब्धता के कारण वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा शेष पदों को भरने से अस्वीकार कर दिया गया था।

शासन ने आगे उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि भारत सरकार से अपर्याप्त निधि प्राप्त होने एवं वित्त विभाग द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु अनुमोदन न देने के कारण रिक्त पदों को नहीं भरा गया है।

तथ्य यह है कि रिक्त पदों ने योजना गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं निगरानी की दक्षता, समयबद्धता एवं गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जैसा कि प्रतिवेदन में इंगित किया गया है।

8.5 एस.ए.यू. में गुणवत्ता मॉनीटर्स की नियुक्ति न होना

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश 2013 के धारा 13.2.3 के अनुसार, सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान परिसंपत्ति गुणवत्ता के मूल्यांकन को सुगम बनाने के लिए एस.ए.यू. में गुणवत्ता मॉनीटर्स का होना आवश्यक है । यह परिसंपत्तियों की स्थायित्व एवं उनकी इच्छित उपयोगिता सुनिश्चित करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एस.ए.यू., भोपाल द्वारा गुणवत्ता मॉनीटर्स की नियुक्ति नहीं की गई थी। इस प्रकार, एस.ए.यू. ने सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान योजना के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, स्थायित्व एवं उपयोगिता सुनिश्चित नहीं की।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि गुणवत्ता मॉनीटर्स नियुक्त नहीं किए गए थे क्योंकि एस.ए.यू. में इसके लिए कोई स्वीकृत पद नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार एस.ए.यू. द्वारा गुणवत्ता मॉनीटर्स की नियुक्ति किया जाना आवश्यक था ।

8.6 सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा मनरेगा की सामाजिक लेखापरीक्षा

8.6.1 सामाजिक लेखापरीक्षा में ग्राम पंचायतों का आच्छादन

मनरेगा लेखापरीक्षा योजना नियम, 2011 की कंडिका 6(1) में यह निर्धारित है कि वर्ष के प्रारंभ में एस.ए.यू. प्रत्येक छ: माह में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करेगा। कैलेंडर की एक प्रति आवश्यक व्यवस्था करने के लिए सभी जिला कार्यक्रम समन्वयकों (डी.पी.सी.) को भेजी जाएगी। सामाजिक लेखापरीक्षा पूरे राज्य में क्रमबद्ध तरीके से की जाएगी ।

यह देखा गया कि एस.ए.यू. ने सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार नहीं किया एवं कार्य योजना तैयार करने के लिए सभी डी.पी.सी. को जारी नहीं किया। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि चयनित जिलों ने छमाही आधार के बजाय वार्षिक आधार पर ग्राम पंचायतों के आच्छादन की योजना बनाई। राज्य में ग्राम पंचायतों की सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन में कमी को ***तालिका 8.2*** में दिखाया गया है :

तालिका 8.2	वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य में एस.ए.यू., भोपाल द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा का आच्छादन				
वर्ष	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित की जानी थी (वर्ष में दो बार)	ग्राम पंचायतों में पूर्ण की गई सामाजिक लेखापरीक्षा	सामाजिक लेखापरीक्षा पूर्णता का प्रतिशत	कमी का प्रतिशत
2019-20	22777	45554	14186	31	69
2020-21	22809	45618	22809	50	50
2021-22	22777	45554	22777	50	50
2022-23	22727	45454	22727	50	50
2023-24	23011	46022	15174	33	67

स्रोत: एस.ए.यू., भोपाल द्वारा प्रदान की गई जानकारी

उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 एवं 2023-24 के मध्य सामाजिक लेखापरीक्षा का आच्छादन 31 से 50 प्रतिशत के बीच था। इस प्रकार, इन वर्षों में 50 प्रतिशत से 69 प्रतिशत के बीच ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा नहीं की गई। यह पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के पालन में केवल आंशिक सुधार को इंगित करता है, जिसमें सामाजिक लेखापरीक्षा के संपादन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों को रेखांकित किया गया था।

आगे, चयनित ग्राम पंचायतों में, यह देखा गया कि वर्ष के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा या तो केवल एक बार आयोजित की गई थी या बिल्कुल नहीं की गई थी, जैसा कि नीचे ***चार्ट 8.4*** में दर्शाया गया है एवं ***परिशिष्ट 8.2*** में विवरणित है।

चार्ट 8.4 | **वर्ष 2019-24 के दौरान नमूना-जांच जिलों में वार्षिक सामाजिक लेखापरीक्षा**

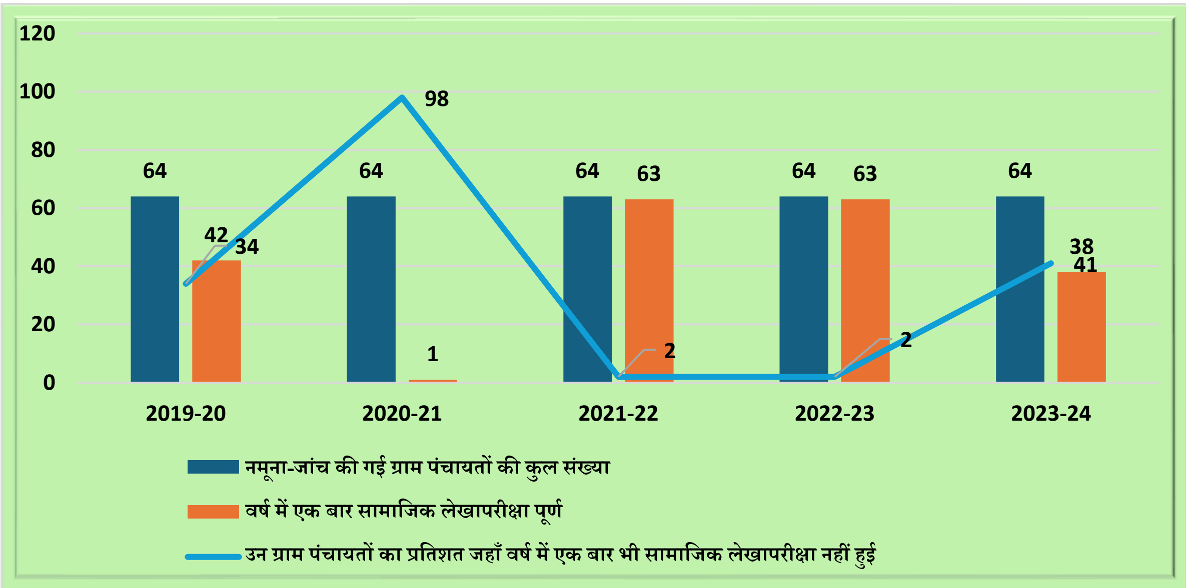

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

यह देखा गया कि वर्ष 2019-24 के दौरान चयनित ग्राम पंचायतों में वर्ष में एक बार भी सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई तथा इसमें दो से 98 प्रतिशत के बीच कमी रही। नमूना-जांच किए गए ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित न करने के कारणों में वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी की व्यापकता एवं विधानसभा चुनावों के आयोजन को जिम्मेदार ठहराया गया।

निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2025) में शासन ने कहा कि चूंकि अधिकांश योजनाओं में सामाजिक लेखापरीक्षा का प्रावधान मौजूद है, इसलिए सामाजिक लेखापरीक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। आगे, यह उत्तर दिया गया (सितंबर 2025) कि भारत

सरकार (2015) के निर्देशों के अनुसार, एस.ए.यू. ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक प्रत्येक वर्ष 50 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित की।

उक्त नियमों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में हर छ: माह में एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं करने के प्रकरण पर उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है। सामाजिक लेखापरीक्षा के आच्छादन में कमी से योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताएं हो सकती हैं।

8.6.2 समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन न किया जाना

भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र (ए.एम.सी.) 2019-20 एवं 2021-22 की कंडिका 10.1.12 में निर्धारित है कि सभी कार्यों के लिए प्रत्येक माह समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए स्वयं सहायता समूहों, ग्राम सामाजिक लेखापरीक्षकों, ग्राम निगरानी समितियों (वी.एम.सी.) एवं अन्य ग्राम स्तरीय संगठनों (वी.ओ.) को सप्ताह के एक निश्चित दिन ग्राम पंचायत में किए गए कार्यों एवं व्यय के सभी अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। अभिलेखों की प्रतियां, जहां आवश्यक हो, कार्यक्रम अधिकारी (पी.ओ.) द्वारा मामूली लागत पर प्रदान की जाएंगी। वी.एम.सी. माह में एक बार प्रत्येक सक्रिय कार्यस्थल का निरीक्षण कर सकती है। वी.एम.सी. अपनी प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करेगी एवं उसे पी.ओ. को प्रस्तुत करेगी।

यह देखा गया कि एस.ए.यू. द्वारा जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को जारी किए गए निर्देशों (जून 2020) के बावजूद मार्च 2024 तक राज्य में कोई समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन होना नहीं पाया गया।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा न तो पृथक निर्देश जारी किए गए थे, न ही इस उद्देश्य के लिए कोई अतिरिक्त निधि प्रदान की गई थी। परिणामस्वरूप, भारत सरकार से प्राप्त निधि का उपयोग करके केवल नियमित सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ए.एम.सी. में प्रावधान होने एवं एस.ए.यू. द्वारा सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाने के बावजूद समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।

8.7 सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई

मध्य प्रदेश सामाजिक लेखापरीक्षा नियम, 2013 की कंडिका 7(4) के अनुसार, राज्य शासन सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होगा।

2019-24 की अवधि के लिए आयोजित किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान चिन्हित किये गए श्रेणी-वार सामाजिक लेखापरीक्षा कंडिकाओं का सारांश नीचे ***तालिका 8.3*** में दिया गया है:

तालिका 8.3	वर्ष 2019-24 के दौरान वर्ष-वार श्रेणी-वार सामाजिक लेखापरीक्षा कंडिकाओ की स्थिति				
वर्ष	श्रेणी-वार चिन्हित की गई सामाजिक लेखापरीक्षा कंडिकाएं				
	शिकायतें	प्रक्रिया उल्लंघन	वित्तीय विचलन	वित्तीय दुर्विनियोजन	कुल
2019-20	1674	6846	579	425	9524
2020-21	608	12720	144	331	13803
2021-22	1493	9669	4479	2105	17746
2022-23	1304	7985	7292	2363	18944
2023-24	1342	12505	9693	5509	29049
	6421	**49725**	**22187**	**10733**	**89066**

स्रोत: एस.ए.यू., भोपल द्वारा प्रदान की गई जानकारी

उपरोक्त से यह देखा गया कि कंडिकाओं की कुल संख्या वर्ष 2019-20 में 9524 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 29049 हो गई। आगे, वर्ष 2019-20 की तुलना में तीन श्रेणियों अर्थात प्रक्रिया उल्लंघन, वित्तीय विचलन एवं वित्तीय दुर्विनियोजन में श्रेणी-वार कंडिकाओं में वर्ष 2023-24 में वृद्धि हुई। उपर्युक्त कंडिकाओं का लंबित होना सामाजिक लेखापरीक्षा पर कार्रवाई प्रतिवेदन के रूप में राज्य शासन द्वारा की गई कमजोर अनुवर्ती कार्रवाई को दर्शाता हैं।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से चिन्हित किये गए मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है एवं सभी जिलों को वसूली हेतु निर्देश (जुलाई 2025) जारी किए गए थे।

सामाजिक लेखापरीक्षा परिणामों पर समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव में सुधारात्मक कार्रवाई में विलंब होता है, जवाबदेही कमजोर होती है एवं लेखापरीक्षा प्रक्रिया का समग्र प्रभाव कम हो जाता है।

8.7.1 सामाजिक लेखापरीक्षा में उठाए गए वित्तीय दुर्विनियोजन प्रकरणों की राशि की वसूली

वर्ष 2019-24 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा के प्रतिवेदनों पर तय किए गए वित्तीय दुर्विनियोजन के मुद्दों में राशियों की वर्ष-वार वसूली नीचे ***तालिका 8.4*** में दी गई है:

(₹ लाख में)

तालिका 8.4	वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय दुर्विनियोजन के मामलों की वसूली की स्थिति					
वर्ष	**वसूली हेतु निर्धारित प्रकरण**		**वसूली के प्रकरण एवं राशि**		**लंबित प्रकरण एवं राशि**	
	सं.	**राशि**	**सं.**	**राशि**	**सं.**	**राशि**
2019-20	92	25.03	88	22.16	04	2.87
2020-21	01	0.05	01	0.05	00	00
2021-22	861	107.80	836	97.15	25	10.65
2022-23	1446	104.52	1439	102.66	07	1.86
2023-24	2121	87.22	2086	69.23	35	17.99
कुल	**4521**	**324.62**	**4450**	**291.25**	**71**	**33.37**

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि वसूली के लिए वित्तीय दुर्विनियोजन के 4521 मामलों को निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध 4450 मामलों में ₹2.91 करोड़ की राशि वसूल की गई थी एवं 71 मामलों में ₹0.33 करोड़ की वसूली लंबित रही।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि सभी जिलों को वसूली के लिए निर्देश (जुलाई 2025) जारी किए गए थे।

तथ्य यह है कि चिन्हित किये गए वित्तीय दुर्विनियोजन मामलों में वसूली प्रक्रिया अभी भी अपूर्ण है।

8.8 निष्कर्ष

सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध निधि को प्रावधानों के विरुद्ध अन्य बैंक में एफ.डी.आर. बनाकर बैंक खाते से बाहर रखा गया था। एफ.डी.आर. पर अर्जित ब्याज को संबंधित संचित निधि में पूर्ण रूप से प्रेषित नहीं किया गया था। सामाजिक लेखापरीक्षा ढांचे में भारी रिक्तियां थी। राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए गुणवत्ता मॉनीटर्स की नियुक्ति नहीं की गई थी। राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा के आच्छादन में भारी कमी थी। एस.ए.यू. ने समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करना सुनिश्चित नहीं किया। वित्तीय दुर्विनियोजन प्रकरणों में ₹0.33 करोड़ की वसूली लंबित थी।

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन में आंशिक सुधार, विशेष रूप से सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन के संबंध में, इस क्षेत्र में और अधिक सुधार की आवश्यकता को इंगित करता है।

8.9 अनुशंसाएं

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को सुनिश्चित करना चाहिए

- *भारत सरकार को अप्रयुक्त सामाजिक लेखापरीक्षा निधि का प्रेषण **(कंडिका 8.3 के संदर्भ में)**,*
- *योजना के अंतर्गत अनिवार्य लेखापरीक्षा सम्पादित करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति प्रदान करके सामाजिक लेखापरीक्षा का सुदृढ़ीकरण **(कंडिका 8.4 के संदर्भ में)**, एवं*
- *क्रियान्वयन में बेहतर सार्वजनिक जवाबदेही के लिए समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन **(कंडिका 8.6.2 के संदर्भ में)**।*

ग्वालियर
दिनांक: 16 अप्रैल 2026

(सिद्धार्थ बोंदाडे)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 22 अप्रैल 2026

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट एवं संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: कंडिका 1.3, पृष्ठ संख्या 3)

मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण पहलू	
प्रक्रिया	**संक्षिप्त विवरण**
परिवारों का पंजीकरण एवं जॉब कार्ड जारी करना	• ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य, जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, वे ग्राम पंचायत में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो आवेदन के 15 दिवसों के भीतर नि:शुल्क 'जॉब कार्ड' जारी किया जाएगा, जिसमें परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का विवरण (उनकी तस्वीर के साथ) होगा। (अधिनियम की अनुसूची II का नियम 1, परिचालन दिशा-निर्देश 2013 की कंडिका 3.1.5)
रोजगार तथा कार्य के आवंटन के लिए आवेदन	• जॉब कार्ड धारक कार्य की मांग करते हुए ग्राम पंचायत को मौखिक/लिखित आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यदि मांग के 15 दिवसों के भीतर कार्य प्रदान नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। (अधिनियम की धारा 7(1) तथा अधिनियम की अनुसूची II की धारा 8)
कार्यों की योजना एवं निष्पादन	• ग्राम पंचायतों (जी.पी.) को ग्राम सभा की सिफारिशों पर विचार करने के बाद विकास योजनाएं/संभावित कार्यों की सूची तैयार करनी होती है, जिसे जनपद पंचायत एवं उसके पश्चात् जिला पंचायत द्वारा समेकित किया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले को एक बहुवर्षीय जिला परिप्रेक्ष्य योजना भी तैयार करनी चाहिए। • कम से कम 50 *प्रतिशत* कार्य (लागत के अनुसार) ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किए जाने चाहिए। (अधिनियम की धारा 13, 16 (3), 16(5) तथा परिचालन दिशा-निर्देशों की धारा 15.3.1.1)।
मजदूरी का भुगतान	• मजदूरी का भुगतान कार्य के प्रत्येक दिन के लिए मजदूरी दर के अनुसार किया जाना है एवं इसे साप्ताहिक/पाक्षिक आधार पर वितरित किया जाना है। • मजदूरी के भुगतान में 15 दिवसों से अधिक की देरी होने की स्थति में क्षतिपूर्ति देय होगी। (अधिनियम की धारा 3 (2), (3) तथा अधिनियम की अनुसूची II की धारा 29)।
वित्तपोषण पैटर्न	• अकुशल मजदूरी भुगतान पर होने वाले व्यय का 100 प्रतिशत वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता एवं 25 प्रतिशत कुशल/अर्ध-कुशल मजदूरी भुगतान तथा सामग्री भुगतान का वहन किया जाना है। • भारत सरकार एक वित्तीय वर्ष में मनरेगा पर कुल व्यय का छ: प्रतिशत तक प्रशासनिक व्यय के रूप में प्रदान करती है (अधिनियम की धारा 22 एवं परिचालन दिशा-निर्देशों की धारा 12.5.2)
अनुमत कार्य, व्यय घटक आदि	• यह योजना अधिनियम की अनुसूची-I में वर्गीकृत कार्यों पर ध्यान केंद्रित करती है। इनमें जल संरक्षण, भूमि विकास, वानिकी/बागवानी, ग्रामीण संपर्क परियोजनाएं आदि शामिल हैं। (अधिनियम की अनुसूची I की धारा 4 (I)) • भारत सरकार ने अन्य विभागों की योजनाओं/कार्यकलापों के साथ मनरेगा कार्यों के 'अभिसरण' हेतु दिशा-निर्देश भी तैयार किए हैं। (मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र 2019-20 की धारा 6.7) • ठेकेदारों का उपयोग निषिद्ध है; जहां तक संभव हो, योजना के अंतर्गत वित्त पोषित कार्यों को मशीनों के उपयोग से नहीं बल्कि शारीरिक श्रम का उपयोग करके किया जाएगा। (अधिनियम की अनुसूची I की धारा 21)

मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण पहलू	
प्रक्रिया	**संक्षिप्त विवरण**
	• जिला स्तर पर अकुशल मजदूरी तथा सामग्री लागत (अर्ध-कुशल या कुशल मजदूरी सहित) का अनुपात कम से कम 60:40 होना चाहिए (अधिनियम की अनुसूची-I के अंतर्गत नियम 20)।
सामाजिक लेखापरीक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता	• ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक छ: माह में सामाजिक लेखापरीक्षा का प्रावधान इस अधिनियम की अनूठी विशेषता है। ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा को सुगम बनाने के लिए, मध्य प्रदेश सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा नियुक्त संसाधन (विशेषज्ञ) व्यक्ति, प्रमुख हितधारकों के साथ मिलकर अभिलेखों एवं कार्यों का सत्यापन करता है। ग्राम सभा में सामाजिक लेखापरीक्षा के सत्यापन कार्य के निष्कर्षों पर चर्चा की जाती है। (मध्य प्रदेश सामाजिक लेखापरीक्षा नियम, 2013 की धारा 6)
शिकायत निवारण तंत्र	• एक उत्तरदायी क्रियान्वयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए जाने हैं। (अधिनियम की धारा 19)।

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: कंडिका 2.1.4.1, पृष्ठ संख्या 11)

नमूना इकाइयों का विवरण			
क्रम संख्या	**चयनित जिले का नाम**	**चयनित जनपद पंचायतों का नाम**	**चयनित ग्राम पंचायतों का नाम**
1	बैतूल	आठनेर	अंधेरी बावड़ी
			बोथी
			बरखेड़
			खैरवाड़ा
		चिचोली	बिघवा
			चूना हुज़ूरी
			झिरियाडोह
			निवाड़ी
2	बुरहानपुर	बुरहानपुर	खातला
			खामला
			ईटारिया
			जैसिंगपुरा
		खकनार	तेम्भी
			तुकईथड़
			साईखेड़ा कलां
			सेंड्स कलां
3	छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा	रजोला
			राफा
			टेंडिमल
			चंदनगांव
		बिछुआ	चकारा
			देवरी
			घोराड

क्रम संख्या	चयनित जिले का नाम	चयनित जनपद पंचायतों का नाम	चयनित ग्राम पंचायतों का नाम
			लोहांगी
4	मंडला	नारायणगंज	भावल
			दलखापा
			मैली
			पटेहरा
		मवई	मवई
			मेडा
			परसेल
			पिपरी माल
5	रायसेन	बाड़ी	सिनवाह
			बांसपिपरिया
			भीमपुर कंजई]
			गैहलपुर
		बेगमगंज	पंदरभटा
			जमुनियाताल
			भुरेरू
			गेंहूरास
6	सागर	मालथौन	बंगेला
			गीधा
			कोलुवा
			रौंदा
		रेहली	फुलर
			रगुवां
			संजरा
			सेवास
7	विदिशा	कुरवई	भौरांसा
			जारगुआं

क्रम संख्या	चयनित जिले का नाम	चयनित जनपद पंचायतों का नाम	चयनित ग्राम पंचायतों का नाम
			धारुखेड़ी
			बरखेड़ा पठारी
		विदिशा	भटनी
			मूंडरा मुहाना
			बर्रो
			धामनोदा
8	उमरिया	मानपुर	बल्हौड
			कुसम्हा
			मेहरोई
			नदाबन
		पाली	अमिलिहा
			बरदढार
			भंवतारा
			धौरई

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: कंडिका 3.8.1, पृष्ठ संख्या 22)

राज्य में मनरेगा हेतु मानव संसाधन की स्थिति 31.03.2024 तक					
क्र. सं.	**संस्थान का नाम एवं पद**	**कुल स्वीकृत पद**	**कुल कार्यशील बल**	**कमी**	***कमी प्रतिशत***
1.	एम.पी.एस.ई.जी.सी., भोपाल (अपर सी.ई.ओ., उप आयुक्त, परियोजना अधिकारी (पी.ओ.), एस.ई., ई.ई., डी.ई.ओ. आदि)	133	48	85	64
2.	डिवीजन स्तर (प्रबंधक, डी.ई.ओ., सहायक आदि)	30	13	17	57
3.	जिला स्तर (पी.ओ., सहायक पी.ओ., परियोजना अर्थशास्त्री, वरिष्ठ आँकड़े प्रबंधक, लेखा अधिकारी (ए.ओ.), लेखाकार, डी.ई.ओ., ए.ई., सब इंजीनियर आदि)	680	251	429	63
4.	जनपद पंचायत स्तर (अपर पी.ओ., ए.ई., सब इंजीनियर, सहायक ए.ओ., सहायक, डी.ई.ओ. आदि)	4695	2636	2059	44
5.	ग्राम पंचायत स्तर (ग्राम रोजगार सहायक)	23011	20565	2446	11
6.	महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर (संकाय सदस्य)	01	00	01	100
7.	विस्तार प्रशिक्षण केंद्र (संकाय सदस्य)	05	01	04	80
	कुल	**28555**	**23514**	**5041**	**18**

स्रोत: एम.पी.एस.ई.जी.सी द्वारा प्रदान की गई जानकारी

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: कंडिका 3.8.3, पृष्ठ संख्या 24)

चयनित जनपद पंचायतों में मानव संसाधन की स्थिति 31.03.2024 तक

पद का नाम	स्वीकृत संख्या	पदस्थ	कमी	कमी प्रतिशत
सहायक अभियंता	13	7	6	46.15
अपर कार्यक्रम अधिकारी	16	14	2	12.50
उप-अभियंता	84	70	14	16.67
सहायक ड्राफ्ट्समैन	13	8	5	38.46
सहायक लेखा अधिकारी	16	16	0	0.00
लेखाकार	8	2	6	75.00
डेटा एंट्री ऑपरेटर	32	22	10	31.25
ग्राम रोजगार सहायक	568	467	101	17.78
ब्लॉक वाटरशेड अभियंता	1	0	1	100.00
ब्लॉक समन्वयक	1	0	1	100.00
सहायक ग्रेड-2 कैशियर	1	0	1	100.00
सहायक ग्रेड-3	1	0	1	100.00
कुल	**754**	**606**	**148**	**19.63**

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: कंडिका 4.2.1, पृष्ठ संख्या 30)

दंडात्मक ब्याज की देनदारी

(₹ लाख में)

वर्ष	भारत सरकार के स्वीकृति आदेश की तिथि	राज्य कोषालय में केंद्रीय अंश जमा करने की तिथि	राशि	मध्य प्रदेश शासन के आदेश की तिथि	देयक संख्या तथा तिथि	केंद्रीय अंश	राज्य अंश	कुल राशि	राज्य रोजगार गारंटी परिषद के खाते में जमा करने की वास्तविक तिथि	मध्य प्रदेश शासन द्वारा निधि जारी करने की समय-सीमा	विलंब *(दिवस)*	ब्याज की देयता
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9= (7+8)**	**10**	**11**	**12={10-3-(11+1)}**	**13= (9*12*विलंबित दिन/36500)**
2019-20	05.02.2020	07.02.2020	1448.69	22.02.2020	957/25.02.2020	1448.69	482.90	1931.59	29.02.2020	3	18	11.43
2019-20	28.01.2020	30.01.2020	1183.26	24.02.2020	956/25.02.2020	1183.26	0.00	1183.26	29.02.2020	15	14	5.45
2019-20	27.12.2019	31.12.2019	5403.39	03.01.2020	834, 835, 836/03.01.2020	5403.39	1801.13	7204.52	07.01.2020	3	3	7.11
2019-20	21.10.2019	24.10.2019	12777.75	04.11.2019	676-678/13.11.2019	12777.75	4259.25	17037.00	14.11.2019	3	17	95.22
2019-20	05.08.2019	06.08.2019	60281.71	08.08.2019	440, 441, 442/20.08.2019	60281.71	20093.90	80375.61	22.08.2019	3	12	317.10
2019-20	09.07.2019	15.07.2019	9066.98	23.07.2016	394-396/01.08.2019	9066.98	3022.33	12089.31	02.08.2019	3	14	55.64
2019-20	09.04.2019	12.04.2019	3949.98	30.04.2019	89, 93-94/ 30.04.2019,01.05.2019	3949.98	1316.66	5266.64	02.05.2019	3	16	27.70

वर्ष	भारत सरकार के स्वीकृति आदेश की तिथि	राज्य कोषालय में केंद्रीय अंश जमा करने की तिथि	राशि	मध्य प्रदेश शासन के आदेश की तिथि	देयक संख्या तथा तिथि	केंद्रीय अंश	राज्य अंश	कुल राशि	राज्य रोजगार गारंटी परिषद के खाते में जमा करने की वास्तविक तिथि	मध्य प्रदेश शासन द्वारा निधि जारी करने की समय-सीमा	विलंब *(दिवस)*	ब्याज की देयता
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9= (7+8)**	**10**	**11**	**12={10-3-(11+1)}**	**13= (9*12*विलंबित दिन/36500)**
2020-21	05.04.2020	21.04.2020	66051.42	06.07.2020	316-318/09.07.2020	66051.42	22017.14	8068.55	10.07.2020	3	76	201.60
2021-22	22.03.2021	22.03.2021	56100	26.04.2021	42/29.04.2021	60.73	20.24	80.97	13.05.2021	3	48	1.28
					41/29.04.2021	161.06	53.68	214.74	30.04.2021	3	35	2.47
2023-24	17.08.2023	17.08.2023	63925.39	23.08.2023	563/15.09.2023	33258.59	0	33258.59	15.09.2023	15	13	142.15
2023-24	17.08.2023	17.08.2023	63925.39	23.08.2023	562/15.09.2023	0	11086.20	11086.20	15.09.2023	15	13	47.38
2023-24	17.08.2023	17.08.2023	63925.39	23.08.2023	561/15.09.2023	12540.12	0	12540.12	15.09.2023	15	13	53.60
2023-24	17.08.2023	17.08.2023	63925.39	23.08.2023	560/15.09.2023	0	4180.04	4180.04	15.09.2023	15	13	17.87
2023-24	17.08.2023	17.08.2023	63925.39	23.08.2023	559/15.09.2023	8723.56	0	8723.56	15.09.2023	15	13	37.28
2023-24	17.08.2023	17.08.2023	63925.39	23.08.2023	558/15.09.2023	0	2907.85	2907.85	15.09.2023	15	13	12.43
महायोग								**2,06,148.45**				**1,035.71**

स्रोत: भारत सरकार के स्वीकृति आदेश तथा एम.पी.एस.ई.जी.सी. द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: कंडिका 4.4, पृष्ठ संख्या 33)

राज्य में अस्वीकृत तथा पुन: उत्पन्न संव्यवहारों की स्थिति

(राशि ₹ में)

वर्ष	कुल अस्वीकृत संव्यवहार	कुल अस्वीकृत संव्यवहारों की राशि	अस्वीकृत संव्यवहार सफलतापूर्वक पुन: उत्पन्न एवं भुगतान किया गया		पुन: उत्पन्न हेतु लंबित संव्यवहार		अस्वीकृत लंबित बैंक प्रतिक्रिया संव्यवहारों की संख्या	अस्वीकृत लंबित बैंक प्रतिक्रिया संव्यवहारों की राशि
			संव्यवहारों की संख्या	संव्यवहारों की राशि	संव्यवहारों की संख्या	संव्यवहारों की राशि		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
2019-20	457501	473431600	372160	386782344	168	169558	85173	86479698
2020-21	652535	712257203	517019	564110599	157	142354	135359	148004250
2021-22	979024	1137313689	850521	983466662	194	219697	128309	153627330
2022-23	307417	420057190	254333	345100465	516	665707	52568	74291018
2023-24	275670	343790353	208625	259481192	1412	1826934	65633	82482227
कुल	**2672147**	**3086850035**	**2202658**	**2538941262**	**2447**	**3024250**	**467042**	**544884523**

स्रोत: एम.पी.एस.ई.जी.सी. द्वारा प्रदान किये गए आँकड़े

परिशिष्ट 5.1

(संदर्भ: कंडिका 5.1.2, पृष्ठ संख्या 39)

नमूना-जांच की गई ग्राम पंचायतों में 2019-24 के दौरान प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध परिवारों को जारी नहीं किए गए जॉब कार्डों का विवरण

जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत में कुल परिवार 31.03.2024 की स्थिति में	जोड़े गए परिवार	परिवारों का विलोपन	जॉब कार्ड जारी नहीं किये गये परिवार
1	2	3	4	6	7	8
बैतूल	आठनेर	अंधेर बावड़ी	400	69	145	0
बैतूल	आठनेर	बरखेड़	448	34	58	12
बैतूल	आठनेर	बोथी	496	139	18	11
बैतूल	आठनेर	खैरवाड़ा	466	67	11	11
बैतूल	चिचोली	बिघवा	237	17	98	2
बैतूल	चिचोली	चूना हुजूरी	409	50	0	29
बैतूल	चिचोली	झिरियाडोह	426	171	400	19
बैतूल	चिचोली	निवाड़ी	409	219	687	76
बुरहानपुर	बुरहानपुर	ईटारिया	531	90	44	4
बुरहानपुर	बुरहानपुर	जैसिंगपुरा	551	100	26	215
बुरहानपुर	बुरहानपुर	खामला	463	100	40	58
बुरहानपुर	बुरहानपुर	खातला	877	292	367	236
बुरहानपुर	खकनार	साईखेड़ा कला	538	203	222	341
बुरहानपुर	खकनार	सेंड्स कला	846	309	56	232
बुरहानपुर	खकनार	तेम्भी	272	108	344	55
बुरहानपुर	खकनार	तुकईथड़	342	113	230	0
छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा	चंदनगांव	465	41	86	10
छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा	राफा	627	207	117	64
छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा	रजोला	719	359	11	1017
छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा	टेंडिमल	608	167	135	126
छिंदवाड़ा	बिछुआ	चकारा	430	94	13	28
छिंदवाड़ा	बिछुआ	देवरी	392	120	9	254
छिंदवाड़ा	बिछुआ	घोराड	156	16	36	6
छिंदवाड़ा	बिछुआ	लोहांगी	249	36	39	33
मंडला	मवाई	मवई	562	221	213	75
मंडला	मवाई	मेडा	529	62	59	23
मंडला	मवाई	परसेल	518	38	19	15
मंडला	मवाई	पिपरी माल	546	123	45	63
मंडला	नारायणगंज	भावल	352	57	69	18
मंडला	नारायणगंज	दलखापा	490	32	33	46

जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत में कुल परिवार 31.03.2024 की स्थति में	जोड़े गए परिवार	परिवारों का विलोपन	जॉब कार्ड जारी नहीं किये गये परिवार
मंडला	नारायणगंज	मैली	245	72	90	8
मंडला	नारायणगंज	पटेहरा	482	41	33	72
रायसेन	बाड़ी	बांसपिपरिया	151	83	224	3
रायसेन	बाड़ी	भीमपुर कंजई	434	470	385	472
रायसेन	बाड़ी	गैहलपुर	201	111	6	208
रायसेन	बाड़ी	सिनवाह	167	78	76	138
रायसेन	बेगमगंज	भूरेरू	625	526	560	542
रायसेन	बेगमगंज	गेंहूरास	346	237	113	418
रायसेन	बेगमगंज	जमुनियाताल	277	216	114	215
रायसेन	बेगमगंज	पंदरभटा	264	166	128	49
सागर	माल्थॉन	बंगेला	493	441	215	112
सागर	माल्थॉन	गीधा	290	266	428	116
सागर	माल्थॉन	कोलुवा	220	94	275	150
सागर	माल्थॉन	रौंदा	549	133	31	73
सागर	रेहली	फुलर	290	212	353	52
सागर	रेही	रगुवां	486	151	139	100
सागर	रेहली	संजरा	498	318	456	65
सागर	रेहली	सेवास	442	72	174	111
उमरिया	मानपुर	बल्हौड	709	76	135	10
उमरिया	मानपुर	कुसम्हा	593	222	241	77
उमरिया	मानपुर	मेहरोई	412	168	121	53
उमरिया	मानपुर	नदावन	259	35	310	0
उमरिया	पाली	अमिलिहा	356	137	206	18
उमरिया	पाली	बरदढार	359	79	102	8
उमरिया	पाली	भंवतारा	425	171	100	139
उमरिया	पाली	धौरई	651	195	120	18
विदिशा	कुरवई	बरखेड़ा पठारी	813	498	104	480
विदिशा	कुरवई	भौरांसा	211	151	29	218
विदिशा	कुरवई	धारुखेड़ी	444	365	53	303
विदिशा	कुरवई	जारगुआं	431	273	122	344
विदिशा	विदिशा	बर्रो	267	89	34	56
विदिशा	विदिशा	भटनी	261	213	82	126
विदिशा	विदिशा	धामनोदा	827	961	579	678
विदिशा	विदिशा	मूंडरा मुहाना	253	98	63	64
		महायोग	**28085**	**11072**	**9831**	**8575**

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल एम.आई.एस. के आँकड़े

परिशिष्ट 5.2

(संदर्भ: कंडिका 5.3, पृष्ठ संख्या 41)

भाग ए

2019-24 के दौरान राज्य में योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले परिवारों का विवरण											
2019-24 के दौरान पूरे राज्य में उपलब्ध कराए गए रोजगार का विवरण											
वर्ष	कार्यरत परिवारों की संख्या	रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की संख्या					रोजगार पूरा करने वाले परिवारों का प्रतिशत				
		100 दिवस या उससे अधिक	81 से <99 दिवस	61 से <80 दिवस	41 से <60 दिवस	<40 दिवस	100 दिवस या उससे अधिक	81 से <99 दिवस	61 से <80 दिवस	41 से <60 दिवस	<40 दिवस
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2019-20	3619252	90592	980554	462042	614975	1471089	**2.50**	27.09	12.77	16.99	40.65
2020-21	5527361	322445	1968841	692117	818705	1725253	**5.83**	35.62	12.52	14.81	31.21
2021-22	5174103	205111	1588749	727583	843874	1808786	**3.96**	30.71	14.06	16.31	34.96
2022-23	4517162	94747	998456	625569	809868	1988522	**2.10**	22.10	13.85	17.93	44.02
2023-24	4085377	79764	901239	535085	665435	1903854	**1.95**	22.06	13.10	16.29	46.60

भाग बी

2019-24 के दौरान चयनित आठ जिला पंचायतों में योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले परिवारों का विवरण

2019-24 के दौरान नमूना-जांच किए गए जिला पंचायतो में पंजीकृत परिवारों को 100 दिवसों का रोजगार प्रदान करने की स्थिति

जिला	कुल पंजीकृत परिवार	100 दिवसों का रोजगार प्रदान किये गये परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
	1	2	3 = (2/1)*100}
बैतूल	1052767	15721	1.49
बुरहानपुर	432817	11042	2.55
छिंदवाड़ा	1314541	46030	3.5
मंडला	1158922	49257	4.25
रायसेन	674334	5059	0.75
सागर	1380324	11031	0.8
उमरिया	561362	12932	2.3
विदिशा	928753	7016	0.76
कुल	**7503820**	**158088**	**2.11**

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल एम.आई.एस. के आँकड़े

परिशिष्ट 5.3

(संदर्भ: कंडिका 5.4.1, पृष्ठ संख्या 45)

2019-24 के दौरान महिलाओं को प्रदान किए गए रोजगार के व्यक्ति-दिवस					
क्र. सं.	चयनित जिलों का नाम	2019-24 के दौरान सृजित महिला व्यक्ति-दिवस रोजगार (5 वर्ष)	2023-24 के दौरान सक्रिय महिला श्रमिक	एक वर्ष में उत्पन्न औसत महिला व्यक्ति-दिवस (कॉलम 3/4 वर्ष)	प्रति महिला श्रमिक औसत व्यक्ति-दिवस (कॉलम 5/6)
1	2	3	4	5	6
1	बैतूल	13538387	140733	2707677	19.24
2	बुरहानपुर	4464000	48483	892800	18.41
3	छिंदवाड़ा	25467108	207231	5093421	24.58
4	मंडला	26979000	203964	5395800	26.45
5	रायसेन	4329867	44032	865973	19.67
6	सागर	8654000	80802	1730800	21.42
7	उमरिया	8072625	72737	1614525	22.20
8	विदिशा	6203331	57044	1240666	21.75

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल एम.आई.एस. के आँकड़े

परिशिष्ट 5.4

(संदर्भ: कंडिका 5.4.1, पृष्ठ संख्या 46)

नमूना-जांच किये गए आठ जिलों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) का प्रतिनिधित्व

क्रम संख्या	जिले का नाम	2019-24 के दौरान सृजित कुल व्यक्ति-दिवस रोजगार					कुल सृजित व्यक्ति-दिवस में से व्यक्ति-दिवस का प्रतिनिधित्व (प्रतिशत में)			
		कुल	महिलाएं	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	महिलाएं	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	बैतूल	28510942	13538387	3826946	14862581	9821415	47.48	13.42	52.13	34.45
2.	छिंदवाड़ा	52006274	21467069	8237626	28365840	15402808	41.28	15.84	54.54	29.62
3.	मंडला	53275549	26982043	3421767	32519206	17334576	50.65	6.42	61.04	32.54
4.	उमरिया	16965661	8072625	1278481	9472678	6214502	47.58	7.54	55.83	36.63
	कुल जनजाति	**150758426**	**70060124**	**16764820**	**85220305**	**48773301**				
5.	बुरहानपुर	9895539	4465490	1878791	4265591	3751157	45.13	18.99	43.11	37.91
6.	रायसेन	13391437	4329867	2283261	2425635	8682541	32.33	17.05	18.11	64.84
7.	सागर	29411257	8655182	4227394	3968349	21215514	29.43	14.37	13.49	72.13
8.	विदिशा	21403214	6203331	3462603	958539	16982072	28.98	16.18	4.48	79.34
	कुल गैर-जनजाति	**74101447**	**23653870**	**11852049**	**11618114**	**50631284**				

परिशिष्ट 6.1

(संदर्भ: कंडिका 6.2 पृष्ठ संख्या 54)

2019-24 के दौरान नमूना-जांच किए गए जिलों में किए गए कार्यों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण						
क्र. सं.	**चयनित जिले**	**श्रेणी**	**स्वीकृत**	**आरंभित**	**पूर्ण**	**प्रगतिरत**
1	बुरहानपुर	श्रेणी ए	23314	14495	6417	8078
		श्रेणी बी	37645	31386	14279	17107
		श्रेणी सी	32	16	2	14
		श्रेणी डी	18117	9069	4411	4658
		कुल	**79108**	**54966**	**25109**	**29857**
2	बैतूल	श्रेणी ए	65437	45206	16308	28898
		श्रेणी बी	139081	124145	57388	66757
		श्रेणी सी	246	146	41	105
		श्रेणी डी	36598	20788	8647	12141
		कुल	**241362**	**190285**	**82384**	**107901**
3	छिंदवाड़ा	श्रेणी ए	93816	70234	26115	44119
		श्रेणी बी	198217	182205	83203	99002
		श्रेणी सी	266	92	31	61
		श्रेणी डी	34069	19637	8901	10736
		कुल	**326368**	**272168**	**118250**	**153918**
4	मंडला	श्रेणी ए	95944	75982	34224	41758
		श्रेणी बी	278292	262382	120165	142217
		श्रेणी सी	78	41	18	23
		श्रेणी डी	29570	18822	7856	10966
		कुल	**403884**	**357227**	**162263**	**194964**
5	रायसेन	श्रेणी ए	24465	14025	5375	8650
		श्रेणी बी	143397	136289	63503	72786
		श्रेणी सी	308	120	24	96
		श्रेणी डी	39608	23238	9579	13659
		कुल	**207778**	**173672**	**78481**	**95191**
6	सागर	श्रेणी ए	41013	29039	9721	19318
		श्रेणी बी	266982	246498	115151	131347
		श्रेणी सी	296	107	46	61
		श्रेणी डी	61963	38914	19237	19677
		कुल	**370254**	**314558**	**144155**	**170403**

क्र. सं.	चयनित जिले	श्रेणी	स्वीकृत	आरंभित	पूर्ण	प्रगतिरत
7	उमरिया	श्रेणी ए	38276	24462	9390	15072
		श्रेणी बी	90845	80616	38281	42335
		श्रेणी सी	195	84	26	58
		श्रेणी डी	32601	16498	7464	9034
		कुल	**161917**	**121660**	**55161**	**66499**
8	विदिशा	श्रेणी ए	34738	23007	8130	14877
		श्रेणी बी	166417	145601	68312	77289
		श्रेणी सी	346	120	17	103
		श्रेणी डी	50104	30180	13036	17144
		कुल	**251605**	**198908**	**89495**	**109413**
	कुल	**श्रेणी ए**	**417003**	**296450**	**115680**	**180770**
		श्रेणी बी	**1320876**	**1209122**	**560282**	**648840**
		श्रेणी सी	**1767**	**726**	**205**	**521**
		श्रेणी डी	**302630**	**177146**	**79131**	**98015**
		महायोग	**2042276**	**1683444**	**755298**	**928146**

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल एम.आई.एस. के आँकड़े

परिशिष्ट 6.2

(संदर्भ: कंडिका 6.3.1 पृष्ठ संख्या 68)

अर्ध-संवेदनशील एवं अति-दोहित क्षेत्रों में किए गए अस्वीकार्य कार्यों का विवरण

क्र.सं.	पंचायत का नाम	कार्य प्रारंभ वित्त वर्ष	कार्य कोड	कार्य का नाम	स्वीकृति राशि (₹)	व्यय राशि (₹)	कार्य आरंभ होने की तारीख	कार्य की स्थिति	कार्य आरंभ से व्यतीत वर्ष
1	गुडावल	2021-2022	1727003054/ई.एफ./ 22012034708369	सी.टी.आर. कूप निर्माण लक्ष्मण सिंह/रूपसिंह ग्राम गुडावल	248005	193	01.05.21	प्रगतिरत	3
2	गुडावल	2021-2022	1727003054/ई.एफ./ 22012034675726	कूप निर्माण आशिक खान / हबीब खान ग्राम गुडावल	248005	193	01.05.21	प्रगतिरत	3
3	पठारी	2022-2023	1727003007/ई.एफ./ 22012034988168	कपिल धारा कूप निर्माण काशीराम /बुद्धा	211884	1224	27.05.22	प्रगतिरत	2
4	पठारी	2022-2023	1727003007/ई.एफ./ 22012034990219	कपिल धारा कूप निर्माण प्रेम सिंह /हलकाई	211884	1224	27.05.22	प्रगतिरत	2
5	पठारी	2021-2022	1727003007/ई.एफ./ 22012034679049	कपिल धारा कूप निर्माण राजकुमार पुत्र फेलीराम	264021	2509	19.04.21	प्रगतिरत	3
6	शेखापुर	2019-2020	1727003005/ई.एफ./ 22012034531758	कूप निर्माण शेखपुर मुनीम /भागोना	234623	6355	18.02.20	प्रगतिरत	4
7	बरुआला	2020-2021	1727003053/ई.एफ./ 22012034641274	कपिल धारा कूप निर्माण गणेश राम/मर्दन जी.पी. बरुआला	246292	6894	15.03.21	प्रगतिरत	3
8	पैराखेड़ी	2019-2020	1727003034/ई.एफ./ 22012034517519	कूप निर्माण कृष्णा बाई/रूप सिंह यादव	234623	11616	14.12.19	प्रगतिरत	4
9	भालबामोरा	2019-2020	1727003060/ई.एफ./ 22012034406377	कपिलधारा कूप निर्माण सरवन सिंह	200000	10384	02.07.19	प्रगतिरत	5

क्र.सं.	पंचायत का नाम	कार्य प्रारंभ वित्त वर्ष	कार्य कोड	कार्य का नाम	स्वीकृति राशि (₹)	व्यय राशि (₹)	कार्य आरंभ होने की तारीख	कार्य की स्थिति	कार्य आरंभ से व्यतीत वर्ष
10	वन्द्रावाठा	2020-2021	1727003067/ई.एफ./ 22012034509583	कपिल धारा कूप निर्माण हलकाई/भुग्गा	259890	38760	21.12.20	प्रगतिरत	3
11	जारगुवा	2020-2021	1727003030/ई.एफ./ 22012034462230	कपिलधारा कूप निर्माण कैलाश/कालूराम जॉब 1000	200000	35150	16.06.20	प्रगतिरत	4
12	कराईबेरखेड़ी	2021-2022	1727003001/ई.एफ./ 22012034535581	कूप निर्माण रामगोपाल/कोमल ग्राम कराई बेरखेड़ी	251246	55632	01.05.21	प्रगतिरत	3
13	मथरापुर	2020-2021	1727003061/ई.एफ./ 22012034550204	कपिलधारा कूप निर्माण कादिरखान किशनपुर	259890	68792	03.06.20	प्रगतिरत	4
14	इमालिया	2020-2021	1727003021/ई.एफ./ 22012034528952	कपिलधारा कूप निर्माण श्रीलाल/बरेलाल मादीजागीर	234623	69462	03.03.21	प्रगतिरत	3
15	मलियाखेड़ी	2019-2020	1727003014/ई.एफ./ 22012034518210	कपिलधारा कूप मोहन/हल्का	234623	69948	11.01.20	प्रगतिरत	4
16	सिमर्धन	2019-2020	1727003066/ई.एफ./ 22012034472136	कपिलधारा कूप निर्माण नोनितराम /दोजा जॉब 98-ए	210000	65118	06.10.19	प्रगतिरत	4
17	बदोह	2020-2021	1727003073/ई.एफ./ 22012034643217	कपिलधारा कूप निर्माण ओंकारप्रसाद/नाथूराम जी.पी. बदोह	264021	83234	28.01.21	प्रगतिरत	3
18	सिमर्धन	2019-2020	1727003066/ई.एफ./ 22012034494709	कूप निर्माण बबलू/घसीटे ग्राम पदराज	234623	78246	28.02.20	प्रगतिरत	4
19	इसाखेड़ी	2019-2020	1727003033/ई.एफ./ 22012034523859	कूप निर्माण प्रभूलाल/चतरा घुरावली	234623	78286	17.01.20	प्रगतिरत	4
20	छापारा	2019-2020	1727003062/ई.एफ./ 22012034521777	कूप निर्माण अंसार खान/वाहिद खान छापारा	234623	84891	02.01.20	प्रगतिरत	4

क्र.सं.	पंचायत का नाम	कार्य प्रारंभ वित्त वर्ष	कार्य कोड	कार्य का नाम	स्वीकृति राशि (₹)	व्यय राशि (₹)	कार्य आरंभ होने की तारीख	कार्य की स्थिति	कार्य आरंभ से व्यतीत वर्ष
21	छापारा	2021-2022	1727003062/ई.एफ./ 22012034728450	सीटीआर कूप निर्माण गोपाल/कल्याण छापारा	265873	91736	23.05.21	प्रगतिरत	3
22	शेखापुर	2022-2023	1727003005/ई.एफ./ 22012034724173	सीटीआर कूप निर्माण गणेशराम पुत्र घनश्याम ग्राम शेखपुर जी.पी. शेखपुर	248005	96492	15.11.22	प्रगतिरत	1
23	बदोह	2020-2021	1727003073/ई.एफ./ 22012034568027	कपिलधारा कूप निर्माण सौरभ/गिरिराज	259890	101886	22.06.20	प्रगतिरत	4
24	पैराखेड़ी	2019-2020	1727003034/ई.एफ./ 22012034530446	कूप निर्माण दराऊ/सनमान (एसटी) रेकला	234623	93414	20.02.20	प्रगतिरत	4
25	वन्द्रावाठा	2019-2020	1727003067/ई.एफ./ 22012034502492	कपिल धारा कूप निर्माण लाल सिंह / भोगी राम पाल	234623	95520	06.12.19	प्रगतिरत	4
26	दुधाबारी	2022-2023	1727003064/ई.एफ./ 22012034973579	कपिल धारा कूप श्रीराम/केशवदास	257181	105793	24.05.22	प्रगतिरत	2
27	तमोइया	2019-2020	1727003018/ई.एफ./ 22012034527576	कूप निर्माण दीप सिंह/जगत सिंह	234623	97928	29.01.20	प्रगतिरत	4
28	बिस्लोनी	2019-2020	1727003070/ई.एफ./ 22012034528684	कूप निर्माण जगदीश / प्रेम सहरिया ग्राम बिसलोनियाम	251246	106436	08.02.20	प्रगतिरत	4
29	जाजपोन	2022-2023	1727003074/ई.एफ./ 22012034986457	कूप निर्माण गोबरधन/हरचंदी ग्राम जाजपोन	211884	94518	10.10.22	प्रगतिरत	1
30	बिस्लोनी	2019-2020	1727003070/ई.एफ./ 22012034499076	कूप निर्माण विजय अहिरवार बिस्लोनी जॉब 1234	234623	109752	03.01.20	प्रगतिरत	4
31	धमोनीपुरा	2021-2022	1727003068/ई.एफ./ 22012034688813	कपिलधारा कूप निर्माण खेतसिंह/बाबूलाल दानखेड़ी	265873	126332	29.04.21	प्रगतिरत	3

क्र.सं.	पंचायत का नाम	कार्य प्रारंभ वित्त वर्ष	कार्य कोड	कार्य का नाम	स्वीकृति राशि (₹)	व्यय राशि (₹)	कार्य आरंभ होने की तारीख	कार्य की स्थिति	कार्य आरंभ से व्यतीत वर्ष
32	जारगुवा	2019-2020	1727003030/ई.एफ./ 22012034460545	कपिलधारा कूप निर्माण रामप्रवेश / मिट्ठूलाल जॉब 2011	200000	97428	30.05.19	प्रगतिरत	5
33	इमालिया	2023-2024	1727003021/ई.एफ./ 22012035111658	कपिलधारा कूप निर्माण उमा बाई/ब्रजभान सिंह डांगी ग्राम इमालिया जी.पी. इमालिया	278078	136882	24.06.23	प्रगतिरत	1
	कुल				**7894021**	**2122228**			

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

परिशिष्ट 6.3

(संदर्भ: कंडिका 6.3.2 पृष्ठ संख्या 68)

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 तक अपूर्ण सामुदायिक कार्यों का विवरण									
जिले का नाम	नमूना-जांच की गई जनपद पंचायत	2019-20 से पहले सामुदायिक कार्य (अपूर्ण कार्य)		2019-22 के दौरान लिए गए सामुदायिक कार्य		अपूर्ण सामुदायिक कार्य (31 मार्च 2024 की स्थिति में)		दो साल से अधिक समय से अपूर्ण पड़े सामुदायिक कार्य (31 मार्च 2024 की स्थिति में)	
		कार्यों की संख्या	किया गया व्यय	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	कार्यों की संख्या	किया गया व्यय	कार्यों की संख्या	किया गया व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+7)	10 (4+8)
बैतूल	आठनेर	6	0.58	26	0.37	3	0.01	9	0.59
	चिचोली	4	0.23	40	0.21	15	0.04	19	0.27
बुरहानपुर	बुरहानपुर	5	0.13	92	3.11	3	0.16	8	0.29
	खकनार	15	0.14	21	0.63	1	0.00	16	0.14
मंडला	मवई	17	0.19	48	2.35	15	0.36	32	0.55
रायसेन	बाड़ी	15	0.16	60	1.26	14	0.05	29	0.21
	बेगमगंज	16	0.22	110	3.31	12	0.93	28	1.15
सागर	मालथौन	3	0.27	25	0.87	6	0.08	9	0.35
विदिशा	विदिशा	17	0.28	165	5.27	55	0.39	72	0.67
	कुरवई	91	0.46	544	15.48	82	0.92	173	1.38
	कुल	**189**	**2.66**	**1131**	**32.86**	**206**	**2.94**	**395**	**5.60**

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

परिशिष्ट 6.4

(संदर्भ: कंडिका 6.4.2, पृष्ठ संख्या 71)

उन ग्राम पंचायतों का विवरण जहां पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र तथा खेल के मैदान जैसी सामुदायिक ग्रामीण अवसंरचना अन्य योजनाओं के अभिसरण के साथ निर्मित नहीं की गई

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	निर्माण नहीं की गई अवसंरचना का नाम			
1	जी.पी. बर्रो, ज.पं. विदिशा, जिला विदिशा	पंचायत भवन	आंगनवाड़ी केंद्र		खेल का मैदान
2	जी.पी. धामनोदा, ज.पं. विदिशा, जिला विदिशा	-	आंगनवाड़ी केंद्र		-
3	जी.पी. भटनी , ज.पं. विदिशा, जिला विदिशा	-	आंगनवाड़ी केंद्र		-
4	जी.पी.मूंडरा मुहाना, ज.पं. विदिशा, जिला विदिशा	-	आंगनवाड़ी केंद्र		खेल का मैदान
5	जी.पी. धारुखेड़ी, ज.पं. कुरवई, जिला विदिशा	-	आंगनवाड़ी केंद्र		खेल का मैदान
6	जी.पी. भौरांसा, ज.पं. कुरवई, जिला विदिशा	-	आंगनवाड़ी केंद्र		-
7	जी.पी. जारगुआ, ज.पं. कुरवई, जिला विदिशा	-	आंगनवाड़ी केंद्र		-
8	जी.पी. बरखेड़ा पठारी, ज.पं. कुरवई , जिला विदिशा	-	आंगनवाड़ी केंद्र		-
9	जी.पी. सिनवाह, ज.पं. बाड़ी , जिला रायसेन	पंचायत भवन	-		-
10	जी.पी. बांस-पिपरिया, ज.पं. बाड़ी , जिला रायसेन	पंचायत भवन	-		-
कुल		**03**	**8**		**03**

स्रोत: ग्राम पंचायतों द्वारा दी गई जानकारी

परिशिष्ट 7.1

(संदर्भ: कंडिका संख्या 7.6.2, पृष्ठ संख्या 82)

2019-24 की अवधि में प्राप्त एवं निराकृत शिकायतों का विवरण																					
क्रम संख्या	चयनित जिला	2019-20				2020-21				2021-22				2022-23				2023-24			
		प्राप्त शिकायतों की संख्या	निराकृत शिकायतों की संख्या	निराकरण हेतु लंबित शिकायतें	शिकायतों के अनिराकृत रहने के संक्षेप में कारण	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निराकृत शिकायतों की संख्या	निराकरण हेतु लंबित शिकायतें	शिकायतों के अनिराकृत रहने के संक्षेप में कारण	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निराकृत शिकायतों की संख्या	निराकरण हेतु लंबित शिकायतें	शिकायतों के अनिराकृत रहने के संक्षेप में कारण	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निराकृत शिकायतों की संख्या	निराकरण हेतु लंबित शिकायतें	शिकायतों के अनिराकृत रहने के संक्षेप में कारण	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निराकृत शिकायतों की संख्या	निराकरण हेतु लंबित शिकायतें	शिकायतों के अनिराकृत रहने के संक्षेप में कारण
1	बैतूल	35	35	0	-	15	15	0	-	33	33	0	-	52	52	0	-	49	49	0	-
2	बुरहानपुर	2	2	0	-	6	6	0	-	22	12	10	प्रक्रिया-धीन	14	3	11	प्रक्रिया-धीन	5	1	4	प्रक्रिया-धीन
3	छिंदवाड़ा	एनए				एनए				एनए				एनए				एनए			
4	मंडला	0	0	0	0	1	1	0	-	5	3	2	प्रक्रिया-धीन	3	3	0	-	8	3	5	प्रक्रिया-धीन
5	रायसेन	एनए				एनए				एनए				एनए				एनए			
6	सागर	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7	उमरिया	31	31	0	-	15	15	0	-	6	6	0	-	23	23	0	-	86	56	30	प्रक्रिया-धीन
8	विदिशा	3	3	0	-	11	11	0	-	8	8	0	-	7	7	0	-	3	3	0	-
		71	**71**	**0**	**0**	**48**	**48**	**0**	**0**	**74**	**62**	**12**	**0**	**99**	**88**	**11**	**0**	**151**	**112**	**39**	**0**

एनए= उपलब्ध नहीं कुल प्राप्त: 443 कुल निराकरण: 381 कुल लंबित: 62

स्रोत:- चयनित जिलों द्वारा प्रदान की गई जानकारी

परिशिष्ट 8.1

(संदर्भ: कंडिका 8.4, पृष्ठ संख्या 88)

एस.ए.यू., मध्य प्रदेश में स्वीकृत तथा कार्यरत पदों की स्थिति				
क्रम संख्या	**नाम**	**स्वीकृत संख्या**	**कार्यरत**	**कमी**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	राज्य स्तर पर स्वीकृत एवं कार्यरत बल			
01	संचालक/सी.ई.ओ.	01	01	00
02	राज्य विशेषज्ञ सामाजिक लेखापरीक्षा (राज्य स्तर) (भारत सरकार की विशेष वित्तीय सहायता के अंतर्गत स्वीकृत)	04	01	03
03	वित्त नियंत्रक	01	00	01
04	संयुक्त संचालक (प्रबंधन)	01	00	01
05	उप संचालक (सामाजिक विकास)	01	00	01
06	समन्वयक (आई.टी.एम.आई.एस.)	01	00	01
07	तकनीकी एवं गुणवत्ता विशेषज्ञ	01	00	01
08	समन्वयक (निगरानी एवं मूल्यांकन)	01	00	01
09	विधिक एवं निराकरण विशेषज्ञ	01	00	01
10	समन्वयक मानव संसाधन	01	00	01
11	लेखा अधिकारी	01	00	01
12	प्रबंधक (जनसंपर्क)	01	00	01
13	प्रोग्रामर	01	00	01
14	लेखापरीक्षा अधिकारी	01	00	01
15	लेखाकार	01	00	01
16	वरिष्ठ आशुलिपिक (अंग्रेजी)	01	00	01
17	वरिष्ठ आशुलिपिक (हिंदी)	01	00	01
18	सहायक ग्रेड-1	01	00	01
19	सहायक ग्रेड-2	01	00	01
20	सहायक ग्रेड-3	01	00	01
21	सहायक सह आशुलिपि टंकक	01	00	01
22	कार्यालय सहायक	01	00	01
23	डेटा एंट्री ऑपरेटर	05	00	05
24	चालक	01	00	01
25	चपरासी	01	00	01
26	संदेशवाहक	01	00	01
27	चौकीदार	04	00	04
	कुल	**37**	**02**	**35**
	जिला स्तर			
28	जिला समन्वयक, सामाजिक लेखापरीक्षा (जिला स्तर))	51	45	06
	जनपद स्तर			
29	ब्लॉक समन्वयक, सामाजिक लेखापरीक्षा (ब्लॉक स्तर)	313	179	134
	ग्राम स्तर			
30	ग्राम सामाजिक एनिमेटर (वी.एस.ए.) जी.पी. स्तर	नामांकित	7040	--

स्रोत: एस.ए.यू., भोपाल द्वारा प्रदान की गई जानकारी

परिशिष्ट 8.2

(संदर्भ: कंडिका 8.6.1, पृष्ठ संख्या 90)

2019-2024 के दौरान नमूना-जांच की गई ग्राम पंचायतों में वार्षिक सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन का विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	वर्ष	नमूना-जांच की गई जी.पी. की कुल संख्या	वार्षिक सामाजिक लेखापरीक्षा एक वर्ष में दो बार पूरी की गई	वार्षिक सामाजिक लेखापरीक्षा वर्ष में एक बार पूरी की गई	वार्षिक सामाजिक लेखापरीक्षा वर्ष में एक बार भी नहीं की गई	उन ग्राम पंचायतों का प्रतिशत जहां वर्ष में एक बार भी वार्षिक सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई
1	बैतूल	2019-20	8	0	5	3	37.5
		2020-21	8	0	1	7	87.5
		2021-22	8	0	8	0	0
		2022-23	8	0	7	1	12.5
		2023-24	8	0	5	3	37.5
2	बुरहानपुर	2019-20	8	0	6	2	25
		2020-21	8	0	0	8	100
		2021-22	8	0	7	1	12.5
		2022-23	8	0	8	0	0
		2023-24	8	0	7	1	12.5
3	छिंदवाड़ा	2019-20	8	0	4	4	50
		2020-21	8	0	0	8	100
		2021-22	8	0	8	0	0
		2022-23	8	0	8	0	0
		2023-24	8	0	5	3	37.5
4	मंडला	2019-20	8	0	4	4	50
		2020-21	8	0	0	8	100
		2021-22	8	0	8	0	0
		2022-23	8	0	8	0	0
		2023-24	8	0	6	2	25
5	रायसेन	2019-20	8	0	8	0	0
		2020-21	8	0	0	8	100
		2021-22	8	0	8	0	0
		2022-23	8	0	8	0	0
		2023-24	8	0	7	1	12.5
6	सागर	2019-20	8	0	3	5	62.5
		2020-21	8	0	0	8	100
		2021-22	8	0	8	0	0
		2022-23	8	0	8	0	0
		2023-24	8	0	5	3	37.5

क्र.सं.	जिले का नाम	वर्ष	नमूना-जांच की गई जी.पी. की कुल संख्या	वार्षिक सामाजिक लेखापरीक्षा एक वर्ष में दो बार पूरी की गई	वार्षिक सामाजिक लेखापरीक्षा वर्ष में एक बार पूरी की गई	वार्षिक सामाजिक लेखापरीक्षा वर्ष में एक बार भी नहीं की गई	उन ग्राम पंचायतों का प्रतिशत जहां वर्ष में एक बार भी वार्षिक सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई
7	उमरिया	2019-20	8	0	8	0	0
		2020-21	8	0	0	8	100
		2021-22	8	0	8	0	0
		2022-23	8	0	8	0	0
		2023-24	8	0	1	7	87.5
8	विदिशा	2019-20	8	0	4	4	50
		2020-21	8	0	0	8	100
		2021-22	8	0	8	0	0
		2022-23	8	0	8	0	0
		2023-24	8	0	2	6	75
	कुल				**207**	**113**	

वर्ष-वार योग

वर्ष	एक बार लेखापरीक्षा की गई	एक बार भी लेखापरीक्षा नहीं की गई
2019-20	42	22
2020-21	1	63
2021-22	63	1
2022-23	63	1
2023-24	38	26
कुल	**207**	**113**

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आँकड़े

संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली

ए.सी.एस.	अपर मुख्य सचिव
ए.डी.पी.सी.	अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक
ए.ई.	लेखापरीक्षा पूछताछ
ए.एम.सी.	वार्षिक मास्टर परिपत्र
ए.पी.ओ.	अपर कार्यक्रम अधिकारी
बी.आर.सी.	ब्लॉक संसाधन केंद्र
सी.ए.डी. एवं डब्ल्यू.डी.एम.	कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन
सी.ई.ओ.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
सी.एफ.टी.	क्लस्टर सुविधा टीम
सी.एस.ओ.	नागरिक समाज संगठन
सी.एस.एस.	केंद्र प्रायोजित योजना
सी.वी.ओ.	मुख्य सतर्कता अधिकारी
डी.ई.ओ.	डेटा एंट्री ऑपरेटर
डी.एच.आर.डी.सी.बी.	जिला मानव संसाधन विकास एवं क्षमता निर्माण इकाई
डी.पी.सी.	जिला कार्यक्रम समन्वयक
डी.पी.पी.	जिला परिप्रेक्ष्य योजना
डी.क्यू.एम.	जिला गुणवत्ता पर्यवेक्षक
डी.वी.सी.	जिला सतर्कता प्रकोष्ठ/सेल
जी.बी.	साधारण सभा
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.ओ.एम.पी.	मध्य प्रदेश शासन
जी.पी.	ग्राम पंचायत
जी.आर.एस.	ग्राम रोजगार सहायक
जी.एस.	ग्राम सभा
एच.आर.डी.सी.बी.डी.	मानव संसाधन विकास एवं क्षमता निर्माण प्रभाग
आई.डब्ल्यू.एम.पी.	एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम
ज.पं.	जनपद पंचायत
जे.पी.वी.	संयुक्त भौतिक सत्यापन
एल.बी.	श्रम बजट

मनरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एम.आई.एस.	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एम.ओ.आर.डी.	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एम.पी.एस.ई.जी.सी.	मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
एम.पी.एस.एस.एस.	मध्य प्रदेश सामाजिक संपरीक्षा समिति
एन.एम.एम.एस.	नरेगा चल निगरानी प्रणाली
एन.आर.ई.जी.ए.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
पी.सी.आर.	परियोजना पूर्णता रिपोर्ट
पी.डी.	व्यक्ति दिवस
पी.एम.ए.वाई.	प्रधानमंत्री आवास योजना
पी.एम.के.एस.वाई.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
पी.ओ.	कार्यक्रम अधिकारी
पी.आर.डी.डी.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
पी.आर.आई.	पंचायती राज संस्थाएं
पी.एस.यू.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
आर.जी.के. ए.	राजीव गांधी खेल अभियान
आर.पी.	संसाधन व्यक्ति
एस.ए.यू.	सोशल ऑडिट यूनिट/सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई
एस.सी.	अनुसूचित जाति
एस.ई.जी.सी.	राज्य रोजगार गारंटी परिषद
एस.एन.ए.	एकल नोडल अभिकरण
एस.ओ.पी.	परियोजना की सूची
एस.क्यू.एम.	राज्य गुणवत्ता मॉनीटर्स
एस.टी.	अनुसूचित जनजाति
एस.वी.सी.	राज्य सतर्कता प्रकोष्ठ
टी.एस.	तकनीकी स्वीकृति
वी.एम.सी.	सतर्कता एवं निगरानी समिति
डब्ल्यू.डी.	निर्माण विभाग
जेड.पी.	जिला पंचायत

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag1/madhya-pradesh/hi